C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXVI, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 32, Friday, May 18, 2012/Vaisakha 28, 1934 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.601 to 604	3-32
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.605 to 620	33-82
Unstarred Question Nos.6901 to 7130	83-484

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **485-491**

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE **492**
Minutes

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN **492**
(i)14th and 15th Reports
(ii) Statement

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE **493**
3rd Report

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION **493**
20th and 21st, Reports

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS **494**
222nd to 228th Reports

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **494**
39th Report

STATEMENTS BY MINISTER
(i) (a) Status of implementation of the recommendations` contained in the 152nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 140th Report of the Committee on "Promotion of Tourism in Jammu and Kashmir", pertaining to the Ministry of Tourism. 495

(i) (b)Status of implementation of the recommendations contained in the 153rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 149th Report of the Committee on "Development of Tourism Infrastructure and Amenities for the Commonwealth Games 2010", pertaining to the Ministry of Tourism. 495

Shri Sultan Ahmed

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 496-518

Situation arising out of severe Drought in Karnataka

Shri Pralhad Joshi 496, 498-502

Shri Harish Rawat 496-498, 510-518

Shri Ananth Kumar 502-506

Shri Shivrama Gouda 506-507

Shri Shivkumar Udasi 507

Shri Shailendra Kumar 508-509

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Illness of passengers due to food served on Rajdhani Express

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) AMENDMENT BILL, 2011, AS PASSED BY RAJYA SABHA **527-536**

Motion to Consider 527

Shri Kamal Kishore 'Commando' 527-529

Dr. Tarun Mandal 530-531

Shri K.H. Muniyappa 532-533

Clauses 2 to 4 and 1 535-536

Motion to Pass **536**

DISCUSSION UNDER RULE 193 **538-545**

Situation arising out of faulty policy for procurement of food grains and inadequate facilities for their storage

Shri Sharad Yadav **538-545**

MOTION RE : TWENTY-SIXTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS **546**

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS **547-555**

(i) Special economic development package for the desert regions of the country

Shri Mahendrasinh P. Chauhan 547-548

Shri Naranbhai Kachhadia 549-550

Shri Ashwani Kumar 551-554

Resolution - Withdrawn 556-598

(ii) Setting up of a Central University in Motihari district of Bihar **556-598**

Shri Om Prakash Yadav 556-559

Shri Adhir Chowdhury 560-562

Shri Hukmadeo Narayan Yadav 563-567

Shri Shailendra Kumar 568-571

Shri Vijay Bahadur Singh 572-574

Shrimati Meena Singh 575-575A

Shri Mahabal Mishra 576-578

Dr. Bhola Singh 579-582

Shri Jagadanand Singh 583-587

Shri Satpal Maharaj 588-590

Shrimati Rama Devi 591-594

Shri Sansuma Khunggur Bwismuthiary 595-596

Shri Arjun Ram Meghwal 597-598

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 614
Member-wise Index to Unstarred Questions 614A-618

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 619
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 620-621

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, May 18, 2012/Vaisakha 28, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Now, Question Hour.

Q. No.601, Shrimati Darshana Jardosh.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैंने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। दक्षिण अफ्रीका में ...(व्यवधान) 1200 मजदूर फंसे हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी कुछ नहीं, शून्य प्रहर में उठाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : I have disallowed it.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। ...(व्यवधान) यह बड़ा गंभीर मामला है। ...(व्यवधान) 1200 मजदूरों का मामला है। वे फंसे हुए हैं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have disallowed it.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : आप शून्य प्रहर में इस विषय को उठा लीजिए।

…(व्यवधान)

[*] Not recorded.

(Q.601)

MADAM SPEAKER : Q. No. 601- Shrimati Darshana Jardosh.

श्रीमती दर्शना जरदोश : मैडम, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में री-रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है । इसमें पंजाब, दिल्ली, ओड़िशा आदि स्टेट्स ने अपने यहां यह प्रोविजन किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि ऐसे क्वेक डाक्टर्स, जो बेरोक-टोक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए क्या सरकार ने बाकी राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था करने के बारे में कोई योजना बनायी है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि तीन साल में यह प्रश्न पहली दफा आया। इस प्रश्न के पूछने से हमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और इस रजिस्टर को मेनटेन करने के लिए जो गलतियां, मैं उसे कमियां कहूंगा, वर्ष 1956 से होती आ रही हैं, वे कमियां सामने उभर कर आयीं। हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बैठ कर निर्णय लिया कि आने वाले समय में उन कमियों को किस तरह दूर किया जाए। इसके द्वारा अभी तक मेडिकल काउंसिल की लिस्ट, असली राज्य काउंसिल मेडिकल काउंसिल को देते हैं और मेडिकल काउंसिल उसे अपडेट करके सदन में रखता है। लेकिन हमारे सामने यह आया कि एक-एक डाक्टर अपने आपको तीन-तीन राज्यों में रजिस्टर करता है और दिल्ली में भी रजिस्टर करता है। जब हम पूरा नम्बर देखते हैं, तो वह आठ लाख से ऊपर है, जिसे हमने आपके प्रश्न के उत्तर में दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें बहुत से डाक्टर्स एक स्टेट में काम करते हैं, वहां भी अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करने गये, तो वहां भी अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं। तीसरे स्टेट में गये, तो वहां भी अपना नाम रजिस्टर कर दिया। हर जगह से रजिस्टर होकर जब यहां आता है, तो उसे कम्पाइल करते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि तीन साल में पहली दफा क्वेश्चन आया, तो हमें इसमें वर्ष 1956 से लेकर आज तक जो कमियां थीं, उन कमियों को सुधारने का आइंदा मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि एक-दो साल बाद हमारा असली रजिस्ट्रेशन नैशनल लैवल पर आयेगा, तो हमारे देश में जितने प्रैक्टिसिंग डाक्टर्स हैं, उनके बारे में जानकारी होगी।

जहां तक इन्होंने क्वेक का सवाल किया, यह हकीकत है कि हमारे दो सिस्टम हैं - एक ऐलोपैथी और दूसरा आयुर्वेद। दोनों के एक्ट में रिकग्नाइज्ड डिग्री नहीं होगी, चाहे वह एमबीबीएस की हो या ऐलोपैथी सिस्टम हो, जिसके पास रिकग्नाइज्ड डिग्री नहीं है, वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसमें एक साल की सजा और फाइन भी है।

श्रीमती दर्शना जरदोश : महोदया, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि कुछ डाक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जो प्रैक्टिस न करते हों, लेकिन कई बार अपने नाम पर अस्पताल खोलकर बाहर से डाक्टर्स को बुलाकर, खुद प्रैक्टिस न करते हुए भी इसी प्रोफेशन में कार्यरत हैं। ऐसे डाक्टर्स की संख्या कितनी है? कृपया यह बताएं कि एमसीआई के साथ पंजीकरण का प्रमाणपत्र हरेक डाक्टर की क्लीनिक या अस्पताल में लोगों को दिखाई दे, इस प्रकार से डिसप्ले करने का निर्देश क्या एमसीआई ने दिया है? एमसीआई द्वारा जो भी पकड़े गए डाक्टर्स हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गयी है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैडम, माननीय सदस्या ने दो अलग-अलग चीजें पूछी हैं। एक का उत्तर पहले वाले प्रश्न के जवाब में ही है कि कुछ कमियां थीं, उनको दूर करने के लिए एमसीआई के साथ आने वाले वक्त के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक लाइव रजिस्टर होगा, अगर एक आदमी रजिस्टर्ड है, तो वह चार जगह रजिस्टर्ड नहीं दिखाया जाएगा, एमसीआई के नेशनल रजिस्टर में एक ही दफा दिखाया जाएगा, to avoid double or more entry of a practitioner in more than one Register and to identify the active medical practitioners. अभी तक कोई आइडेंटीफाइड नहीं है कि एमबीबीएस करके रजिस्टर हो गया, उसके बाद वह है भी कि नहीं, उसका नाम डिलीट करने का कोई प्रॉविजन नहीं है। इसी तरह से कितने लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी है, उसका भी प्रॉविजन नहीं है, इसलिए आने वाले वक्त में, अभी इसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। अभी एक्टिव मेडिकल प्रैक्टिसनर कितने हैं, also to identify and delete the names of such medical practitioners who have retired from the active practice and also settled abroad. वह अभी तक उसमें नहीं है। दूसरा आपने पूछा कि किस हॉस्पिटल में कितने डाक्टर हैं और क्या कोई सूची उसमें लगाई जाएगी, वह विषय दूसरे एक्ट के अंदर आएगा। आपको याद होगा कि दो साल पहले हमने संसद से एक बिल पास किया है - रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट।...(व्यवधान)

श्रीमती दर्शना जरदोश : मैं डाक्टर्स की सूची नहीं, उनका प्रमाणपत्र दिखाने के बारे में जानना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठिए। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है और कई सारे प्रश्न पूछे हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैडम, वह अभी बड़ी एडवांस्ड स्टेज में है। इनिशियली वह यूटीज में और जिन राज्यों ने लिखकर दिया था कि हमारे यहां एक्ट बनना चाहिए और कई राज्यों को हमने लिखा है। यह क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। कई राज्यों ने हमारी रिक्वेस्ट पर अपनी विधानसभाओं में उसको पास किया और इस साल से उसको नोटिफाई किया है, लेकिन सीधे नोटिफाई करने से नहीं

होगा, उसके लिए जो चीजें बनी हैं - एक नेशनल काउंसिंल होगी, एक स्टेट काउंसिल होगी, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उसके अनुसार पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एक कमरे के हॉस्पिटल से लेकर, एक डाक्टर से लेकर बड़े हॉस्पिटल्स चाहे एम्स हो, मेदांता हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनकी कैटेगरीज बन जाएंगी और उन कैटेगरीज के अनुसार उस हॉस्पिटल में किस चीज की क्षमता है, कहां किडनी का ऑपरेशन हो सकता है, कहां हार्ट का ऑपरेशन हो सकता है, कहां दोनों हो सकते हैं, वे कैटेगराइज किए जाएंगे और उसके साथ ही एक रेंज फिक्स की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हार्ट ऑपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल एक लाख रुपये लेता है और दूसरा दस लाख रुपये लेता है। एक किडनी के ऑपरेशन के लिए दो लाख लेता है और कोई बीस लाख लेता है। उसकी एक रेंज फिक्स की जाएगी कि इस रेंज के अंदर हर चीज के लिए पैसे लिए जाएंगे और वह सूची उस हॉस्पिटल में लगी होगी, जो उसके अनुसार नहीं चलेगा, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो उस पर एक्शन लेगी।

श्री पन्ना लाल पुनिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया।

देश में ट्रेन्ड डाक्टर्स की कमी है। हम अपने क्षेत्र में भी जाते हैं, वहां देखते हैं कि झोला छाप डाक्टर्स धड़ल्ले से प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से क्योंकि वहां पर ट्रेन्ड डाक्टर्स नहीं हैं। चिकित्सकों एवं मेडिकल कॉलेजेज की कमी है और इसीलिए हिन्दुस्तान से बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। भारत सरकार विदेशों में जाने के लिए बच्चों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है, छात्रवृत्ति भी देती है, वीज़ा उपलब्ध कराती है, अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन जब वे शिक्षा प्राप्त करते वापस अपने घर लौटते हैं तो उन्हें एमसीआई द्वारा कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे पास कर लेते हैं और उन्हें प्रेक्टिस करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन कई बच्चे अगर वह परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो वे बेरोजगार रहते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। इस स्थिति में कुछ के लिए तो आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है। ऐसे देशों से, जहां से वे डाक्टरी की पढ़ाई करके लौटते हैं, यहां उन्हें एसीआई की परीक्षा पास करना जरूरी होता है, तो फिर क्यों नहीं उन देशों में हमारे बच्चों को डाक्टरी की पढ़ाई के लिए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए? क्या सरकार उन देशों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रतिबंध लगाएगी या कोई ऐसी व्यवस्था करेगी, जिससे स्वदेश लौटने पर उन्हें पुनः परीक्षा न देनी पड़े? क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: इसमें दो चीजें हैं। इन्होंने बताया कि देश में डाक्टर्स की कमी है, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इसके लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। बहुत सी चीजें पिछले

तीन बरस में हुई हैं, खासतौर से एमडी की सीट्स में 32 फीसदी के करीब इज़ाफा हुआ है और एमबीबीएस की सीट्स में भी 25 फीसदी इज़ाफा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस साल 15 जून तक यह इज़ाफा 40 फीसदी तक हो जाएगा। यह टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कोई भी नई नीति आप ले लो डाक्टर या एमबीबीएस बनाने के लिए उसमें पांच-सात साल लगते हैं। लेकिन जहां तक बाहर से डाक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चों की बात है, तो हमने तीन साल पहले डाक्टर्स की कमी को देखते हुए और फैकल्टी की कमी को देखते हुए पांच इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ अमेरीका, कनाडा, ब्रितानिया, न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया, जिनका स्तर बहुत ऊंचा है, इंग्लिश मीडियम भी है, दिक्कत वहां आती है जो इंग्लिश मीडियम देश नहीं हैं, हमारे बच्चों को वहां समझ में नहीं आता है, शायद दूसरे देशों के बच्चों को भी न आता हो, लेकिन जहां इंग्लिश मीडियम है, वहां एमडी डिग्री को रिकोग्नाइज किया है, जिससे वे यहां आकर फैकल्टी बन सकें। लेकिन जो एमबीबीएस करने जाते हैं, मैं यहां उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह उचित नहीं होगा। यहां एक बहुत अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। पहले हैल्थ मिनिस्टरी तो बिल्कुल ही जवाब दे देती थी कि अमुक देश रिकोग्नाइज नहीं है, फिर भी न तो उनका एग्जाम लिया जाएगा, न ही कुछ और लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि उनका एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहिए। इसलिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन उनका एनुअल एग्जाम लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब वह परीक्षा लेता था तो पांच-छः प्रतिशत से ज्यादा बच्चे पास नहीं होते थे। अब कोचिंग वगैरह शुरू कर दी है, तो वह प्रतिशत बढ़कर 20-22 तक हो गया है। मैं उन देशों में से एक-दो देशों में गया था सिर्फ यही जानकारी के लिए नहीं, बल्कि एक बाईलैटरल मीटिंग थी, इसलिए मैंने जब वहां जानकारी ली तो पता चला कि इनका स्तर ऐसा क्यों है। मुझे पता चला कि उस देश में 1000 बच्चों की एक मेडिकल क्लास होती है। आप अंदाज़ा लगाएं, जहां हमारे यहां मेडिकल की एक क्लास में 50 से 150 तक बच्चे होते हैं इनटेक में, पहले पांच साल तो 50 होते हैं, फिर पांच साल के बाद जब वह स्टेब्लाइज हो जाएगा तो उस मेडिकल कालेज को इनटेक के लिए 100 बच्चे दिए जाते हैं। उसके और पांच साल के बाद और स्टेब्लाइज हो जाए तो उस मेडिकल कालेज को इनटेक के लिए 150 बच्चे दिए जाते हैं। उन देशों में पहली क्लास के लिए ही अगर एमबीबीएस के लिए 800 या 1000 बच्चे होंगे तो वे क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आप कोई कथा सुनाते हैं, उन्हें क्लिनिकल मेटिरियल के बारे में, प्रेक्टिकल के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी।

श्री दारा सिंह चौहान : एमसीआई के द्वारा वह रिकोग्नाइज है या नहीं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हमारे देश में रिकोग्नाइज नहीं हैं। इसीलिए हमने अनिवार्य बनाया है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के द्वारा, जो बहुत अच्छा हुआ है, कि उन्हें यहां एक्जामिनेशन देना चाहिए। पहले साल में एक बार उनका एग्जाम लिया जाता था। अगर वह दो फेल हो जाए तो फिर एग्जाम नहीं दे सकते थे। अब हमने उसमें परिवर्तन किया है कि बजाए एक साल में एक दफा के, वह साल में दो दफा एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा बजाए उसे दो चांस देने के, चार-पांच-छः चांस दें, यानि जब तक वह पास न कर ले, तब तक वह एग्जाम दे सकता है। जहां तक प्रतिबंध लगाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि आज के जमाने में हम किसी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जो हजारों बच्चे पढ़कर आते हैं, उनके स्टेट को मालूम होना चाहिए कि जिस देश में वे पढ़ने के लिए जाते हैं, आने के बाद उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर वे बच्चों को इस बारे में बताएंगे, तो वे खुद उन देशों में नहीं जाएंगे।

SHRI TAPAS PAUL : Thank you, Madam Speaker. मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई कानून है कि डाक्टरी पास करने के बाद उसे दो-तीन साल गांव में जाना ही पड़ेगा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, वहां हैल्थ सेंटर्स काफी हैं लेकिन टाइम पर डाक्टर्स नहीं मिलते हैं। प्रैगनेंट महिला जब वहां आती है तो कहते हैं कि इसे कृष्णा नगर अस्पताल में ले जाओ या कोलकाता ले जाओ - यह समस्या हम बहुत फेस कर रहे हैं।

फिजीशियन सैम्पल जो मैडीकल रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, डाक्टर्स उसे गरीब आदमियों को गांव में बेचते भी हैं। गरीब आदमी को सैम्पल देकर पैसा ले लेते हैं। who are unregistered, will not be allowed to practise. ऐसे लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या कोई ऐसा कानून है कि डाक्टर्स लोग ठीक से सेंटर में बैठें और मरीजों को ठीक से देखें।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, इस प्रश्न का पहला भाग यह है कि गांव में डाक्टर को भेजने का क्या कोई रास्ता बनाया जा सकता है? यह एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिससे मैं और मुझसे पहले जो भी मंत्री रहे, वे जूझ रहे थे लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। वर्ष 2009-2010 में हमने कुछ मैडीकल कौंसिल के रुल्स में परिवर्तन किया और उसमें दो जगह पर, एक तो जो सर्विंग डाक्टर्स हैं जो एमडी के एन्ट्रेस एग्जाम के लिए नहीं जाते हैं वे वे हैं जिनकी 5 से 20 साल सर्विस हो। उसके लिए एक प्रोविजन बनाया कि अगर वह तीन साल लगातार रूरल एरिया में रहेगा तो उसके लिए एमडी डिप्लोमा में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन रखी। जो न्यू एंट्रेंस एमबीबीएस करते हैं और तुरंत एमडी के लिए नेशनल एंट्रेस एग्जाम के लिए जाते हैं, उनके लिए भी प्रॉविजन रखा कि अगर वे एमबीबीएस करने के बाद रूरल एरिया में एक

साल देंगे तो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में एक साल के बाद उसे 10 प्रतिशत मार्क्स मिलेंगे। यदि वह दो साल रूरल एरिया में रहेगा तो 20 परसेंट और अगर तीन साल रहेगा तो 30 परसेंट उसे नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि गांव में न जाने की हमारे डाक्टर्स ने ठान ली है। जो 50 परसेंट रिजर्वेशन हमने सर्विंग डाक्टर्स के लिए रिजर्वेशन रखी थी उसमें भी कोई नहीं आता है और जो 30 परसेंट रिजर्वेशन न्यू एंट्रेंस एमबीबीएस डाक्टर्स के लिए रखी थी, उसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इसके लिए मैडीकल कौंसिल के साथ बैठेगी, वैसे गवर्नमेंट मैडीकल कौंसिल के किसी काम में दखल नहीं देती है, सिर्फ पॉलिसी मैटर्स को छोड़कर और क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है। दो परिवर्तन पहले भी पॉलिसी के द्वारा आये थे, इसलिए अब हम पॉलिसी में यह बदलाव लाना चाहते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद एक साल उसके लिए अनिवार्य बना दिया जाएगा।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज हमारे देश में हृदय रोग विशेषज्ञों की बहुत बड़ी कमी है। आदमी को हार्ट-अटैक पड़ता है और आदमी मर जाता है। जहां से चुनकर मैं आया हूं वहां जिला अस्पताल बहुत बड़ा है। लेकिन वहां केवल ईसीजी की सुविधा है, इको की नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप जनपदों में हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर भेजने का काम करेंगे?

MADAM SPEAKER: How is it related to this Question?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, if I say, I have already gone beyond the Question.

MADAM SPEAKER: No, please do not go beyond the Question. Do not go so much beyond the Question.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That is why, I do not want to reply to this because the main Question is regarding registration of the doctors. Now, I think we are discussing the Health Ministry.

MADAM SPEAKER: All right. Thank you so much.

Now, I move on to the next Question.

DR. RATNA DE : Madam, I have one point on this. Please give me one minute time. There is no question to ask but only point.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No, we have moved on to the next Question.

… (*Interruptions*)

(Q. 602)

SHRI LAXMAN TUDU : Respected Madam Speaker, thank you for giving me chance to ask question in this august House.

From the reply of the hon. Minister in this House to the Unstarred Question No.1104, it is observed that the number of beneficiaries of Janani Suraksha Yojana in the tribal populated States like Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh and Odisha is very low in comparison to the other States. Madam, may I know from the hon. Minister, through you, the reason for such a low number of people taking benefit out of Janani Suraksha Yojana? Madam, it has also been observed that in tribal areas one vehicle per block is not sufficient. Madam, may I know from the hon. Minister, through you, whether the Government has planned or thought about to provide more number of vehicles to the tribal areas, including my constituency, Mayurbhanj of Odisha?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, in general under JSY, the number of JSY beneficiaries has increased tremendously over a period of time. Initially when this scheme was launched in 2005, in the first year 2005-06 the number was nearly 7,60,000. But last year, after six years, the number has gone up to 1, 08,69,843. I must say that all sections of the society have taken advantage of JSY Scheme. We have high focus areas. Then, we have other States and Union Territories. In these backward areas or tribal areas, the concession given to the ASHA is much more as compared to the other areas so that she can reach out to the people.

Insofar as vehicles are concerned, these are demand-driven. We go by the State Government's requirement. But notwithstanding that, we had identified as many as 265 districts last year, which are mostly backward and tribal populated areas, and for these 265 backward and tribal populated areas we are now going to make a special scheme both with regard to infrastructure and provision of vehicles.

SHRI LAXMAN TUDU : I agree that the scheme was launched in the year 2005. Madam, may I know from the Minister, through you, the percentage of infant and maternal mortality rate in the year 2004 and in the year 2011?

SHRI GHULAM NABI AZAD: I can give the details to the hon. Member. I may not have the individual State figures. Well, I can only tell as to what the national figure is. But, for State figures, I am afraid, whether I will be able to give at this point of time. I have the national figures of both IMR and MMR. I have the list of JSY beneficiaries. But, I do not have the State-wise list of IMR at the moment. I can send it later.

MADAM SPEAKER: You can send it later.

SHRI IJYARAJ SINGH : There is no doubt that the Janani Suraksha Yojana (JSY) has resulted in many more deliveries in institutions, that means, hospitals and health centers. There has been a decline in maternal and infant mortality rate and has given the women access to public health facilities. The data given by the hon. Minister in his reply has substantive that it is very important as to how complications are handled. At the institution, hospital or medical center, complications can be handled. But, recognizing symptoms of the complications is very critical. The ASHA worker plays such an important role in this whole process. She spends a lot of time with the pregnant mother before delivery and brings in her for consultation and medicine. Often she is present at the time of delivery and even after delivery she spends time with the new born child and the mother. She brings in them to the hospital for consultations and medication.

I would like to ask the hon. Minister whether there is any thought process of giving extra or further training to the ASHA workers so that they can better recognize symptoms of further possible complications. Is there any thought of increasing payment to the ASHA workers, which is currently Rs.600 and in the current situation it is not adequate? I would also like to ask whether there are any further thoughts of improvement in the JSY and I would be grateful if he could

reply with particular reference to the districts of Kota and Bundi, which are in my constituency.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, first of all, I would mention that I have been able to find the IMR result of Odisha. I would just in one second detail the national IMR figure. It has gone down from 58 per 1000 live birth in 2005 to 47 per 1000 live births in 2010. In so far as Odisha is concerned, the Infant Mortality Rate in 2005 was 58; in 2006, it was 73; in 2007, it was 71; in 2008, it was 69; in 2009, it was 65; and in 2010, it was 61. So, in the last six years, it has gradually come down from 75 to 61.

In so far as the question put by the hon. Member of Parliament, which is about training of ASHA workers is concerned, we have as many more than 800,000 ASHAs in the country. Almost more than 700,000 ASHAs have been provided with the kits and more than 500,000 ASHAs have been trained for First Capsule, Second Capsule, Third Capsule, Fourth Capsule and Fifth Capsule. This training is an ongoing process.

The second part of the question was whether their emoluments are going to be increased. Madam, they are not permanent. Basically, they are accredited social workers and for each scheme, as it is a demand-driven scheme, there is an incentive. Each scheme has been incentivised. We add almost two to three schemes every year and for each new scheme, a new incentive is being paid. So, the Government is not thinking of any permanent employment for them.

श्री यशवंत सिन्हा : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैं अभी हाल में अपने जिलों में जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा कर रहा था तो जैसा मंत्री महोदय ने यहां बताया कि उन्होंने वाहन की व्यवस्था की है, जो महिला प्रसूति के लिए जा रही हैं, उन्हें लेकर वे अस्पताल जायेंगे। लेकिन हमने देखा कि उनका जो उपयोग हो रहा है, वह बहुत कम है। हमने इसका कारण पूछा तो उसका कारण यह है कि उसका जो मोबाइल नम्बर है, वह दस डिजिट का है। अब दस डिजिट का मोबाइल नम्बर किसी के लिए भी याद रखना बड़ा मुश्किल है। खासकर किसी बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी हम लोग यहां चर्चा कर रहे थे, वहां पर गांव-गांव में उस वाहन का दस डिटिज का नम्बर याद रखना बहुत

मुश्किल है। इसीलिए लोग कॉल नहीं करते हैं। ...(व्यवधान) हमारे यहां झारखंड में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह डीओटी से बात करके पूरे देश के लिए एक नम्बर इन वाहनों के लिए तय करेंगे, जिसे पूरे देश में लोग जानेंगे कि यह 88 है, यह 99 है या कुछ भी है। ...(व्यवधान) जैसे 108 हमारे यहां झारखंड में नहीं है और बिहार तथा अन्य कई राज्यों में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह डीओटी से बात करके पूरे देश में एक नम्बर तय करें।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए और माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से जानते हैं कि हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है। मेरे ख्याल में हम सैन्टर से पहले ही अपनी लक्षमण रेखा स्टेट्स के इस हैल्थ वाले सब्जैक्ट में बहुत आगे क्रास कर चुके हैं। हम यहां से पहले जो प्रोविजन नहीं थे, तीन किस्म की गाड़ियां भेजते हैं। एक नॉर्मल एम्बुलेन्स, दूसरी इमर्जेन्सी रिस्पांस के लिए, जो अधिकतर शहरों में ही जाती है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी की डिलीवरी होने वाली है और तीसरा जो तीन वाहन देहात के लिए इकट्ठे जाते हैं, जहां डाक्टर्स नहीं हैं, उसमें डाक्टर्स डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल या शहर से ही जाते हैं। एक में तमाम सुविधा है, एक में डाक्टर्स हैं, एक में कंज्यूमेबल्स हैं, एक में दूसरी तमाम सुविधाएं हैं। ये तीन गाड़ियों का तीन सिस्टम का प्रोविजन हैल्थ मिनिस्ट्री से दिया गया है और यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे एक किस्म की गाड़ी मांगें, दो किस्म की गाड़ी मांगें या तीन किस्म की गाड़ी मांगें। अधिकतर कोई दो किस्म की गाड़ियां मांगते हैं या तीन किस्म की मागते हैं। ...(व्यवधान) मैं अर्ज करूंगा कि यह जननी सुरक्षा के लिए नहीं है, सभी चीजों के लिए है। अब स्टेट के मामले में जैसे आंध्र प्रदेश को हमने नहीं बताया, उन्होंने 108 किया, किसी ने 104 किया, किसी ने 106 किया। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह कौन से माडल का किस तरह से उपयोग करे, उसमें सैन्टर या गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया का रोल है कि हम गाड़ियां दे दें और गाड़ियों के लिए जो ह्यूमैन रिसोर्स है, डाक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी भी तनख्वाह दे दें। इसलिए कुछ तो वे भी करें।

SHRI HASSAN KHAN : There is alarming news from Jammu and Kashmir very recently about infant mortality. दो महीने में के.सी. पंत हास्पिटल में 358 children died. It was so alarming that the State Government constituted an inquiry into the matter. Now the inquiry report has revealed that this high rate of infant mortality is due to lack of nurses and Ashas. उनके न होने की वजह से इसमें इतना हाई रेट हुआ है। My question to the hon. Minister is नर्सेज या आशा को इंसैन्टिव की कमी नहीं है, जैसे कि यहां बोला गया कि

तीन सौ रुपये मिलते हैं, उसकी वजह से हास्पिटल्स में इन लोगों की कमी प्रैक्टिकली हमें देखने में आती है। whether it is at the stage of pregnancy where also the Ashas have to help the pregnant women. इतना हाई रेट ऑफ इनफैन्ट मोर्टेलिटी एक हास्पिटल में 358 in two months. उन्होंने यह बोला है कि इनको प्रोपर नर्सिंग नहीं होने के कारण यह हुआ है। आशा का रोल इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि वे प्रेगनेंट वूमन को एजुकेट करती हैं और हॉस्पीटल्स में लाने में भी मदद करती हैं। In hospitals also, there is lack of nurses. इस बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि इसे मोर अट्रेक्टिव बनाने के के लिए वे क्या कर रहे हैं ताकि We can get more and more nurses to look after the pregnant women.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैडम, यह मेरे ज़हन में भी आया है और यह बहुत ही चिंताजनक विषय है कि श्रीनगर शहर, जो स्टेट का समर कैपिटल है, में यह व्यवस्था हो जाए। इसमें आशा का रोल नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम है कि आशा का रोल, गांवों में नौ महीने की प्रेगनेंसी के दौरान उसे फॉलिक एसिड देना है, आयरन टैबलेट्स देना है। फिर उसके बाद डिलिवरी के वक्त उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। अधिकतर इस तरह की जो आशाएं हैं, वे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक या सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक ले जाती हैं। स्टेट हॉस्पिटल, कैपिल तक तक तो नहीं जाते हैं। वहां आशा का रोल ज्यादा नहीं है। वहां डॉक्टर और नर्स का रोल है। स्टेटे गवर्मेंट का हॉस्पिटल है तो यह उनको देखना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है और उसे कैसे पूरा करें। खास तौर से अण्डर सर्वड एरियाज़ में जिस तरह से नर्सेज़ और एएनएम की कमी है। जो सेंट्रल इण्डिया है, इस्ट्रन इण्डिया है, नार्थन इण्डिया है, इसमें नर्सेज़ और एएनएम की कमी है। इसीलिए पहली दफ़ा केंद्रीय सरकार ने 269 एएनएम और जेएनएम स्कूल अण्डर सर्वड एरियाज़ में भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर मे तकरीबन 20 एएनएम और जेएनएम इन तीन सालों में दिए गए हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां अभी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि राज्यों को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन यह उनका काम है कि उसका लाभ कैसे उठाएं। अगर वे उसका फायदा नहीं उठाएं तो क्या कर सकते हैं। जहां एएनएम और जेएनएम की नर्सेज़ के स्कूल हैं, वहां बनाने के लिए हमने पैसे भी दिए। अब हम तो बना नहीं सकते हैं, यह तो राज्यों को बनाने होंगे।

(Q. 603)

SHRI P.T. THOMAS : With regard to the answer given by the hon. Minister, I would like to point out some important issues. Recently, in Kerala, four DDM offices in the districts of Kozikhode, Ernakulam, Pathanamthitta and Kollam have been closed by NABARD. They are either re-located or tagged with offices in other places. It will badly affect the interest of people of Kerala who are living in those districts, especially the farmers engaged in paddy, rubber and coconut cultivation. It will also affect the fishermen community as well as SHGs. It is really a discrimination against Kerala. There are only 13 offices in Kerala and four have been closed whereas in Andhra Pradesh, 21 offices are there and none has been closed. In West Bengal also, no office has been closed.

Taking into account the reply given by the hon. Minister, it is a real discrimination against Kerala to close down four offices. My humble request and question is this. Is there any criterion for closing or re-locating DDM offices? Why have four DDM offices been relocated in Kerala? Will the Government reconsider the matter?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, it is true that some of the DDM offices are relocated elsewhere in the country and they are tagged with offices in the other districts. But I would like to inform the hon. Member that the relocation of the offices of DDM is not aimed at putting a halt to the development process in the district. The preparation of PLPs and initiatives, which have been taken up in the districts will continue as before. NABARD is mandated to play, monitor and coordinate agriculture credit disbursements for the entire State, and there is no departure from the mandate.

I would assure the hon. Members that these relocations have been done by NABARD considering the requirements of servicing the far-flung backward districts; Left Wing Extremism-affected districts; and women SHGs in other priority areas. We have relocated these offices where very less number of offices

are there like in J&K we have relocated six offices; one in Tripura; one in Arunachal Pradesh; one in Meghalaya; one in Mizoram; and one in Nagaland.

All the more, the function of the DDMs is primarily one-man office. They are only a one-man office. NABARD is an officer-oriented organisation, and there is one officer posted in a particular district. DDMs are not dealing with financial matters, and DDMs have no direct exposure with the public.

In Kerala, there are as many as 50 officers in the Regional Offices and they are responsible for all development activities. Therefore, all the development activities will be looked after well by the DDMs of the adjoining district or the Regional Office itself.

SHRI P.T. THOMAS : Madam, my second supplementary is regarding the lending policy of NABARD. Is there any provision for direct lending to Primary Agriculture Societies and Central Cooperative Banks by NABARD?

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Madam, NABARD is mandated for short-term crop loan; financial limits for cooperatives and RRBs; long-term refinance to banks for investment activities like tractors, orchard, etc.; and RIDF loans to State Governments. These are the functions of NABARD.

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, जो नाबार्ड बैंक है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, इसका रोल सीधा जनसरोकार से जुड़ा हुआ नहीं है। वह इन्फ्रास्ट्रक्चर जो हमारी आधारभूत संरचना ग्रामीण क्षेत्रों की है, को-ऑपरेटिव के थ्रू गांव में कृषि के विकास में नाबार्ड बैंक के थ्रू ऋण देने में मदद करते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जो बहुत ही कुशल, अनुभवी हैं और देश के जाने-माने राजनेता हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे भारतवर्ष में जहां कस्बों की, गांवों की दो हजार की आबादी है, वहां बैंक की शाखा खोली जाएगी। इन्होंने तीन बहुत बढ़िया योजनाएं चलायीं, किसान क्रेडिट कार्ड का, एजुकेशन लोन का गरीब बच्चों के लिए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिससे गरीब, जो शिक्षित नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले, ये तीन योजनाएं चलायीं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जहां दो हजार की आबादी है, उन क्षेत्रों के लिए एमपी अनुशंसा करते हैं। आप तो बहुत समय से लोक सभा में हैं, हम तो लोक सभा में नये आये हैं।

हम लोगों की जानकारी है कि कहाँ आबादी है। माननीय सांसद जहाँ के लिए अनुशंसा करते हैं कि यहाँ आबादी है, यहाँ बैंक खोलिये, आप पूरे देश में पता कर लीजिए कि पूरे देश में जो एम.पी. की अनुशंसा होती है बैंकों को खोलने के मामले में, उसकी पूरी अनदेखी होती है, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं।

दूसरी बात यह है कि बैंक की शाखा जब खुलती है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, जब बैंक की शाखा खुलती है तो लोक सभा के माननीय सांसदों को कोई आमंत्रण नहीं मिलता है। अधिकारी जाते हैं, फूलमाला पहनते हैं और किसी एम.पी. को नहीं बुलाया जाता है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बैंक खोलने में लोक सभा सांसदों की जो रिकमंडेशन होगी, उसको तवज्जो देगी, तरजीह देगी? जहाँ सांसदों के क्षेत्र में बैंक की ब्रांच खोली जाएगी, क्या सादर उनको वहाँ आमंत्रित किया जाएगा? इसके अलावा जो तीन योजनाएँ सरकार की हैं - एजुकेशन लोन, प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन योजना और किसान क्रैडिट कार्ड, जिसमें पूरे देश में गड़बड़ी है, बैंक मनमानी करते हैं एजुकेशन लोन देने में, प्रधान मंत्री रोज़गार योजना का लोन देने में और किसान क्रैडिट कार्ड देने में, क्या इस पर नियंत्रण करने के लिए सांसदों की कोई भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ये तीन सवाल हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया : तीन सवाल कैसे पूछ लिये? मंत्री जी एक का जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Hon. Member, I am on my legs.

The hon. Member has expanded the question much beyond the scope of it. The question is related to NABARD, the relocation of certain District Development Managers' offices and the creation of new offices. It is not about opening of bank branches, or bank branches expansion scheme.

There are 510 districts, not villages, which are covered by NABARD – DDMs, 406; and individual offices in 104 districts are attached to it. Yes, there may be a requirement of more district-level offices. We have done it because as my colleague has already explained, some of the offices which have been relocated are mostly in the North-Eastern Region under Special Category.

A number of times, questions have been raised and discussed about the expansion of branches of the nationalized banks. We have taken the target. I do agree that there has not been a wide coverage by public sector banks in the rural areas. Since 40 years of the nationalization of the banks, we are having a total of 93,659 bank branches. There are six-lakh villages. Of these 93,659 bank branches, about 63 per cent is located in the rural and semi-urban areas. That is why we decided that if we cannot open a brick and mortar bank branch, at least, we should provide the banking facilities through modern technology, by Business Correspondents, and by mobile banks. If we have to cover a large number of villages, it will take some time, but we are trying. In the last two years, over 74,000 villages have been covered with a population of 2,000 and above. Still, there are certain areas and the hon. Member has mentioned one such particular area. I will like to look into, if he kindly passes on that information to me. There may be many other areas that are not covered.

In regard to invitation to the MPs, I take it very seriously. I will find out why there have been lapses because my standing instruction to all the nationalised public sector banks is that the local MPs must be invited. However, I do not agree that the MPs should be involved at the time of credit disbursement or loan disbursement. But normal courtesy to remain present in the bank branch opening in his constituency or her constituency must happen and if it does not happen, I sincerely apologise for it and I will ensure that, henceforth, it is strictly complied with.

श्री निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदया, हम जिस राज्य से आते हैं, वह झारखण्ड है। दादा का जिला पहले संथाल परगना हुआ करता था। वीरभूम जिले का पार्ट संथाल परगना हुआ करता था। मैं तीन जिले का निगरानी का अध्यक्ष हूं, लेकिन तीन साल हो गए हैं, आज तक नाबार्ड का कोई अफसर मुझे दिखाई नहीं दिया है। आपने ब्रांच के बारे में कहा है, लेकिन मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि स्विस डेवलपमेंट कोर्पोरेशन का फण्ड नाबार्ड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर कम्पनी है। स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नाबार्ड का एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि आर्टिज़न कल्स्टर के लिए है, जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए है और जो कि

मार्किट प्रमोशन के लिए है। वर्ष 2005 तक वह फण्ड सारी ब्रांचों में अनयूटिलाइज़ पड़ा हुआ था। वर्ष 2005 के बाद नाबार्ड ने एक रिव्यू कमेटी बनायी। वर्ष 2005 और 2012 के बीच में उस फण्ड का कितना यूटीलाइजेशन नाबार्ड की सभी ब्रांचेज़ ने किया है और खासकर हमारे यहां SRE डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि झारखण्ड के 22 जिले वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित हैं। हमारे जिलों में इसका क्या उपयोग हुआ है? यह मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, the hon. Member is correct. The NABARD's exposure to the common people is less because the NABARD's job is not to disburse the loans. The NABARD's job is to help the other developmental agencies including the banks for refinancing the institutions and to build up the institutions. Therefore, its interaction is more with the official levels than with the public. But in respect of the certain developmental projects which have been exposed to the NABARD as the hon. Member referred to, in his constituency and in certain districts and if it has not been complied with, I will look into it.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam, as per the reply statement, it appears that NABARD has been undergoing restructuring and repositioning exercise. The NABARD is appeared to have been diversifying its area of operation nowadays and making even foray into the commodity exchange and even to the warehousing or storage facilities.

Madam, the Government has been increasing the quantum of loan to the farmers exponentially year after year. This year, it has been increased to the tune of Rs. 5, 75, 000 crore but it is intriguing to note that when the growth of the credit to the agriculture sector has been growing consistently, the number of farmers accounts in the bank has not been found in commensurate with the growth of the credit.

In this regard, primary agriculture cooperative society can play a significant role for far reaching areas of this country for financial inclusion. It is also one of the paramount objectives of this Government. So, whether this Government is pondering over involving PACS which is numbering more than 90,000 to be

involved by providing them adequate fund facilities so as to reach to those farmers who are still deprived of having a formal agriculture credit.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, it is partly true. The quantum is increasing. But it is not commensurate with the number of the farmers, maybe because some of these facilities are taken by relatively large farmers. Therefore, we are also looking into that aspect.

But the second question is more important. It is the mandate of the NABARD not only to refinance the agricultural credit societies to build up their capacity to refinance the Regional Rural Banks and also to help the other agencies involved in the disbursement of the credit. So, this is one of the legitimate mandates of the NABARD and they are doing that job.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यह है कि क्या नाबार्ड का देश भर के विभिन्न राज्यों स्थित अपने कुछ जिला कार्यालयों को बंद करने का विचार है? उत्तर में यह लिखा है कि दूर-दराज स्थित पिछड़े हुए जिलों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, और ऐसे जिले जहां महिला स्वयं सहायता समूह हैं, वहां उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, यहां सवाल बंद करने का है तो उत्तर में कहा गया है कि प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मेरा सवाल स्पेसिफिक है। मेरा जिला है वैशाली। वैशाली में पहले से एक जिला कार्यालय है। उसको हटाने का निर्णय हुआ। वहां पर कोलाहल मचा हुआ है। वहां के लोग इसके लिए लिखा-पढ़ी कर हमारे पास आ रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को लिखित में भी दिया है। लेकिन, अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं कि इनका जो उत्तर है कि पिछड़ा जिला, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला, और स्वयं सहायता समूहों की ये सहायता करना चाहते हैं। क्या ये तीनों बातें वैशाली जिला में है या नहीं? अगर वैशाली जिला में ये तीनों बातें हैं तो क्या इसको नहीं हटाने पर सरकार विचार करेगी? वहां पहले से एक बैंक का कार्यालय है उसको तो ये लोग हटा रहे हैं और कहते हैं कि नया बैंक खोलेंगे। इसलिए वैशाली में जो नाबार्ड का कार्यालय है, क्या उसको रहने देने पर सरकार विचार करेगी?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: As far as Vaishali is concerned, it has been relocated. As I mentioned, from where the Development Authority will shift it or relocate that, that will be looked into by another CGM office of the adjacent

district. That is why, I mentioned that the intention is not to reduce the number. The intention is, sometimes to relocate it or to rationalize it. This experiment is being done. But if it is found necessary that the activities in the district from where the office has been relocated, are being hampered, we will immediately rectify it. I have received the representation in respect of Vaishali and I am looking into it.

(Q.604)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, देश के सरकारी बैंकों में कई लाख करोड़ों के ऋणों की अदायगी बकाया है। दिसम्बर, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सात लाख सत्ताइस हजार करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक की दो लाख आठ हजार करोड़ रुपए, कैनरा बैंक की दो लाख छियालिस हजार करोड़ रुपए की रक़म बकाया है। इस अदायगी के लिए कई खाता धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। परन्तु, कई लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की 43 डी, लोक वित्तीय संस्था अधिनियम इत्यादि नियम के सहारे बकाएदारों की सूची को सार्वजनिक होने से बचाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछें। समय कम है।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, किसानों के ऊपर हजार रुपए के ऋण के लिए उन्हें परेशान किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछें, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : महोदया, इसके लिए उनकी खेती-बाड़ी, घर को नीलाम किया जाता है। इसलिए सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदया, मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या बैंकों को अपने ऋण की वसूली करने में कोई परेशानी होती है या ऋण वसूली न करने का दवाब डाला जाता है? इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री नमो नारायन मीणा : महोदया, जहां तक लोगों पर किसी प्रकार के दबाव डालने का सवाल है, यह बिल्कुल सही नहीं है। हमारे बैंक के पास जो लोन आउटस्टैंडिंग है

वह हर साल बढ़ता जा रहा है। पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने 2012 में 35.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण एडवांस किये हैं। जहां तक रिकवरी का सवाल है, रिकवरी हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस है। हमारे बैंकों का एन.पी.ए. संतोषजनक है और यह वाला एक तरह का प्रोसेस है। इसी प्रकार से किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। हमारे लीगल मैथड्स हैं, सक्सैशन एक्ट है, डी.आर.डी. एक्ट है, लोक-अदालतें हैं, इनके जरिये सारे लोन वसूल किये जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6932/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6933/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.275(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(ii) G.S.R.276(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 18/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(iii) The Central Excise (Third Amendment) Rules, 2005 published in Notification No. G.S.R.271(E) in Gazette of India dated 30th March, 2012 together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 6934/15/12)

(2) A copy of the Notification No. G.S.R. 284(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th April, 2012, together with an explanatory memorandum superceding Notification No. 35/2004-Cus. (N.T.) dated 19th March, 2004 under Section 159 the Customs Act, 1962.

(Placed in Library, See No. LT 6935/15/12)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R.285(E) and G.S.R.286(E) published in Gazette of India dated 4th April, 2012, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 04/2012-Cus.(ADD), dated 13th January, 2012.

(ii) G.S.R.287(E) published in Gazette of India dated 4th April, 2012, together with an explanatory memorandum seeking to extend levy of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Perozosulphates’ also known as ‘Persulphates’ originating in, or exported from, China PR and Japan upto and inclusive of 18th March, 2013, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iii) G.S.R.290(E) published in Gazette of India dated 12th April, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 112/2007-Cus., dated 30th October, 2007.

(iv) G.S.R.273(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2012 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6936/15/12)

(4) A copy of the National Small Savings Fund (Custody and Investment) Amendment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 264(E) in Gazette of India dated 30th April, 2012 under article 283(1) of the Constitution.

(Placed in Library, See No. LT 6937/15/12)

(5) A copy of the Notification No. S.O.904(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th April, 2012 notifying that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of April, 2012 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.8 per cent per annum issued under Section 5 of the Provident Fund Act, 1968.

(Placed in Library, See No. LT 6938/15/12)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-

(i) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R.318(E) in Gazette of India dated 25th April, 2012.

(ii) The National Savings Certificates (IX Issue) (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R.319(E) in Gazette of India dated 25th April, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6939/15/12)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873:-

(i) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R.320(E) in Gazette of India dated 25th April, 2012.

(ii) The Senior Citizens Savings Scheme (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R.321(E) in Gazette of India dated 25th April, 2012.

(iii) The Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R.322(E) in Gazette of India dated 25th April, 2012.

(iv) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R.323(E) in Gazette of India dated 25th April, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6940/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6941/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6942/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the SJVN Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6943/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the Power Grid Corporation of India Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6944/15/12)

(3) Memorandum of Understanding between the North Eastern Electric Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6945/15/12)

(4) Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6946/15/12)

(5) Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and the NHDC for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6947/15/12)

(6) Memorandum of Understanding between the THDC India Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6948/15/12)

(2) A copy of the Annual Budget (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6949/15/12)

(3) A copy of the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-1/18/2012-CERC in Gazette of India dated 30th March, 2012 under Section 179 of the Electricity Act, 2003.

(Placed in Library, See No. LT 6950/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6951/15/12)

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions

within the stipulated period of nine months after the close of the different accounting years, mentioned therein:-

S.No.	Name of the Institutions	Accounting Year(s)
1.	PGIMER, Chandigarh	2010-11
2.	AIIMS, New Delhi	2010-11
3.	FSSAI, New Delhi	2010-11
4.	Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad	2010-11
5.	RST, Nagpur	2010-11
6.	MINJIO, Hyderabad	2010-11
7.	Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore	2010-11
8.	Kamla Nehru Memorial Hospital, Allahabad	2010-11
9.	GCRI, Ahmedabad	2010-11
10.	National Institute of Naturopathy, Pune	2010-11
11.	National Institute of Homoeopathy, Kolkata	2010-11
12.	CNCI, Kolkata	2009-10 & 2010-11
13.	B. B. Cancer Institute, Guwahati	2007-08 to 2010-11

(Placed in Library, See No. LT 6952/15/12)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Cancer and Research Institute, Ahmedabad, for the years 2007-2008 to 2009-2010, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Cancer and Research Institute, Ahmedabad, for the years 2007-2008 to 2009-2010.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 6953/15/12)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kamala Nehru Memorial Hospital (Regional Cancer Centre), Allahabad, for the years 2007-2008 to 2009-2010, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kamala Nehru Memorial Hospital (Regional Cancer Centre), Allahabad, for the years 2007-2008 to 2009-2010.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 6954/15/12)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, for the years 2007-2008 to 2009-2010.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, for the years 2007-2008 to 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, for the years 2007-2008 to 2009-2010.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 6955/15/12)

12.01 hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
Minutes

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदया, मैं 10 मई, 2012 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.01 ¼ hrs.

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
(i) 14th and 15th Reports

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (JODHPUR): I beg to present the following Reports (English and Hindi versions) of the Committee on Empowerment of Women (2011-2012):-

(1) Fourteenth Report on the subject 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and Empowerment of Women in Rural Areas'.

(2) Fifteenth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Tenth Report of the Committee (2010-11) on the subject 'Women in Armed Forces'.

(ii) Statement

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI : I beg to lay on the Table the Final Action Taken Statement (Hindi and English versions) of the Government on the recommendations contained in Chapter-1 of the Second Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women on the subject 'Working Conditions of Women in Prasar Bharati'.

12.01 ½ hrs.

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
3rd Report

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Railway Convention Committee (2009) on 'Rate of Divident for the year 2012-13 and other Ancillary Matters'.

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
20th and 21st Reports

SHRI JAYWANT GANGARAM AWALE (LATUR): I beg to present the Twentieth and Twenty-first Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2011-12) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the:-

(1) Tenth Report of the Committee (2009-10) on the subject "Production, Consumption and Pricing of Sugar" pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(2) Twelfth Report of the Committee (2010-11) on Demands for Grants (2011-12) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

12.02 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS
222nd to 228th Reports

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

(1) Two Hundred Twenty-second Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Department of Atomic Energy.

(2) Two Hundred Twenty-third Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Department of Science & Technology.

(3) Two Hundred Twenty-fourth Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Ministry of Environment & Forests.

(4) Two Hundred Twenty-fifth Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Department of Space.

(5) Two Hundred Twenty-sixth Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Ministry of Earth Sciences.

(6) Two Hundred Twenty-seventh Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Department of Scientific and Industrial Research.

(7) Two Hundred Twenty-eighth Report on Demands for Grants (2012-2013) of the Department of Biotechnology.

12.03 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
39th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to present the Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee.

12.04 hrs.

STATEMENTS BY MINISTER

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 152nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the bservations/Recommendationscontained in the 140th Report of the Committee on "Promotion of Tourism in Jammu and Kashmir", pertaining to the Ministry of Tourism. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 152nd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 140th Report of the Committee on "Promotion of Tourism in Jammu and Kashmir", pertaining to the Ministry of Tourism.

(i) (b)Status of implementation of the recommendations contained in the 153rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 149th Report of the Committee on "Development of Tourism Infrastructure and Amenities for the Commonwealth Games 2010", pertaining to the Ministry of Tourism. *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 153rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 149th Report of the Committee on "Development of Tourism Infrastructure and

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6956/15/12 and 6957/15/12, respectively.

Amenities for the Commonwealth Games 2010", pertaining to the Ministry of Tourism.

12.05 hrs

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
Situation arising out of severe Drought in Karnataka

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The situation arising out of severe drought in Karnataka and steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): Madam Speaker, I share the concern of hon. Members on severe drought condition in the State of Karnataka resulting in failure of Kharif and Rabi crops.

In the wake of natural calamities including drought, immediate relief works are required to be taken by State Government concerned. There is ready availability of funds for this purpose under State Disaster Response Fund, SDRF which has been constituted for each and every State with contributions from the State Government and the Central Government in the ratio of 3:1 for 17 General Category States and in the ratio of 9:1 for 11 Special Category States of North-Eastern Region including Sikkim and 3 hill States of Himachal Pradesh, Uttarakand and Jammu & Kashmir.

Additional financial assistance, over and above SDRF, is considered from NDRF for natural calamities of severe nature and is approved on the basis of Memorandum of State Governments in accordance with established procedure and extant norms.

During the year 2011-12, Government of Karnataka had an allocation of Rs. 169.01 crore under SDRF out of which the Central share was Rs. 126.76 crore and the State's share was Rs.42.25 crore. Entire Central share of SDRF was released to the State Government.

Government of Karnataka submitted a detailed memorandum on 28.11.2011 to Department of Agriculture & Cooperation, DAC, Ministry of Agriculture, Government of India, seeking Central assistance of Rs. 723.24 crore from NDRF. It declared drought in 99 talukas covering 23 districts from out of 176 talukas in 30 districts.

With a view to assess the loss/damage due to drought of 2011 and recommend quantum of central financial assistance, an Inter-Ministerial Central Team, IMCT comprising representatives from Central Ministries/Departments viz. Department of Expenditure, Planning Commission, Ministry of Water Resources, Ministry of Power, Ministry of Health, Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water & Sanitation, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Crop Division & Horticulture Division of Department of Agriculture & Cooperation was constituted on 30.11.2011.

The Central Team visited drought affected areas in the State from 15.12.2011 to 18.12.2011 to assess the loss/damage caused due to drought of 2011. The State Government submitted a revised memorandum to the Central Team during their visit in respect of 109 talukas (adding 10 more drought declared talukas) seeking Central assistance of Rs.2605.99 crore from NDRF.

The Central Team recommended an amount of Rs. 296.58 crore. Finally, Government of India approved an amount of Rs. 186.68 crore to the Government of Karnataka, of which Rs.70.23 crore was released and Rs. 116.45 crore was adjusted from the State's SDRF balance, as per extant norms.

Subsequently, an All Party Delegation led by the Chief Minister, Government of Karnataka met Union Agriculture Minister on 02.05.2012 and apprised him of the problems prevailing in the State. Accordingly, Ministry of

Agriculture constituted an Inter-Ministerial Central Team, IMCT to re-assess the loss/damage and recommend appropriate financial assistance for the drought of 2011. The Central Team visited the drought affected areas in Karnataka during 13-16 May, 2012 with a view to reassess the loss/damages.

SHRI PRALHAD JOSHI : Thank you Madam for giving me an opportunity to raise a very important issue concerning the State of Karnataka. I am very sorry to say that the Statement of the Minister, in reply to my Calling Attention, is very disappointing and very-very casual.

The Karnataka State is under severe drought situation. It is one of the worst in the last 42 years. Rainfall also is the lowest ever in the last 42 years. After 1971, Karnataka has never seen such a severe drought. Out of 176 talukas, 123 talukas are affected with drought. The State Government has declared them as drought-hit talukas. The total loss estimated is to the tune of Rs.5,953 crore. The Government of Karnataka with its limited resources is trying to do its best. Madam, as I have already told, the total agricultural crop loss is to the tune of Rs, 5,953 crore. There is a severe shortage of fodder. Fodder banks have been opened. *Gaushallas* have been opened. Let me tell you Madam that the drinking water problem is so acute in 4853 villages that in more than 450 villages water is being supplied through tankers. Out of 3,475 minor irrigation tanks 1,242 tanks have dried up. There is not even a drop of water. Even in the tanks which had been used by the cattle to drink water, not a single drop of water is there. They have totally dried up. The groundwater level has touched the lowest ever. Average water level is 1250 ft. which is the lowest in the recent past.

With regard to the total loss, all put together, the Karnataka Government led by the hon. Chief Minister has submitted a detailed Memorandum to the Union Agriculture Minister and the Union Finance Minister. We have also met the Prime Minister and have demanded an immediate relief of Rs.1,500 crore because the total crop loss is to the tune of Rs.5,953 crore and the total relief sought is Rs.2,605 crore. For this purpose the Karnataka Government has requested for an

immediate relief of Rs.1,500 crore and 3 lakh metric tonnes of rice and 57,200 metric tonnes of wheat. The Minister in his statement has said that during 2011-12, the Government of Karnataka had an allocation of Rs. 169 crore under SDRF, out of which Central share was Rs. 126 crore and States' share was Rs. 42.25 crore. The entire share of SDRF was released. Is it a favour or is it a help which can be given to the States?

My straight question to the Minister is this. For what NDRF do exist? If at all you are talking of the SDRF, it is a State's right. I would like to say that as per the recommendations of the Finance Commission, whether there is a severe calamity or not, we have to give the funds for SDRF. The magnitude of drought is so high that there is no drinking water and farmers are trying to sell their cattle. But there are no buyers. Some of the farmers are forced to send their cattle to the slaughter houses. Such is the situation there. You are quoting in your statement that in respect of additional financial assistance, SDRF is considered over and above from the NDRF for the natural calamities of the severe nature.

Madam Speaker, I would like to ask through you to the Minister whether he considers it a very severe natural calamity of the country or not. Does Karnataka not exist on the Union Government's map? What is the use of talking all this? There is so casual approach. When the Memorandum was submitted in December itself, at that time itself the Central team was sent. After that, the assessment of the loss was around Rs. 2700 crore and relief sought was for Rs. 723 crore. When the Central team was sent, it toured the entire State of Karnataka from 15th December, 2011 to 18th December, 2011. After that, they had submitted the report. According to their report itself and as stated in your Statement, the Central team had recommended an amount of Rs. 296.58 crore. Finally, the Government of India approved an amount of Rs. 186 crore to the Government of Karnataka, out of which Rs. 70.23 crore was released and Rs. 116 crore was adjusted from the SDRF balance as per the extant norms. If you consider this as normal course, then what people of Karnataka should think about the Government of India? They feel

that the Central Government does not want to come to the help of the State Government as the State of Karnataka is ruled by other Party. This is what the people of Karnataka feel. I have already told that there is no water. All water tanks have been dried up. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI PRALHAD JOSHI : You can also give the notice.

MADAM SPEAKER: You do not have to respond to them.

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam Speaker, they are disturbing me. They can also give the notice and talk. I have no objection to it.

MADAM SPEAKER: You continue please.

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, my only request is this. After repeated memorandums, after repeated requests, after raising this issue in the House, after meeting the Prime Minister and after visiting of the two teams when no relief was given to the State of Karnataka, then only we are raising this issue in the House and we are making such statements. All along we tried to convince the Government of India. Otherwise, we never intended to politicize this issue. Unfortunately, the *kharif* relief which was supposed to be settled during December have not so far been settled. More than six months have elapsed. So, we have been forced to raise this issue in this august House and question the Government of India. We went from pillar to post for getting the relief.

Initially, the Government of Karnataka asked for Rs. 2700 crore but the total loss is Rs.5900 and odd crore. In such a situation, I would request the Government that Rs.1500 crore has to be released immediately as an interim relief out of NDRF. This is my first demand. Secondly, 3 lakh tonnes of food grain has to be released immediately and 57,200 metric tonnes of wheat has to be released.

My another request to the Government is regarding the norms for giving relief for crop loss whether it is during flood or drought or natural calamity. The

* Not recorded.

CRF provides only a meagre amount of Rs.2000 per hectare and in some cases, it is Rs.3000 per hectare. It means it is less than Rs.800 to Rs.1000 for per hectare loss of crop. I urge upon the Government to increase this. The cost of cultivation is more than Rs.8000 per hectare.

Madam, in anticipation of rain, sowing was already done. It was a double damage. The relief is between Rs.2000 to Rs.3000 per hectare as per the CRF norms. This norm has to be changed. The National Sample Survey Organisation has already said that more than 40 per cent of the farmers in the country want to relinquish the farming activity if they are given any alternative occupation. Therefore, I would request the Government to increase the relief amount.

If there is any crop damage, crop insurance is one of the biggest relief. But unfortunately, due to very cumbersome process of crop insurance, more than 60 per cent of the farmers do not want to go for crop insurance. There are two reasons for this. Firstly, it has been handed over to the banks but they are not interested to take up this work. They feel that it is a burden on them. Only the persons who come to the bank for loan, they are put compulsorily under the crop insurance. But these banks do not listen to anybody except RBI. Therefore, the RBI should force the bankers to work on this. One of the flagship programmes of the Government of India is to bring the farmers in the banking net. Despite that, 60 per cent of the farmers are not in the banking net. They do not want to go for the crop insurance because of these reasons.

There is another reason due to which the farmers are not going for crop insurance. Just for example, in Karnataka, the *kharif* of 2011 was supposed to have been settled in October-November, 2011 has not so far been settled. More than one year has passed but so far this insurance settlement has not been done. It is because the Agricultural Corporation of India does not have any network in the country.

I would like to urge upon the Agriculture Insurance Corporation of India to either they should have network, or they should entrust this work to the district

administration so that all those whatever crop cutting experiments have to be done it has to be done by the district administration. Moreover, a village should be made a unit. Now, Hubli has been made a unit. Rain is so erratic that one cannot assess the crop cutting experiments. So, as far as crop insurance is concerned, a village should be made unit so that at least through the crop insurance a farmer can get the benefit.

Madam, with this request I would like to urge upon the Government to immediately release a sum of Rs.1500 crore to the Government of Karnataka and also 3 lakh MT of wheat and 57,000 MT of rice should be released to the State of Karnataka.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, thank you for giving me this opportunity. I expected our hon. Minister Shri Sharad Pawar to be present here to reply to this Calling Attention notice. However, there are other Ministers like Shri Rawat, Shri Shinde and our hon. Ministers from Karnataka Shri Muniyappa and Shri Moily are here.

Madam, when I went through the Statement of the hon. Minister, I found that the hon. Minister has said in his opening remarks, I share the concern of hon. Members on severe drought condition in the State of Karnataka resulting in failure of Kharif and Rabi crops. Even the Central Government also knows that the drought condition in Karnataka is very severe. It is so severe that in the last 42 years this is the severest drought condition that the State of Karnataka is witnessing. Such a condition is not only in the State of Karnataka, but also is prevailing in adjoining Maharashtra, Andhra Pradesh and in some other parts of the country. But when with great anguish the hon. Members have raised this issue, we expected that the Government of India would respond to this with all seriousness. But when I went through the Statement it pains me. The only word I can use is callousness of the Government of India towards the drought affected

people of the country, especially of Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra and some other States.

I would like to request the hon. Minister, through you, to please refer to page no. 2 of the Statement. It says, "The Central Team recommended an amount of Rs. 296.58. Finally, Government of India approved an amount of Rs. 186 crore of which Rs. 70.23 crore has been released". Shri Prahlad Joshi was mentioning that the amount of loss -- only in the State of Karnataka in which 24 districts and 126 *talukas* have been affected, thousands and thousands of villages have been affected and also the drought is not on account of a single reason, it is a double drought because both Kharif and Rabi crops both have been lost -- was to the tune of Rs. 5,953 crore. What is the amount that the Government of India has released? It is just Rs. 70 crore. Not only that further it has been said that a sum of Rs. 116.45 was adjusted from the State SDRF balance as per extant norms. The State Government has written a letter to the Central Government stating that the State does not have any balance in the SDRF account. Now, when the State does not have any balance in the SDRF account, how is the Central Government going to adjust with the zero balance? There is no money there. Who is the Central Government hoodwinking? यह धूल झोंकना, गुमराह करना और भ्रमित करना है। सदन को भ्रमित कर रहे हैं। Actually, we have requested about it to the hon. Prime Minister and the Minister for Agriculture. During that meeting, even all the Members from Karnataka were there. With the Members of the JD(S) also, we went and met the hon. Prime Minister. He said that he will be having a discussion with the Home Minister.

I understand that after the passing of the Disaster Management Act, they have changed the nomenclature. From CRF and NCCF, it has become NDRF and SDRF. What is the meaning of NDRF, Madam? The meaning of NDRF is National Disaster Response Force. If there is a severe calamity anywhere in the country, they will rush there. As Shri Pralhad Joshi was saying, in November, when we approached the Government that we require Rs. 2500 crore, we asked

Rs. 723 crore from the NDRF. But they have given only Rs. 17 crore. They have not given the rest of the amount. They took three weeks to send the team. The team took three months to submit their report. They have now sent the team in the rabi season and I do not know when they are going to submit their report. That means, for the last one year, the entire State is reeling under drought season. There is no water, no food and fodder for the livestock available.

During the period of Shri Vajpayee, when Shri S.M. Krishna was the Chief Krishna, I was the Minister for Urban Development. They all know the situation then. They wanted ration for the people suffering there. Immediately, we gave 3.5 lakh metric tonnes of rice to Karnataka. We gave it within three days. We are asking relief by way of Rs. 1500 crore. We are asking 3 lakh tonnes of rice and 54,000 tonnes of wheat. Not a single grain has been sent to Karnataka.

I want to ask Shri Rawat and Shri Muniyappa as he hails from Karnataka, as to why this negligence, apathy and callousness towards Karnataka. Shri Veerappa Moily is here. His areas are in drought. The areas of Shri Muniappa are in drought.

Shrimati Sonia Gandhi visited Siddaganga Math. When she came there, she went to drought-prone areas also. We thought, she being the Chairperson of the UPA, Chairperson of the NAC, that she will advise the Prime Minister, the Agriculture Minister, Finance Minister and the Home Minister to immediately provide relief to Karnataka. We expected it. But nothing has been done.

I have my own doubt about it. The six crore people of Karnataka have their own doubt whether Shrimati Sonia Gandhi came there to sympathise or to play politics with the people of Karnataka. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): As the UPA Chairperson, she has certainly talked with the Government to look into the scarcity in not only Karnataka but also in Maharashtra. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Madam, if he can yield, I would like to say something.

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, I am not yielding to Shri Moily.

When the all-Party delegation, under the leadership of Shri Sadananda Gowda, met Shri Sharad Pawar, we said that more than 4658 villages are not having drinking water. We also said that more than 1200 tanks have dried up. We requested him to speak to the Chief Minister of Maharashtra, the Irrigation Minister of Maharashtra and to leave 1.2 TMC of water from Varna river to Karnataka so that the villages under Bijapur, Bagalpur, Began, Chikkodi will get drinking water.

On the floor of this House, I want to thank Shri Sharad Pawar as he immediately spoke to the Chief Minister and the Irrigation Minister and the required water was released. We thank him for that. But how can we thank Shrimati Sonia Gandhi? How can we thank Shri Rawat?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Do not make politics.

SHRI ANANTH KUMAR : Shri Moily, we are not making politics. We met the Prime Minister in November. One month back Shrimati Sonia Gandhi visited Karnataka. We asked for three lakh metric tonnes of grains and rice, 54,000 metric tonnes of wheat, and a financial assistance of Rs. 1,500 crore. But nothing has been provided. They are saying: 'You adjust it with the future balance'. But there is zero balance.

Therefore, my question to the hon. Minister, through you, is this. If there is NDRF, if you want to come out with an immediate response to such a huge crisis, to a calamity of such a severity, then how are you going to respond? When you are giving Vidarbha package and Bundelkhand package – of course, we are not against giving packages to these regions, and we are all for Vidarbha and Bundelkhand packages – then why not a package for Karnataka? You come out with a package of Rs. 1,500 crore for Karnataka immediately.

I would like to know whether they are sending grains and money to the State within a week's time. That is the real question before the Government of

India now. If they are not doing it, then they are hoodwinking the entire House and the entire country.

SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL): Hon. Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the matter regarding the severe drought that is prevailing in Karnataka.

As far as my understanding goes, many of the Indian States, because of their unique geo-climatic conditions have been vulnerable to natural disasters, like drought or flood. My State Karnataka is one among them. Karnataka has always been hit by either drought or flood. But this year my State is reeling under the worst drought situation.

As we all are aware, the storage capacity of most of the water bodies, including reservoirs, lakes and tanks is reduced due to the accumulation of silt. In most of the cases these water bodies are encroached by the land grabbers. Tanks and lakes are there in the survey records, but there is no ground to store the water.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister about the long-term measures that the Government is taking or has taken. The Government has not found out the proper reasons for the drought and the flood.

I want to know whether the Union Government is aware that there is an urgent need to chalk out a national programme for de-silting all the water bodies in the country, including that of Karnataka.

I would also like to know whether the Government would take any step to conduct survey at the national level to fix the boundaries of all the water bodies, including tanks, lakes and take over them from the encroachers.

If so, what is the response of the Government in this regard to control flood and drought?

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to call the attention of the Government towards this important issue.

I support all that have been mentioned by my hon. colleagues regarding the drought situation in Karnataka. Nearly 4,853 villages have been hit severely. There is no drinking water. All my hon. colleagues from Karnataka have mentioned many things on this issue. There is a loss of crop amounting to Rs. 5,900 crore to our farmers.

I would like to bring it to the notice of the Government, through you, that the ground water has been depleting day-by-day. When compared to the corresponding year, that is in 2011, the water level has depleted more this year. What action is the Government going to take regarding this issue?

The hon. Member, Shri Pralhad Joshi, was telling that drinking water problem is most acute in our area. What has the Government done till date? The hon. Member, Shri Ananth Kumar, was telling the House that we do not want to politicise the issue. But after visiting the calamity-affected areas, the team has given the Report after three months. Till date nothing has been done. In this era of improved technology, I do not think the Government should have taken so much time. It should have been done immediately.

So, I urge upon the Government to release Rs. 1,500 crore, three lakh metric tonnes of rice, and 53 metric tonnes of wheat to the Government of Karnataka immediately.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे कालिंग अटैंशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे ज्यादा कुछ न कहकर आपसे केवल इतना कहना है कि प्रतिवर्ष हम इसी सदन में सूखे और बाढ़ पर चर्चा करते हैं। इस कारण बहुत शोर शराबा होता है और बहुत चर्चा के बाद सरकार जवाब देती है कि कुछ करेंगे, देखेंगे। स्थानीय सरकारें दैवीय आपदा में मदद देने का प्रयास करती हैं। केंद्र सरकार दबाव में आकर आर्थिक राहत पैकेज देती है। अक्सर देखा गया है कि इसका कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार आर्थिक पैकेज देने के बाद न ही कोई मूल्यांकन ही करती है कि जो धन दिया गया है क्या वह पीड़ितों तक पहुंचा है या नहीं?

महोदया, दूसरी बात है कि आज भी अंग्रेजों के समय का 250 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है। यह बिल्कुल नामिनल है। पीड़ितों का परिवार भुखमरी की हालत में आ जाता है। पीड़ित किसान

कर्ज में डूबा रहता है और कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाता है। यही कारण है कि किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं हैं, शिकायतें बराबर बढ़ी हैं। मैं आपके माध्यम से जो बातें कही हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार कोई स्थायी समाधान का जवाब दे।

महोदया, अब मैं मुआवजे के बारे में कहूंगा कि अंग्रेजों के समय का मुआवजा रखा है, इसे बढ़ाने के लिए सरकार कारगर कदम उठाए।

श्री हरीश रावत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय संवेदनायुक्त विषय पर ध्यानाकर्षण करने का अवसर सांसदों को दिया है। मैं प्रहलाद स्वामी जी यानी जोशी जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां जोशी को बड़े आदर से पुकारते हैं इसलिए मैंने स्वामी जी कहा है। मैं अनंत कुमार, शिव राम गौडा, शिव कुमार उदासी और शैलेन्द्र कुमार जी, सभी विद्वान साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सूखे की तात्कालिक समस्या, जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन से संबंधित है, के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने यह भी बताया कि क्या दीर्घकालिक उपाय होने चाहिए ताकि सूखे आदि की समस्या से देश को बार-बार जूझना पड़ता है, उससे निपटा जा सके।

महोदया, कर्नाटक में सूखा पड़ा, निश्चित तौर पर गंभीर सूखा पड़ा। मानसून में विशेष तौर पर उत्तरी और उत्तर पूर्व कर्नाटक में इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। जैसा अनंत जी ने कहा कि आपका रिस्पांस बहुत ही बिलेटिड था, बहुत समय लिया। मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने पहला मेमोरेंडम डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर एंड कोआपरेशन को 28.11.2011 को सब्मिट किया। इसमें 21 जिलों के 99 तालुकों में सूखे की स्थिति बताई। और उसके लिए 723.24 करोड़ रुपये इन्होंने एनडीआरएफ से मांगे। हमें जैसे ही उनका मैमोरेंडम मिला, क्योंकि यह इंटरमिनिस्टीरियल सैन्ट्रल टीम होती है, अलग-अलग डिसिप्लिन के अलग-अलग विभागों के अधिकारी इसमें रखे जाते हैं, हमने उस टीम को कंस्टीट्यूट किया और कंस्टीट्यूट करने के बाद, इस बात को जरा नोट कर लिया जाए कि 15.12.2011 से 18.12.2011 तक सैन्ट्रल टीम ने कर्नाटक का व्यापक दौरा किया और इस टीम के भेजने में जो 15 से 18 दिन का समय लगा है, वह दोनों सरकारों के बीच में, टीम के बीच में और कर्नाटक सरकार के बीच में टाइम के एडजस्टमैन्ट के लिए था, क्योंकि कर्नाटक की सरकार को ही वहां पर टीम को न केवल वास्तविक स्थिति को बताना होता है, बल्कि उनके सामने प्रजैन्टेशन रखना होता है, उनको अलग-अलग क्षेत्रों में टीम से मुआयना भी करवाना होता है। इसलिए यह कहना कि आपने टीम भेजने में अनड्यू डिले किया और उसके पीछे कोई मोटिव एट्रीब्यूट करना, मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं रहेगा। ...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI : We are not talking about the team.… (*Interruptions*) We are talking about the relief package.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. Let him complete it. This is not a discussion. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI HARISH RAWAT: I am just referring to what Shri Anath Kumar had mentioned while speaking. I am not picking up any political point out of that.… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : I am telling that you have sent the team.… (*Interruptions*c

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please let him complete it. Mr. Minister, please go ahead with it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Shri Joshi, you can ask anything. Let him complete it first.… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : What I want to say is that we have submitted the memorandum. You have constituted the team on 30.11.2011. I have no issue about that. The issue is this… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is not going on record.

(Interruptions) ... *

SHRI HARISH RAWAT: I will reply to each and every point raised by the hon. Members.… (*Interruptions*) If the Chair permits, I will reply to each and every question raised by the hon. Members. Please do not worry. I have noted each and every point. ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे से संबंधित है, उसका जवाब हम देंगे और जो हमसे संबंधित नहीं है, उसे हम संबंधित मंत्रालय को रेफर कर देंगे। यहां कहा गया क्योंकि जो इनिशियल रिस्पांस था,

* Not recorded.

कर्नाटक की गवर्नमैन्ट ने बहुत तत्परता से काम किया, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं यह शिकायत की हो कि उन्होंने जो रिलीफ मैजर्स उठाने थे, उनमें कोई ढिलाई बरती है। मगर इतना तो आप मानेंगे कि जो एसडीआरएफ है, उसे कंस्टीट्यूट करने का जो बेसिक उद्देश्य है, वह यही है कि राज्य सरकारों के पास वहां पैसा उपलब्ध रहे और उसमें सैंट्रल शेयर 75 प्रतिशत है और स्टेट का शेयर 25 प्रतिशत है। हमें कर्नाटक सरकार से जैसे ही मैमोरेंडम मिला और इंटर मिनिस्टीयरल टीम ने अपनी रिपोर्ट इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप के सम्मुख सबमिट की तो उसके बाद हाई लैवल कमेटी ने उस पर अपना व्यू लिया और उसके अनुसार मैंने सदन को अपने मूल वक्तव्य में अवगत कराया कि 70 करोड़ के लगभग जो एडीशनल फंड एनडीआरएफ से दिया जा सकता था, वह सरकार ने दिया और जो एसजीआरएफ में उपलब्ध था, ऐसा नहीं है कि कोई कर्नाटक के विषय में यह विशेष बात है, सभी राज्यों के लिए यह मान्यता है कि एसडीआरएफ में जो पैसा होता है, वह एडजस्टेड मान लिया जाता है, जितना पैसा टीम के जरिये सैंक्शन किया जाता है। इसलिए यह कहना कि कर्नाटक के विषय में कोई नॉर्म्स से अलग हटकर हमने कदम उठाया है, वह न्यायसंगत नहीं होगा।

श्री अनंत कुमार : मुझे आपसे केवल इतना निवेदन करना है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने आपको कम्युनिकेट किया है कि उनके एसडीआरएफ फंड में एक पैसा भी नहीं है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him continue his reply.

श्री हरीश रावत : आप मुझे वहां तक आने ही नहीं दे रहे हैं। एसडीआरएफ में कर्नाटक गवर्नमैन्ट ने तब कहा, जब सैंट्रल गवर्नमैन्ट की हाई लैवल कमेटी ने पैसा सैंक्शन कर दिया और यह कह दिया कि यह पैसा एडजस्ट कर लिया जाए, जो एसडीआरएफ में है। यह थर्ड मैमोरेंडम सबमिट करते वक्त की बात है, सैकिंड मैमोरेंडम के वक्त भी कर्नाटक की सरकार ने इस बात को नहीं कहा। थर्ड मैमोरेंडम सबमिट करते वक्त एएम के सम्मुख या प्राइम मिनिस्टर, फाइनैन्स मिनिस्टर जिनसे भी मिले, वहां उन्होंने इस बात को उठाया। एसडीआरएफ का जो पैसा उनके पास उपलब्ध था, उसका उपयोग उन्होंने रिलीफ़ के कार्य में किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आप यदि तीन महीने बाद यह कहेंगे कि एसडीआरएफ में पैसा नहीं है तो फिर जो पैसा रीलीफ के लिए एसडीआरएफ में उपलब्ध है, उसका मकसद ही बिल्कुल विफल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अनंत कुमार जी ने जो मामला उठाया है, मैंने उसकी स्थिति साफ कर दी है। अब हमसे यह कहा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने जो सेकंड मेमोरेंडम दिया, उसमें उन्होंने 10 और तालुका जोड़े और 109 तालुका में उन्होंने सूखे की स्थिति बताई और कहा कि हमको 2605.99 करोड़ रूपये एनडीआरएफ से दिया जाए। मैडम, मैं इस विषय में एक स्थिति स्पष्ट करना चाहता

हूँ। वैसे मैं इस बात को कहने से ज़रा सा परहेज करना चाहता था, मगर क्योंकि यह बात सदन में उठी है तो कहना पड़ रहा है। 2605 करोड़ रूपये में से 823.78 करोड़ रूपये मनरेगा में मांगा गया। मनरेगा के अंदर पैसा देना, एनडीआरएफ में पैसा देने के जो नार्म्स हैं, वह उसके तहत नहीं आता है। कर्नाटक सरकार के पास ऑलरेडी मनरेगा का बैलेंस बाकी था इसलिए सेंट्रल टीम ने वहीं उनसे कहा कि यह एडमिसिबल नहीं है।

दूसरा, आपने पॉवर सेक्टर में 1200 करोड़ रूपये मांगे और लगभग 4 करोड़ रूपये मिनि कैटेगरी में मांगा। ये कुछ ऐसी मदें हैं, जिसमें पैसा एडमिसिबल बल नहीं है। पानी की मद में, ड्रिंकिंग वॉटर की वहां गंभीर समस्या है, जैसा कि जोशी साहब ने कहा। लेकिन पानी के मद में जो प्रारंभिक मेमोरेंडम था, उसमें कर्नाटक की सरकार ने पैसा नहीं मांगा।

मैडम, इसके बाद यह कहना कि कर्नाटक की सरकार को पैसा देने के मामले में केंद्र सरकार ने कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। अब बिंदु पहले और दूसरे मेमोरेंडम तक सीमित नहीं है। 2 मई सन् 2012 को आप, माननीय मुख्यमंत्री जी, कर्नाटक क्षेत्र से आने वाले माननीय मंत्रीगण, एक ऑल पार्टी डेलिगेशन कृषि मंत्री जी से मिला। कृषि मंत्री जी ने डेलिगेशन की भावनाओं का संज्ञान लेते हुए यह कहा कि हम तत्काल फिर से एक सेंट्रल टीम कंस्टीट्यूट करेंगे और उसे कर्नाटक का व्यापक दौरा करने के लिए भेजेंगे। क्योंकि एनडीआरएफ मे जो नार्म्स हैं, वे हमने तय नहीं किए है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 13वें वित्त आयोग के आधार पर नार्म्स कमेटी बनी है और उस कमेटी ने नार्म्स बनाए हैं। यदि आप कृषि मंत्रालय के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, आप शरद जी से पूछिए, हमसे पूछिए किसी और व्यक्ति से पूछिए, हम तो चाहेंगे के वे नार्म्स और लिबरल हों, रिलैक्स हों क्योंकि कृषि मंत्रालय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए और विशेष तौर पर रिलीफ़ और रीहैबिलिटेशन से संबंधित मामला है, उसमें जितना पैसा जा सके वह जाना चाहिए। मैडम, नार्म्स कमेटी ने वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर रिवाइज्ड रेट तैयार किए थे। उसके अनुसार राज्यों को, बल्कि अकेले कर्नाटक को नहीं, आंध्र प्रदेश को भी और महाराष्ट्र की सरकार का भी मेमोरेंडम मिला है। उनको भी उसी आधार पर रिलीफ और मदद दी जाएगी। मगर हम इस समय उसको आगे रिवाइज़ करने की स्थिति में नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : सर, हमने डेढ़ हजार करोड़ रूपये की राहत नीधि मांगी थी। हमने तीन लाख मिट्रिक टन चावल मांगे थे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत जी, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी आप आसन की ओर एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: यदि हम छह हजार करोड़ रूपये मांग रहे हैं तो आपने 70 करोड़ रूपये दिए हैं। उसे भी एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, प्लीज़ ऐसे तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैडम, वहां के अकाल पीड़ितों के दुख-दर्द को समझिए। उनके लिए राहत होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम सब उससे दुखी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे कैसे चलेगा, ध्यानाकर्षण आगे कैसे चलेगा? आप ही बताइये। मंत्री जी, आप इधर देखकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : यह लीपापोती हो रही है, वहां कोई राहत नहीं मिल रही है, लीपापोती नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री अनंत कुमार : वहां सब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, वहां के किसान, मजदूर सभी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदया, मैं माननीय सदस्य की व्यग्रता समझता हूं। इसीलिए मैं उन्हीं के बिन्दु पर आ रहा हूं, जिस पर वे फोकस करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि कृषि मंत्री जी से जब ऑल पार्टी डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला, उन्होंने जो बातें रखीं और जो ज्ञापन दिया, हमने उसी ज्ञापन को बेस मानते हुए फौरन एक इंटर मिनिस्टीरियल टीम कांस्टीट्यूट की और उस टीम ने 13 से लेकर 16 तारीख तक चार दिन कर्नाटक का दौरा किया। राज्य सभा में भी यह मामला उठा, लोकसभा में भी यह मामला उठा है। ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक कर्नाटक की चिंता नहीं पहुंची है। कर्नाटक के किसान का लॉस अकेले कर्नाटक का लॉस नहीं है, वह पूरे देश के किसान का लॉस है, देश का लॉस है। हम उसी व्यू से उसको देखते हैं। मैं माननीय जोशी जी और दूसरे सदस्यों को आक्रोश को

समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कर्नाटक देश में नहीं है? कर्नाटक हमारे देश के एक अग्रणी राज्य है। मैं अभी आपके सामने, अगर आप आज्ञा देंगी, तो मैं उन सारे मदों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए, जिसमे कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए कर्नाटक को कितनी धनराशि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। लेकिन इस समय जो प्रोसीजर है, जो एनडीआरएफ के तहत नार्म्स बने हुए हैं, जो फाइनेंस कमीशन की मुहर के साथ बने हुए हैं और जो सभी राज्यों के लिए लागू हैं, उनमें हमको जो दूसरी बार इंटर मिनिस्टीरियल टीम गयी है, हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाये। हमारी कोशिश रहेगी कि इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप जल्दी उस पर व्यू ले और हम माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करेंगे, जो हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं कि वे भी उसमें जल्दी कोई व्यू लें। क्योंकि हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि कर्नाटक को जितनी जल्दी, जितनी मदद इस क्षेत्र में दी जा सकती है, मदद दी जाए। क्योंकि वहां रिलीफ के लिए पैसा था, लेकिन रिहैबिलिटेशन की जो आगे प्रोसेस है, ताकि वहां का किसान अपने पांव पर खड़ा हो सके, उसमें आगे जाना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हमारी हार्दिक इच्छा है।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : हम किसलिये खड़े हुए हैं? हम इसलिए खड़े हुए हैं कि कर्नाटक की 6 करोड़ जनता वहां बेचैनी में है। वह अकालग्रस्त है, उनके लिए राहत चाहिए।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): वहां लोग दर्द से कराह रहे हैं।...(व्यवधान) वहां कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

श्री हरीश रावत : शाहनवाज़ जी, आपके पास देश के पूर्व वित्त मंत्री जी बैठे हैं और आप स्वयं मंत्री रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके के मामलों में क्या प्रक्रिया है? मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि इंटर मिनिस्टीरियल टीम जो कर्नाटक गयी है, यह उसके एसेसमेंट पर निर्भर करता है कि कितना पैसा आगे मिल सकता है, उनका क्या आकलन रहा है?...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : तीन महीने के बाद 700 करोड़ का आपको रिकमंड किया, आपने 70 करोड़ दिया। 700 करोड़ का पहले मैमोरन्डम के लिए उन्होंने रिकमंड किया, जो टीम आपने भेजी, 15 दिन के बाद, उसने तीन महीने के टाइम के बाद आपको रिपोर्ट दी। उसने क्या रिपोर्ट दी, उसने रिपोर्ट दी कि 700 करोड़ रूपया कर्नाटक को दे दीजिये, आपने कितना दिया, आपने सिर्फ 70 करोड़ दिया।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिये।

श्री हरीश रावत : महोदया, मैंने डिटेल में न केवल पहले मैमोरन्डम में जितना पैसा मांगा गया,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिये।

...(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : न केवल पहले मैमोरन्डम में जितना पैसा मांगा गया, बल्कि दूसरा जो रिवाइज़ मैमोरन्डम इंटर मिनिस्टीरियल टीम को विजिट के दौरान कर्नाटक की सरकार ने दिया, उसकी भी जो एडमिसिएबल मदें थी, जो नॉन एडमिसिएबल मदें थीं, दोनों का ब्यौरा मैंने बता दिया है।

13.00 hrs.

उसके आधार पर जो पैसा मिला है, वह भी बता दिया है। लेकिन आज विवाद में यह बात नहीं है कि फर्स्ट एंड सैकेन्ड मैमोरन्डम में क्या था। थर्ड मैमोरन्डम जो ऑल पार्टी डैलीगेशन के साथ दिया गया है, भारत सरकार ने उसका कॉग्निजैन्स लिया है और एक नयी थीम को एसैस करने के लिए भेजा है। उसकी रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो, उसके विषय में मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी हो। इस काम के बारे में माननीय य़शवंत जी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकते हैं कि यह काम प्रक्रिया के तहत ही होता है क्योंकि वित्त मंत्री जी स्वयं इसके सदस्य होते हैं। यहाँ पर हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बात उठाई। उन्होंने ग्राउंड वॉटर की स्थिति की बात कही। कर्नाटक में 80 के करीब तालुका हैं जहाँ ग्राउंड वॉटर रीचार्ज की स्थिति चिन्ताजनक है, क्रिटिकल है। जो सैन्ट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड है, उसने बराबर एडवाइज़री भी भेजी है कर्नाटक सरकार को और दूसरी सरकारों को भी भेजते रहते हैं। उनकी अपनी स्कीम है डगवैल वाली स्कीम है, स्ट्रक्चर बनाने वाली है, कर्नाटक की गवर्नमैंट ने भी उसका लाभ उठाया है, हम चाहते हैं कि मनरेगा के अंदर भी उसका लाभ मिले। उसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें हैं, जिनके तहत कर्नाटक की गवर्नमैंट को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर पैसा दिया गया है जिनमें डीपीएपी में पिछले तीन वर्षों में 112 करोड़ रुपये दिये गये हैं, डीडीपी में 73 करोड़ रुपये दिये गये हैं, इंटीग्रेटेड वॉटरशैड मैनेजमैंट के तहत 279 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हमारी जो कृषि मंत्रालय की स्कीम है, उसके तहत भी हमने नेशनल वॉटरशैड डैवलपमैंट प्रोग्राम के तहत 36 करोड़ से कुछ ज्यादा और रिवर वैली, फ्लड प्रोन रिवर आदि की मद में 36.25 करोड़ रुपये दिये हैं। मनरेगा के अंदर 662.57 करोड़ रुपये उसके पास है, नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन में जो भी इस तरह की समस्याओं से डील करता है, उसमें भी 73.26 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में उनके पास उपलब्ध रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर.के.वी.वाई में, जिसमें आप वाइड रेन्जिंग ऑफ वर्क्स को ले सकते हैं, उसमें उनके पास 1008 करोड़

रुपये पिछले 2008-09 और 2010-11 में उपलब्ध रहा है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि जो हमारे ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं या वॉटर डैफिसिट एरियाज़ हैं, उनके विषय में एक बेहतर सिनर्जी यदि डिफरैन्ट डिपार्टमैंट्स में जो एलोकेशन है, उनके कामों के बीच में हम स्थापित कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि किसान के सामने जो चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आती है, उससे बचा जा सकता है। हम कर्नाटक की सरकार के साथ इस दिशा में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से हमारे कर्नाटक के साथियों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार के सामने इसलिए रखा था कि मंत्री जी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन आज सदन में मिलेगा। कितनी राशि हमें और प्राप्त हो रही है, इसकी सूचना मिलेगी, कितना गेहूँ और चावल जो हमने मांगा है, उसके विरुद्ध कितना गेहूँ और चावल हमें मिलेगा, इसके बारे में हमें सूचना मिलेगी। इधर-उधर की बातें तो मंत्री जी ने बहुत की हैं, इतनी देर से वे विस्तार से जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इतनी राशि हम आपको देने जा रहे हैं, एक बार भी यह नहीं कहा कि इतना गेहूँ और चावल देने जा रहे हैं। हमारे समय जब सूखा पड़ा था तो खुले हाथों से हम लोगों ने निःशुल्क अनाज बाँट दिया था। आज अनाज सड़ रहा है, गेहूँ और चावल है लेकिन कर्नाटक के लोगों को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इतनी देर से बैठे बैठे हम सुन रहे हैं और मैं तो इतनी देर से कान लगाकर यह सुनने की कोशिश कर रही थी कि कितनी राशि वे दे देंगे, कितना गेहूँ-चावल वे कब तक दे देंगे, लेकिन एक शब्द भी वे उस पर नहीं कह रहे हैं और लंबी लंबी बातें करे जा रहे हैं। इस उत्तर से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं, आगे सुनने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

13.05 hrs.

At this stage Shrimati Sushma Swaraj, Shri Anant Gangaram Geete and some other hon. Members left the House.

...(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत तकलीफ है,...(व्यवधान) कि माननीय नेता विपक्ष को और उनके सहयोगी सदस्यों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा और मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि इंटर मिनिस्टीरयल टीम, जो उनके मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर फिर से गठित की गई थी, वह सिचुएशन को रि-असैस करने के लिए गई थी। चार दिन तक लगातार उन्होंने स्थिति को री-असैस किया है। उनकी रिपोर्ट अभी तक इंटर-मिनीस्टीरियल ग्रुप को नहीं मिली है। रिपोर्ट जल्दी मिल जाए। इंटर-मिनीस्टीरियल ग्रुप जल्दी व्यू ले लें। हाई लेवल कमेटी जल्दी निर्णय करे कि कितना पैसा, कितनी

मदद कर्नाटक को और दी जा सकती है। लेकिन यह सारी चीजें ग्राउण्ड सिचुएशन के असैसमेंट पर बेस होंगी। मैंने जो लम्बी-चौड़ी बातें कही हैं, जिनके बारे में सुषमा जी ने कहा, वह मैंने अपनी तरफ से नहीं कही हैं। यदि समय होता तो मैं माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग बिंदु उठाए हैं, उन सभी का जिक्र यहां करता। हमारे तीन माननीय सदस्यों ने ग्राउण्ड वॉटर की स्थिति भी उठायी। शैलेन्द्र कुमार जी ने कहा कि आप ऐसे कौन से दीर्घकालिक उपाय कर रहे हैं, जिससे सूखे की स्थिति का समाधान हो सके। शिवराम गौड़ा जी ने लौंग टर्म मैज़र्स की बात कही। उन्होंने डी-सिल्टिंग ऑफ वॉटर बाड़ीज़ और बाउण्ड्री वॉल जैसे बहुत अच्छे सुझाव दिए। इन सुझावों का हम कोग़नीज़ेन्स लेने के लिए तैयार हैं और इसके लिए क्या क़दम उठाने हैं, उसके लिए हम सम्बन्धित विभागों से बातचीत करेंगे और उस विषय में कदम उठाने का काम करेंगे। मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा था कि अलग-अलग मदों में कर्नाटक की सरकार को पैसा देने के मामले में केन्द्र सरकार ने कहीं कोई कोताही नहीं की है। मैं जानता था कि भाजपा की तरफ से इस बिंदु पर वॉकआउट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के सरक्मस्टैंसिज़ को राजनैतिक टोन देने की कोशश की है और उससे भी यह साफ लग रहा था कि वे किस निष्कर्ष पर पहुंचने जा रहे हैं। उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का मैंने बहुत संजीदगी के साथ, एक-एक करके जवाब देने की कोशिश की है। कीर्ति जी मेरी भावना उन तक कम्युनिकेट कर दें। मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है कि उनके हर बिंदु का जवाब दिया जाए।

मैडम, मैं यहां पर तीन बातें कहना चाहता था कि हमने मैनुअल फोर ड्रॉट मैनेजमेंट की एडवाइज़री राज्य सरकारों को इश्यु की हुई है और विशेष तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें उसका गम्भीरता से कोगनीज़ेंस लें। यदि उनको एक्सपर्ट्स की सहायता चाहिए तो वह केन्द्र सरकार से उपलब्ध होगी। दूसरी बात, हमने कन्टीजैन्सी प्लान लोंग टर्म बेसिज़ पर तैयार किया है, जिसमें हमने 280 जिले शामिल किए हैं। इनमें लगभग सारा कर्नाटक सम्मिलित है। हमने जो कन्टीजैंसी प्लान बनाया है, हम चाहते हैं कि उस पर काम हो, ताकि किसानों की जो दिक्कतें, मुश्किलात हैं, उनको हम कम कर सकें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से इसका समाधान हो जाएगा, उनके लॉस को पूरी तरह से मीटआउट कर दिया जाएगा, लेकिन इन प्लान्स को एडॉप्ट करने से हम किसान की दिक्कत को दूर कर सकते हैं और हमारी तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से क्रोप वैदर वॉच ग्रुप बना हुआ है, उसके हेड हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं। हम हर हफ्ते विडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए राज्यों से स्थिति की जानकारी लेते हैं। हमारे मिनिस्टर इस मामले में बहुत ही गम्भीर रहते हैं। हर हफ्ते हम जानकारी लेते हैं और उसके अनुसार कृषि मंत्रालय किस प्रकार से राज्यों की मदद कर सकता हैं, हम किस तरह से उनको सहायता दे सकते हैं या

उनको सलाह दे सकते हैं, हम इन दोनों पक्षों पर गौर करते हैं। मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण इश्यू पर चर्चा एलाऊ की। मैं आश्वस्त करता हूं...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair. आप लोग बीच-बीच में मत बोलिए।

… (*Interruptions*)

श्री हरीश रावत : अध्यक्षा जी आज्ञा देंगी तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) ...[*]

[*] Not recorded.

श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष महोदया, सारे सदस्यों की यह भावना है कि नॉर्म्स थोड़े से लिबरल हों। ये नॉर्म्स वर्ष 2015 तक के लिए हैं। कृषि मंत्रालय की और हमारी भी यह हार्दिक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अलग-अलग मदों में हमारे किसानों तक पहुंचे। इसमें किसी की दो राय नहीं है।

हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कर्नाटक के किसानों की और कर्नाटक सरकार की यथासंभव मदद करें। उसमें कहीं पर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण बस यह है कि हमारे किसानों की मदद होनी चाहिए क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो देश की अन्न सुरक्षा सुरक्षित रहेगी। इसी भावना के साथ हम काम करते हैं।

(Placed in Library, See No. LT 6958/15/12)

13.11 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Illness of passengers due to food served on Rajdhani Express

MADAM SPEAKER:

Shri Naranbhai Kachhadia – not present.

Shri Manish Tewari – not present.

Shri Kameshwar Baitha.

बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज आपने मुझे इतने गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, यह घटना 11 मई की है। 11 मई, शुक्रवार के दिन हम ट्रेन नं. 2440, रांची राजधानी एक्सप्रेस से अपने क्षेत्र झारखंड जा रहे थे। कानपुर स्टेशन आने से पहले मुझसे पूछा गया कि क्या खाना खाएंगे। हमने कहा कि शाकाहारी खाना खाएंगे। मुझे खाना मिल गया और कानपुर स्टेशन पार होने के पहले हमने खाना खा लिया। एच-वन के सी बोगी में हम लोग दो आदमी थे। एक आदमी ऊपर सोया हुआ था जिसका * नाम था और एक मैं था।

कुछ पन्द्रह-बीस मिनट के बाद मेरे बदन पर उल्टी गिरने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पानी पी रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे उल्टी, पैखाना दोनों हो रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा और किवाड़ खोला। किवाड़ खोलते ही बाहर की ओर देखा कि कई लोग उसी तरह की स्थिति में हैं। फिर मुझे भी वैसा ही होना शुरू हो गया। मैंने टी.टी.ई. साहब को बुलाया। उन्हें कहा कि आप गाड़ी को रोकिए, दवा मंगाइए, इलाज कराइए। मैं पूरी ट्रेन तो घूम कर नहीं देख पाया क्योंकि मेरी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। लेकिन, मैंने ट्रेन में कम से कम 60-70 लोगों को ऐसी ही स्थिति में पाया। मैंने काफी मशक्कत की कि ट्रेन को इलाहाबाद में रोक कर यात्रियों को उतारा जाए, उनका इलाज कराया जाए। जब ट्रेन इलाहाबाद नहीं रूकी तो मैंने मिर्ज़ापुर में इसके लिए प्रयास किया। मिर्ज़ापुर में दो मिनट के लिए ट्रेन रूकी, लेकिन वहां क्या हुआ, यह मैं नहीं बता सकता हूं। हम तमाम माननीय सदस्य और देश को बताना चाहते हैं कि जब ट्रेन मुगलसराय पहुंची तो * जो वहां पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनकी मदद से हम लोगों का इलाज हुआ।

अध्यक्ष महोदया : किसी का नाम नहीं लीजिए।

---

* Not recorded.

श्री कामेश्वर बैठा : महोदया, मुगलसराय स्टेशन पर कई लोगों को इधर से उधर किया गया।

MADAM SPEAKER: Do not mention the name.

श्री कामेश्वर बैठा : महोदया, मुगलसराय स्टेशन पर बाकी लोगों को उतार लिया गया। मुझे रांची जाना था। मैं रांची नहीं जा पाया और डिहरी-ऑन-सोन स्टेशन पर उतरकर अपने संसदीय क्षेत्र में चला गया। वहां इलाज कराया। जब मेरी स्थिति काफी नाजुक हो गयी तो मुझे वहां से यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।

महोदया, यहां तमाम सदस्य बैठे हुए हैं। पूरा देश सुन रहा है। राजधानी एक्सप्रेस हमारे देश की सबसे अच्छी ट्रेन है और इसकी यह हालत है। हमारे रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे कल मिला था। मैंने उनसे कहा था कि यह जो घटना मेरे साथ हुई है, सारे टीवी चैनल, और समाचार पत्रों के माध्यम से देश के सारे लोग इसे जान गए, मगर अभी तक माननीय मंत्री जी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये उस पर ढाई लाख रुपए का ज़ुर्माना लगा रहे हैं। जिससे सैंकड़ों आदमी की लाश निकल जाएगी, उस पर मात्र ढाई लाख रुपए का ज़ुर्माना लगाया जा रहा है।

मैं सदन से और माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर, जिसने इस तरह से षड्यंत्र के तहत जानलेवा हमला किया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, के नाम को काली सूची में दर्ज़ किया जाए। उसका नाम इस तरह से दर्ज़ किया जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत दुबारा न कर सके। मैं आपसे और सारे लोगों से यही आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसी हाउस में, आज ही उसको काली सूची में डाला जाये, इसलिए कि इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, महोदया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: वे बोल रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय बोलना चाहते हैं।

श्री कामेश्वर बैठा : इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जान चुकी है, सारे लोग जान चुके हैं। ... * पुलिस इंस्पैक्टर का ट्रांसफर करके...(व्यवधा

अध्यक्ष महोदया: उनका नाम मत लीजिए।

श्री कामेश्वर बैठा : एक मिनट। यह गम्भीर विषय है। ... जो पुलिस इंस्पैक्टर है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उनका नाम मत लीजिए।

---

* Not recorded.

श्री कामेश्वर बैठा : उसने कितनी मशक्कत के बाद जान बचाई, उसको रातों-रात ट्रांसफर करके लखनऊ में भेज दिया गया। बताइये, क्या कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह से मदद करने के लिए हिम्मत जुटाएगा, नहीं जुटाएगा। उस इंस्पैक्टर ... को मुगलसराय वापस भेजा जाये, मैं यही मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री पी.एल. पुनिया को श्री कामेश्वर बैठा के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI MUKUL ROY): Respected Madam, it is a serious complaint made by the hon. Member. यह किसी भी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वह एम.पी. हो, चाहे पैसेंजर हो, यह किसी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। यह घटना जो हुई है, यह शनिवार के दिन हुई है। शनिवार के दिन जब यह हमारे नोटिस में आया तो हमने तुरन्त मैडीकल टीम और उस आदमी को इसकी जांच करने के लिए भेजा है कि क्या मामला है। मैं हाउस में आपके थ्रू बोल रहा हूं, उसके बाद हमने जांच का ऑर्डर दे दिया है। यह किसी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। हमने जांच का ऑर्डर दे दिया है और उसके साथ-साथ यह है कि जो इंस्पैक्टर ट्रांसफर हुआ है, वह जी.आर.पी. में इंस्पैक्टर है, वह रेलवे की पैरीफरी में नहीं है, वह हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। यह ट्रांसफर यू.पी. स्टेट के अन्दर से होता है। जो इंस्पैक्टर है, वह जी.आर.पी. का है, वह रेलवे पुलिस का नहीं है। वह हमारे जुरिस्डिक्शन के अन्दर नहीं है, लेकिन Madam, the hon. Member of Parliament met me and I assured him. I told him that I would talk to the Chief Minister of Uttar Pradesh that he should be retained and also find out why has been transferred.

Madam, we have passed the order for an inquiry, and after the inquiry we will submit the report.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, with anguish I rise here today to raise a very important issue – I would like to draw the attention of all the hon. Members specially through you, Madam – relating to a queer case, which is troubling not only me but many devotees and many people who have high regards on Yogi Aurobindo, whom we all know.

It seems that there is a design which is going on for the last many years to discredit, to defame our modern thinkers specially those who came and framed our mind in the 19th Century and early 20th Century.

A book was published by the Columbia University Press by Peter Heehs, and that book's name is 'The lives of Shri Aurobindo'. This book is full of defamatory language and full of falsehood. This book depicts wrong and distorted facts on the life and character of Shri Aurobindo, which is clearly blasphemous.

Shri Sharad ji I would like you to hear me for a few minutes. I would also like the respective leaders of different Parties also to think of the malicious design that is being created by certain mischievous Western so-called writers. This book contains absurd, irrelevant and self-made stories, which do not have any scriptural support and has caused widespread indignation amongst the devotees. The writings portrayed in the book have seriously hurt the sentiments of the apostle of Shri Aurobindo, and the said book, with deliberate and malicious intention, has insulted the religious beliefs of millions. The said book narrates so many things. But I need not quote what has been narrated. But I would only confine myself to this aspect that after this book was released at different levels, it came to the notice of the devotees that there was so many defamatory things, a case was registered in the Orissa High Court. The Government of Orissa also intervened in the matter. It also approached the court. The court has banned the said book. So, there was a decision of the Orissa High Court. I think, the Government of Tamil Nadu also has written to the Ministry of Home Affairs in this regard. This book is not in circulation in India, in a printed form. But that is not the end of the issue. The issue is that this book is in circulation in international book stores. Anybody who goes aboard can get that book. Moreover, it is also prevalent in the internet and anybody can have access to that book.

At one point of time, one Mr. Jeffrey Kripal, had also published a book on Ramakrishna Paramahansa. At that time The Ramakrishna Mission had not objected to it.

But in this case, relating to Sri Aurobindo, the Ashramites have objected to it. Looking at the peculiarity of the situation, I was hoping that the representative from Puducherry, the hon. Minister, Mr. Narayanasamy – who was here and has

just left – could react to that. I have no issue relating to the politics, which is happening in Puducherry Ashram. But here is a case where there is a malicious design by certain writers in the Western countries, who have taken upon themselves to deride our modern thinkers, to deride Indian thinkers, who have made dramatic changes in the 19th Century and the 20th Century. And, now, these writers have vilified Sri Ramakrishna Paramahansa; they have vilified Sri Aurobindo; and they have also vilified Paramahansa Yogananda. They have also written many passages on our Hindu Deities. They have not stopped there only. They have also vilified Jesus Christ, which is a tragic thing.

Madam, therefore, my point to the Government of India here is that once this book has been banned yet that book is in circulation outside the country, and this person is getting visa! He is in India today. Repeated complaints have gone against him, but the Government is allowing his visa! He has violated his visa rules; he has published a book defaming our modern thinker, the person who has brought a tremendous change -- Sri Aurobindo -- who is revered in this country by millions of people. Similarly, Sri Ramakrishna Paramahansa is revered in this country by millions and millions of people. But if some person of western civilisation tries to vilify them, there should be a serious attempt to stop those people to come to this country.

I would, therefore, request the Government of India – and I would also request all the hon. Members to ventilate their views – that these types of people should not be given visa to come to India. Their visas should be cancelled immediately.

I would request, Madam, that this House should take a decision on it.

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

Now, Shri Kirti Azad.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Those who want to associate on this issue may send the slips at the Table writing their names, and their names will be associated.

The names of Dr. Ratna Dey, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Shri P.L. Punia, Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi, Shri S. S. Ramasubbu and Shri Mahendrasinh P. Chauhan will be associated on this issue.

श्री कीर्ति आजाद। बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से जो आईपीएल का मामला चल रहा है, मैं केवल इतना ही नहीं समझता हूं, हमने स्पॉट फिक्सिंग को लेकर लगभग दो दिन पहले बात की थी, लेकिन रोज कोई न कोई इस प्रकार की घटनायें हमें सुनने को मिलती हैं, जिससे देश शर्मसार हो रहा है। कल रात की यह घटना है, यहीं एक पांच सितारा होटल की घटना है। आईपीएल का मैच दो टीमों के बीच खेला जा रहा था। उसके बाद एक रेव पार्टी थी और उस रेव पार्टी में एक विदेशी महिला के साथ, एक विदेशी खिलाड़ी ने, जो भारतीय टीम आईपीएल के साथ जुड़ा हुआ है, उसने वहां बलात्कार किया। यह चर्चा सब जगह है, देश में तो घूमी ही है, पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गयी। उसी प्रकार से परसों रात को, हमारे एक बड़े नामी कलाकार हैं, उनके ऊपर आरोप गढ़ा गया कि शराब पीकर वह मैदान में उतरे थे, उसको पूरे दिन तक हम देखते रहे। क्रिकेट हमारे देश में धर्म की तरह माना जाता है। इसके पहले पांच लड़के स्पॉट फिक्सिंग फंस गए। आपको ज्ञात होगा कि 2 अगस्त, 2011 को स्टैंडिंग कमेटी फाइनान्स ने यहां पर एक रिपोर्ट रखी थी जिसके अंदर यह बताया गया था कि आईपीएल में यह पैसा कैसे टैक्स हेवन से आ रहा है? कैसे देश के विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन किया गया है? उसमें यह भी कहा गया था कि आईपीएल क्रिकेट की संस्कृति को खत्म कर नाचने-गाने की संस्कृति को ले कर आया है। इसलिए जब आप बलात्कार के केस को सुनते हैं तो बहुत दुःख होता है। ऐसा लगता है मानो बीसीसीआई इस देश के कानून के ऊपर है, आईपीएल इस देश के कानून के ऊपर है। वह जो चाहता है कर सकता है। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, कई बार मैं सोचता हूं कि अच्छा हुआ मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। यदि वह जिन्दा होते तो जहर खा कर मर जाते। क्या हम आज भी गुलाम हैं? क्या आज भी क्रिकेट और बीसीसीआई सरकार और कानून के ऊपर चलती रहेगी। हम चिट्ठियां लिखते हैं, आगे बात करते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता है।

आपके माध्यम से मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर आप से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, मैं जीता हुआ प्रतिनिधि हूं, दूसरी बार संसद में आया हूं, तीन बार जीत चुका हूं, आपसे हाथ जोड़ कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच करा कर यह जो तमाशा बना हुआ है, आईपीएल को लोग कहते हैं कि यह बहुत बड़ा एन्टर्टेन्मेंट है, यह सिनेमा का

एन्टर्टेन्मेंट है, जैसे सिनेमा में एक हीरो होता है, एक हिरोइन होती है, एक विलेन होता है वैसे ही खिलाड़ी एक-दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, आपस में मिल कर बाहर से सेटलमेंट कर लेते हैं। इन्होंने कल भी यही प्रयास किया। जो विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, कल भी उन्होंने प्रयास किया कि उनसे बाहर से हम सेटलमेंट कर लें लेकिन उस महीला ने कहा कि नहीं मैं पुलिस में मामला दर्ज कराऊंगी। पुलिस को डेढ़ घंटे के बाद बुलाया गया और मामला दर्ज किया गया। ...(व्यवधान) मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इन सभी चीजों को लेते हुए मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। इसकी आन, बान, शान, और मान-मर्यादा के लिए खेला है। यदि यह चीज नहीं की जाएगी तो इतवार से मैं फिरोजशाह कोटला मैदान में आमरण अनशन पर बैठूंगा और इन सभी चीजों की जानकारी दूंगा।

मैं यह समझता हूं कि जब संसद में हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है तो फिर इसके ऊपर आमरण अनशन करना और मर जाना, देश के लिए हमने खेलने का जो काम किया है वह ज्यादा बेहतर होगा इसके बनिस्पत कि मैं यहां बैठूं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, डॉ. तरुण मंडल, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्रीमती पुतुल कुमारी, श्री रमेन डेका औरा श्री विश्व मोहन कुमार, श्री कीर्ति आजाद द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) इन्होंने जो बात कही है वह गंभीर है। सरकार को इसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी मौके पर यह जो तमाशा चला रहा है, देश भर में खेल के नाम पर पूरी संस्कृति बिगाड़ी जा रही है। यह ठीक बात कह रहे हैं। इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार में जो मंत्री हैं उनको इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए।

SHRI RAVNEET SINGH (ANANDPUR SAHIB): Madam, I wish to apprise the House that the funds provided by the Central Government to Punjab under various Centrally-sponsored schemes have not only been diverted but also they have been mismanaged by the ruling SAD-BJP Government.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: You address the Chair.

SHRI RAVNEET SINGH : The Finance Minister of Punjab has admitted the diversion of Rs.2,000 crore during the last five year rule of the SAD-BJP Government.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया इनकी बात को सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI RAVNEET SINGH : Due to this violation, the schemes pertaining to the most vital sectors such as welfare, health, agriculture, rural development and irrigation have suffered badly.… (*Interruptions*)

It is also found that the interest accrued on the Centrally-sponsored funds held by the State has been adjusted in the contributory share of the State Government. मैं जहां से एमपी हूं। While conducting the District Level Vigilance and Monitoring Committee meeting of Shaheed Bhagat Singh Nagar District, I myself have traced one such case when the DEO admitted that interest accrued on Sarva Shiksha Abhiyan funds has been taken back by the State office.… (*Interruptions*)

Likewise, the State Government earned a huge profit on the sale of wheat through PDS for general category. This wheat was released at the rate of Rs.6.10 per kilogram but the State sold it at the rate of Rs.8.10 per kilogram, and then in the form of *Atta,* it was sold at the rate of Rs.12 per kilogram.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Punia is allowed to associate with the matter raised by Shri Ravneet Singh.

The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.30 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty minutes past Fourteen of the Clock.

14.35 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) AMENDMENT BILL, 2011—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mukul Roy on the 17th May, 2012 namely:-

> "That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Kamal Kishor 'Commando' to speak.

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेलवे सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्री जी जो इस विधेयक को लाए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस पर कुछ बोलने से पहले कहना चाहूंगा कि इससे पहले जब ममता दीदी रेल मंत्री थीं, वे रेलवे के लिए तमाम प्रकार के प्रोजैक्ट लाई थीं। अगर हम उन्हीं प्रोजैक्ट्स पर चर्चा करें, तो शायद इस देश में रेलवे की जमीनों पर उससे बेहतर कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि रेलवे की जितनी खाली जमीनें हैं वहां अस्पताल बनाए जा सकते हैं, उन्हें किसी को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत देकर तमाम प्रकार के बिजनस शुरू किए जा सकते हैं। उन जमीनों का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब रेलवे का सम्पर्क सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से होगा, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं है। कहना आसान है लेकिन इसे करने के लिए बहुत ऐफर्ट्स करने होंगे। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भारत के कोने-कोने में रेलवे की जमीनें खाली हैं, रेलवे के पास सबसे ज्यादा खाली जमीनें हैं, रेलवे की जमीनें बहुत अच्छे शहरों के नजदीक हैं। वहां अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेल-कूद के लिए स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। मैं सबसे पहले यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस अमैंडमैंट से पहले इस पर पुन: विचार होना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि भारत में रेलवे की जितनी जमीनें खाली हैं, उनमें विद्यालय, अस्पताल आदि तमाम इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं।

हम यह भी कहेंगे कि जो बड़ी-बड़ी जमीनें खाली हैं, अगर उनमें उद्योग-धंधे खोले जा सकते हों, तो भारत के लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं होगी। इस देश में सबसे ज्यादा फायदा कहीं होता है, तो वह रेलवे से होता है।

मैं गोरखपुर का एक उदाहरण देता हूं। वैसे मैं बहराइच से सांसद हूं। वह नेपाल के बार्डर से लगा हुआ इलाका है। वहां नानपारा की जमीन है। अगर उस जमीन पर एक अस्पताल बना दिया जाए तो नेपाल के लोग भी वहां इलाज करवाने के लिए आएंगे। इससे नुकसान नहीं होगा, बहुत वित्तीय फायदा होगा। गोंडा-बहराइच और बहराइच से नेपालगंज रोड, जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, रेलवे लाइन का बहुत बड़ा आमान परिवर्तन हो रहा है। उस इलाके में आवागमन का एक ही साधन है। वैसे नेपाल जाने और आने के लिए दो ऐंट्री हैं। ...(व्यवधान) यह देश अपना कितना नुकसान कर रहा है, मैं वह बताना चाहता हूं। रेलवे को चाहिए कि वह खाली जमीनों में अस्पताल खोले। उन जमीनों पर अवैध कब्जा है। उसे कौन बचाएगा। उसे बचाने के लिए आरसीएफ की फोर्स सफिशिएंट नहीं हैं, because Railway is a very broad organization. इसके लिए आपको रेलवे में ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ आदि में भर्तियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि रेल को चलाने के लिए उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है, चाहे मालगाड़ी, पैसेंजर, एक्सप्रैस या शताब्दी हो। जब तक सिक्युरिटी के जवान नहीं चढ़ते तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। कभी-कभी ऐसा होता है कि गाड़ियां जंगल में जाकर रुक जाती हैं, कभी ऐसे इलाके में रुक जाती हैं जहां पैसेंजर बिल्कुल घबराए रहते हैं। वहां इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं फोर्स में अफसर रहा हूं। I know each and every stage. I have seen each and every situation at that time. This is very important. किसी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इस देश में काम पहले कर दिया जाता है और सुरक्षा की बात बाद में की जाती है। इसलिए इस देश की सबसे ज्यादा क्षति हो रही है।

पहले हमें सोचना है कि हम जो अगला कदम उठा रहे हैं, वह सही है या नहीं? रेलवे में सिक्योरिटी की व्यवस्था पहले हो और जितनी जमीन रेलवे की खाली पड़ी है, रेलवे को तत्काल उसका सही उपयोग कराना चाहिए। आपके जितने बने हैं, उनमें जो लोक समितियां बनी हुई हैं, उनकी कार्ययोजना बेहतरीन है, अच्छी है, इनको जिम्मेदारी दीजिए कि जो भूमि खाली पड़ी है, उन पर जो अवैध कब्जे हैं, उनको हटाया जाए। वह कब्जा हटाने के लिए फिर आपको फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। You do not have sufficient number of personnel in the RPF. That is very important. रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे के जो आर्गनाइजेशन्स हैं, इसकी

जो फोर्सेज हैं, वे किसी भी तरह से आर्मी से कम नहीं हैं। आर्मी का जितना बड़ा रोल होता है, यहां आंतरिक सुरक्षा की बात है। RPF looks after the internal security in a way, but the Army looks after outer security. आर्मी बाहरी सुरक्षा देखती है, लेकिन पुलिस फोर्सेज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे सीपीओज को लीजिए, आरपीएफ को लीजिए, उनकी बाहरी सुरक्षा करने वालों से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो बाहरी सुरक्षा काम नहीं आती है। हमेशा हमें ध्यान देना है कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वे सुरक्षित हैं, तो हमारी सेनाएं बाहर से हमारी सुरक्षा का काम कर सकती हैं। ज्यादा समय न लेते हुए यही कहूंगा कि जो भी खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, यह जो कानून सुधार के लिए लाया गया है, वह बहुत ही पुराना है। वर्तमान समय के अनुसार उसमें जो सुधार लाना चाहिए, उसको करने की कोशिश मंत्री जी ने की है, इसको मैं समर्थन देता हूं। लेकिन हमको इतना विश्वास नहीं हो रहा है कि यह संशोधन और सुधार लाने के बाद भी, आज जितनी रेलवेज सम्पत्ति पर अवैध कब्जे की बात हो रही है, इसमें कुछ कमी आएगी या रेलवेज उस पर कुछ रुकावट लगा सकेगी क्योंकि रेलवेज सम्पत्ति को चाहे वह मूवेबल हो या इममूवेबल हो, स्थावर हो या अस्थावर हो, इसको लोग समझते हैं कि अपने घर की संपत्ति है और ज्यादा से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टी का उठाकर अपने घर ले जाते हैं। हमारा एक डाक्टर फ्रेन्ड, आप जानते हैं, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में अस्पताल में काम करता है। वहां का प्रशासक इतना हैरान हो गया था कि अस्पताल की सब चीजें लोग उठाकर ले जाते थे, उनका स्टॉफ लोग ही ज्यादा ले जाते थे। जब वह उसको सुधार नहीं पाए, तो सभी चीजों के ऊपर ऐसी मोहर लगा दिया था कि यह चीज ईसीएल से चुराकर ले आया है। इसके बावजूद भी स्टॉफ लोग उन चीजों को उठाकर ले जाते, अपने ड्राइंग रूम में वह लिनेन बिछाकर रखते थे, जिसके ऊपर मुहर लगी रहती थी कि ईसीएल से चुराकर ले आया है। रेलवेज की प्रॉपर्टी को लोग ऐसा ही समझते हैं। इस पर सख्ती होनी चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, जो ये कर नहीं सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ भी तालमेल करके ये चोरी, विशेषकर मूवेबल प्रॉपर्टी है, को लाया जाता है। आरपीएफ भी बहुत सारी करप्शन के साथ जुड़ी हुई है। आरपीएफ में जितनी कमी है, उनकी भर्ती जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसको भी सुधारना चाहिए अन्यथा रेलवे सम्पत्ति पर अनलॉफुल पोजेशन को हम नहीं हटा सकेंगे।

बात यह है कि रेलवेज की जितनी ऐसी संपत्ति खाली पड़ी है, अगर कुछ खाली रह जाएगा, तो उसमें कोई जाकर बसेगा। खाली जगह ज्यादा दिन पड़ी नहीं रह सकती है। रेल मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस प्रकार जो रेलवे की खाली जमीन पड़ी है, वहां पर अस्पताल, स्कूल्स, कल्चरल सेंटर्स या कमर्शियल काम्पलेक्स बनाएंगे और दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। इसके अलावा समिति ने जो पीपीपी माडल पर काम करने के आपको सुझाव दिए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। रेलवे के पास जो पैसा है उससे और दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पैसा लेकर यह काम किया जा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा ग्राउंड केनिंगमेन, जिसे सुंदरबन का गेटवे कहा जाता है, वहां पड़ा हुआ है। मंत्री जी ने पहले कहा था कि वहां स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी बनाएं, नहीं तो उस खाली पड़ी जमीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो सकता है। रेल

मंत्री जी को गैर कानूनी कब्ज़े में ली गई रेलवे की जमीन को वापस लेना चाहिए। लेकिन जो स्माल ट्रेडर्स हैं, वेंडर्स हैं, छोटे बिज़नेस करने वाले हैं या हॉकर्स हैं और रेलवे से जीवन निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें वहां से हटाने से पहले उनके रिहैब्लिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि गैर कानूनी कब्ज़े वाली जमीन को वापस लेने के लिए आप उन्हें उजाड़ दें। पहले उनके रिहैब्लिटेशन की व्यवस्था करें, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, फिर उन्हें वहां से हटाएं, जिससे वे लोग अपना जीवन निर्वहन करते रहें और बेरोज़गार न हों। मेरे संसदीय क्षेत्र में केनिंग है, घटियारीशरीफ तीरथ है, बरुइपुर है, मगरा हाट है, ऐसे कुछ स्टेशंस हैं, जहां ऐसी समस्या है। । यह ठीक है कि जीआरपीएफ राज्य सरकार के अधीन होती है और उस पर रेलवे की जिम्मेदारी होती है। मेरा कहना है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और यह जो डुअल रिस्पॉंसिबिलिटी की बात है, इसे खत्म करना चाहिए। कई स्टेशंस पर हम देखते हैं कि रेलवे के वैगंस यानि मालगाड़ियां खड़ी होती है, तो लोग उनसे माल चुराकर ले जाते हैं। अब इसे कौन रोकेगा, जीआरपीएफ या आरपीएफ, इस बात को लेकर इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता है। इस पर भी रेल मंत्री जी को फैसला करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the Members for actively participating in this discussion. … (*Interruptions*) I have noted their constructive suggestions. We are already working on a comprehensive Bill, and we are consulting all stakeholders including the State Governments.

Members have shown their concern for security of the Railway land. Railways are engaged in a continuous exercise to protect the Railway land from encroachments by providing boundary walls, fencing, tree plantation, etc. at vulnerable locations on a programmed basis. Encroachments on Railway land are dealt with in accordance with the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (PPE Act, 1971) as amended from time to time. As a result of these efforts, there has been reduction in number of encroachments as well as areas encroached upon.

I have also noted the recommendations of the Standing Committee. Emphasis is being given towards better coordination with the State Police and GRP. Instructions have also been issued to hold regular / periodical meetings with GRP at station level, Division level and Zonal level. RPF is also holding regular coordination meeting with the concerned intelligence agencies. The Indian Penal Code recognizes only dishonest misappropriation and, therefore, we have used the same legal term in clause 3.

Some Members have raised the issue of prosecution powers being given to RPF through this amendment. Since the enactment of the RP (UP) Act in 1966, RPF has the power to conduct inquiry and submit the complaint before the court of law for prosecution, when any person is arrested or forwarded to the Force for an offence under the RP (UP) Act.

Similarly, some Members raised concerns about the term ‘found’. This term already exists in the Act.

The present amendment will enable RPF to conduct inquiry even on receipt of information. Thus, RPF will continue to conduct inquiry and submit the report before the court of law for prosecution.

Apart from this, today two hon. Members, Shri Kamal Kishor and Dr. Tarun Mandal, spoke about other issues, one of which is how to protect the railway property in Gorakhpur and other important areas. This is one of the most important issues. There exists a vast area of land. When there is so much of property, how to protect it becomes an important issue. That is why we have to give more powers to the Police. For that purpose, we have brought these amendments to the Act.

I can also understand the feelings of the Members of Parliament. Many valuable suggestions have been given by the hon. Members of Parliament. We will keep them in view and look into those things.

One of the most important things is the strength of the RPF. The total number of RPF personnel as on today is 74,000. There are about 15,000 vacancies. Applications have already been invited and received, and the process has been initiated to fill up these vacancies.

This is our programme, Mr. Deputy-Speaker, Sir. The RPF personnel have got the powers to conduct an inquiry and submit the report before the court of law. This is only a simple amendment that we have brought before the House. All the discussion has been based on the recommendations of the Standing Committee. Based on their recommendations only, we are bringing this amendment. I hope the hon. Members will pass this Bill unanimously.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Jhansi Lakshmi, you can raise only one question.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Sir, please permit me to speak from here.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I appreciate the contribution of Railways towards development of infrastructure in Andhra Pradesh. I would request the hon.

Railway Minister to consider a third line between Vizianagaram - Palasa *via* the principle towns in Coastal Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a question. Please ask your question. You are not asking a question.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : I am putting the question. The survey for this line has already been sanctioned. Vizianagaram being one of the most backward districts in Andhra Pradesh, may I know what the causes are for the delay in obtaining survey observations?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, do you want to respond?

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Hon. Deputy-Speaker, this is not related to the current debate. However, we will look into the request of the hon. Member of Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

Amendment made:

Page1, line 4,--
for "2011"
*substitute "*2012*".* (2)

(Shri K.H. Muniyappa)

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page1, line1,--
for "Sixty-second"
*substitute "*Sixty-third*".* (1)

(Shri K.H. Muniyappa)

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

14.57 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2012

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): We have to have yet another round of short discussion as some of the hon. Members are yet to speak on the Bill to amend the Motor Vehicles Act. Therefore, I would request that we may not take up that item today. I would ask it to be listed for Monday. You may kindly take up the discussion under 193 regarding storage of grains to be moved by Shri Sharad Yadav ji.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the House is agreeing on this.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

14.58 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of faulty policy for procurement of food grains and inadequate facilities for their storage

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 18. Shri Sharad Yadav.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर इस सदन में चर्चा हुई। इसमें अलग-अलग तरीके से सदस्यों ने समस्या को रखा है। मैं सोचता हूं कि इसमें अपोजिशन के मैम्बर थे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी इस विषय पर बोले हैं। यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, शुगर कोआपरेटिव मिनिस्ट्री और काटन कारपोरेशन का मामला है।

15.00 hrs.

यानी मैं यह कहूं कि जब तक पूरी भारत सरकार का इस पर एक साथ रुख नहीं होगा, तब तक इस सवाल का समाधान नहीं हो सकता। मैंने इस बहस को शुरू कर दिया है। यहा थामस जी बैठे हैं, श्री पवन कुमार बंसल जी और जोशी जी बैठे हैं। जो इस देश का टोटल प्रोडक्शन है, जो इस साल ऐस्टीमेट किया गया है, चाहे वह व्हीट हो, राइस हो, पल्सेज हो, कोअर्स ग्रेन्स हों, यह 252 मिलियन टन्स एप्रोक्सिमेटली है। अब की बार प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस लगभग 190 मिलियन टन्स है, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा दो-चार इधर-उधर होगा। पूरे देश भर में आज खासकर अनाज के सड़ने और बर्बाद होने का संकट है। हमारे देश में जो हमारा बफर स्टाक होगा, वह लगभग 75 मिलियन टन्स होगा और बफर स्टाक की जो जरूरत है, वह 31.9 मिलियन टन्स है। आपको मिनिमम बफर स्टाक रखने की जरूरत है। आपने ऊपरी सदन में बोला है कि लगभग 20 मिलियन टन्स अतिरिक्त अनाज होगा, सरप्लस फूडग्रेन होगा। मेरा अनुमान है कि यह 30 मिलियन टन्स होगा। आप फिर से अपना गणित ठीक कर लीजिए। आप जाकर ठीक से पूछिये तो यह ज्यादा होगा, जो आपका अनुमान है, उस अनुमान से कई गुना ज्यादा सरप्लस पैदा होगा। आपकी स्टोरेज की टोटल कैपेसिटी 19 फीसदी है। मैंने कहा कि हर वर्ष आपने शुगर, व्हीट और राइस के लिए रिजर्वेशन कर दिया है कि जूट के बैग के बगैर दूसरा कोई पोलिथीन का या अन्य कोई बैग नहीं आयेगा। यह कोई एक साल का नहीं हैं, हर वर्ष इस मामले में कहीं न कहीं चूक हो जाती है। चाहे भारत सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चूक होती रहती है। इसके चलते फसल के समय हिंदुस्तान के किसान की समय की बेचैनी को आप और इस सदन के अधिकांश सदस्य

जानते हैं कि जब उसकी फसल कट जाती है और घर आ जाती है तो बड़ी मुश्किल से मौसम से बचाते-बचाते किसान उसे घर लाता है और अनाज को रखने का हमारे यहां हजारों वर्षों से परम्परागत स्टोरेज का बड़ा जबरदस्त इंतजाम था। गांव-गांव में चालीस वर्ष पहले बंडा होते थे, कोठियां होती थीं, यानी इनके कई तरह के नाम हरियाणा और अलग-अलग राज्यों में हैं। कई जगहों पर भूसा रखने के लिए और अनाज रखने के लिए इनके बहुत से नाम हैं। पहले कोठी होती थी, कोठा होता था। उसके कई नाम थे। जैसे फौज लड़ने आती है, जब यहां बाजार लड़ने आया तो उसने सारे, या हमारी आजादी आई, हमारे देश में धरती से और हमारे किसानों के अनुभवों से जो चीज़ें हमारे पास थीं, उसे हमने पूरी तरह से बर्बाद और तबाह कर दिया है। ऐसा तबाह किया है कि आज सरकार के सर पर है। भारत में फूड ग्रेन का बहुत संकट था। खास कर गेंहू और अनाज के लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एफसीआई को बनाने के लिए 14 जून, 1965 में यह फैसला किया था। एफसीआई की, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया की, शुगर कॉर्पोरेशन की और जूट कॉर्पोरेशन की कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। ये ऐसी संस्थाए है, जिनको मजबूत किए बगैर आपने पूरे देश भर में जो किया है, वह ठीक नहीं है।

जो अनाज रखने की परंपरा है, गांव में कोई आदमी, कभी सूखे पड़ते थे, बरसात आती थी, कहीं काम नहीं मिलता था तब वह घर का अनाज ही काम आता था। कोई ज्यादा पेस्टीसाइड भी नहीं लगती थी, नीम की पत्तियां डाल कर आप अनाज को कई वर्षों तक, दो-दो, तीन-तीन वर्षों तक चलाते थे। तीन वर्ष तक रखे हुए चावल के स्वाद का तो कुछ कहना ही नहीं है। उस कोठी का जो अनाज होता था, तीन वर्ष बाद तो उस चावल का स्वाद और बढ़ जाता था। गांवों में बच्चों की शादी-ब्याह होते थे, वे कोठियां गिन कर होते थे। हमारी तरफ बंड्डा देख कर शादियां किया करते थे। ये सारी चीजें हमने खत्म कर दी हैं। अब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि लड़ाई का मौका नहीं है। तत्काल ऐसी परिस्थिति आई हुइ है कि अनाज सड़कों पर पड़ा हुआ है। आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वेस्टर्न यूपी चले जाइए, मध्य प्रदेश के किसी इलाके में चले जाइए, बिहार में कहीं चले जाइए। हम लोग एफसीआई में गड़बड़ मानते हैं, खराबी तो सब में है, सड़क बनाने में भी गड़बड़ है। किस चीज़ में गड़बड़ नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ कि एफसीआई में बहुत गड़बड़ है। कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया में गड़बड़ है, शुगरकेन में गड़बड़ है, जूट कार्पोरेशन है। जूट को आपने रिश्ता बनाया है जूट बैग का। जब आपने यह रिज़र्व कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया। मतलब कि जो सामान प्रकृति से आता है, वही प्रकृति को बचाएगा, वही एंवायरमेंट को बचाएगा। यह काम अच्छा किया है। लेकिन इसमें इतने लोग लगे हुए है कि इसकी तैयारी बगैर बात बन नहीं सकती है। आपने ये सारे कार्पोरेशन बनाए और बनाने के बाद ये सक्षम नहीं हुए। फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की कैपेसिटी क्या है? आप हमेशा योजना बनाते हैं कि आप स्टोरेज के लिए अपना गोदाम

बनाओगे, वेयरहाऊस बनाओगे। एफसीआई 7 साल तक अपना अनाज रखेगी। आपने स्कीम बना दी। समीक्षा कर के देखा तो वह स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई, आपकी योजना फेल हो गई। प्रणब बाबू इस पर बोल रहे थे कि हमने सब्सिडि दी हुई है। मंत्री जी, आप पता लगा लीजिए, फिर से बैठ कर सोच लीजिए, आप लोगों ने बड़े पैमाने पर गोदाम और वेयर हाउसेज़ को बनाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार में तो एक कदम बड़ा बढ़िया उठाया गया। जब मैं मिनिस्टर था, तब मैंने भी वहां तीन सौ लाख टन की स्टोरेज़ बढ़ने के लिए कदम उठाया था। जो वेयर हाउस बनायेगा बिहार सरकार ने अभी उसको पचास फीसदी सब्सिडी देने का काम किया है, क्योंकि वहां बड़ी मुश्किल है, बिहार में प्रोक्योरमेंट की बहुत किल्लत है, बहुत दिक्कत है, उसका कारण यह है कि वहां स्टोरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही हालत है, मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही हालत है। पंजाब और हरियाणा में भी ऐसी हालत है कि वहां तो ऐसा मुश्किल हो गया है, सर छोटूराम ने अपने जमाने में, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसमें सर छोटूराम ने मंडी सिस्टम इतना बढ़िया बनाया कि देश भर में अकेले कहीं खरीद हो रही है तो पंजाब और हरियाणा में होती है। लेकिन वे अब उस बोझ को नहीं ढो पा रहे हैं। अनाज का सरप्लस इतना है, जो अतिरिक्त अनाज है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी देश भर में जो परिस्थिति है, राजस्थान में कोटा है, गंगानगर है, कोई माननीय सांसद मुझे बता रहे थे कि कल या आज वहां जूट बैग्स पहुंचे हैं। जूट बैग्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, वह इतना अनाज कहां रखा जाएगा, उस अनाज में कितनी मिट्टी मिल जाएगी, वह अनाज किस काम का बचेगा? मान लो किसान का नुकसान नहीं हुआ, तो सरकार का कितना नुकसान होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि आप कुरुक्षेत्र चले जाइए, हरियाणा और पंजाब के किसी गांव में चले जाइए, सारा अनाज सड़कों पर पड़ा हैं, ट्रैफिक जाम है, सब जाम है, यह हालत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा एक जगह नहीं है। प्रणब बाबू ने कहा था कि हमने सब्सिडी देकर रखी है, जो गोडाउंस बनायेंगे, उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था है। आपको देखना चाहिए कि वह सब्सिडी उन्हें अभी तक मिली या नहीं मिली। वर्ष 2009 में आपने सब्सिडी दी थी। वर्ष 2009 के बाद जिसने-जिसने गोडाउन बना लिए, उनको सब्सिडी मिली या नहीं मिली, आपने पच्चीस फीसदी सब्सिडी दी थी। बड़े पैमाने पर छोटे व्यापारियों ने, जिन किसानों की हैसियत है, उन्होंने बना लिये और पूरे देश में बनाये हैं। आपने उनको सब्सिडी देकर, एग्रीक्लचर डिपार्टमेंट ने नाबार्ड का नोटीफिकेशन नहीं निकाला। बड़ी अजीब बात है। अब किसान बैंक में जाता है, तो वे उससे कहते हैं कि सब्सिडी तो खत्म हो गयी, किसान वापस आ जाता है। किसी के आधे बने हुए खड़े हैं और किसी के बनना शुरू हुए और बैंक ने सब्सिडी देना बंद कर दिया। आप यह तक नहीं कर सकते कि उनके पास नोटीफिकेशन पहुंच जाए। नौ साल में उन तक आपका नोटीफिकेशन नहीं पहुंच

रहा है। आपने सारे देश की परंपरागत जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसका सर्वनाश कर दिया, उसे खत्म कर दिया। अब यह अनाज क्यों सड़ रहा है? यह एक दिन की बात नहीं है। विजुअल मीडिया का यदि सबसे अच्छा एक हिस्सा है, तो वह यह है कि इस सड़ने वाले अनाज को जिस तरह से वे चित्रित करते हैं, तो सारा देश दुखी होता है। इस देश में लोगों के लिए अन्न का बहुत ज्यादा मतलब है, अनाज पेट से जुड़ा हुआ है, जीवन से अनाज जुड़ा हुआ है। पानी है, अनाज है, लोग खाना खाकर जरा सा भी, एक दाना भी झूठन नहीं छोड़ते हैं। खाना खाने से पहले लोग खाने को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज वह अनाज सड़ रहा है, अनाज के पहाड़ के पहाड़ लगे हुए हैं। आप देश भर में जाकर देख लीजिये, सब जगह अनाज के पहाड़ के पहाड़ खड़े हुए हैं। आपने कहा कि जीओएम बना, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, यह सदन चल रहा है, इस सदन में 5-7 दिन से हर तरफ से यह सवाल उठा। सुषमा जी ने यह सवाल उठाया, शैलेन्द्र कुमार जी ने उठाया, मुलायम सिंह जी ने यह सवाल उठाया। उस तरफ से सारे एम.पीज़ ने यह सवाल उठाया। मैं सलमान साहब को कहना चाहता हूँ कि 1991 से हमारे ज़माने में भी था और आपके ज़माने में भी है, हमने बाज़ार को अपना लिया है। आप नहीं रोक सकते। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बताइए कि बाज़ार आज किस हालत में है? बाज़ार का आपने जो सपना देखा था, वह चूर-चूर हो गया। आज जो बाज़ार है, वह आपको पीछे ढकेल रहा है। आपका जीडीपी घट गया, आपका बैलैन्स ऑफ पेमेन्ट गड़बड़ा गया, एक्सपोर्ट गड़बड़ा गया। लेकिन फिर पता लगा कि एक्सपोर्ट उस चीज़ में नहीं गड़बड़ाया जो इस देश की हज़ारों वर्ष की परंपरा में दस्तकार लोग हैं। दस्तकार लोगों का जो एक्सपोर्ट है, वह गड़बड़ाया नहीं है। यहाँ तो खेती और दस्तकारी थी। दस्तकारी का मामला हमने ठीक से नहीं बढ़ाया तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी गड़बड़ा गया। वह जो बाज़ार है, उसमें कई तरह का सैन्सैक्स ऊपर नीचे होता है, तो इसकी क्या हालत है? जो रुपया है, वह इतना ठंडा हो गया कि बरफ़ हो गया है। कैसी आफ़त है? अब जो विदेशों से सबसे ज्यादा 70 फीसदी तेल आप लेते हैं, वह तेल और महंगा हो जाएगा। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

हमने सुना कि रीटेल में एफडीआई नहीं आ रहा है, लेकिन आप रीटेल की एफडीआई पर टिके हुए हैं कि बाज़ार शायद इससे वापस हो जाएगा। सलमान साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप यकीन के साथ मेरी बात लिख लीजिए, अपने बाज़ार, अपनी परंपराएँ, अपनी संस्कृति, जिसको हिन्दुस्तान की आज़ादी का मकसद बनाकर लोगों ने लड़ा था, वह हमारी ताकत थी, वह हमारी स्ट्रैन्थ थी, वह ताकत हमने छोड़ दी। यह देखिये कि अनाज का क्या हुआ? आप भी तो गाँव के रहने वाले हैं। क्या कभी गाँवों में हम एफसीआई के पास गए? हम कहीं अपने अनाज को रखने गए थे? यहाँ सूखा और मौसम पर हमारी ज़िन्दगी थी। कोई सरकार नहीं थी, गुलाम देश था, तब लोगों में सब तरह की सुरक्षा थी और सब तरह की

चीज़ें उन्होंने बचाईं। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हिन्दुस्तान की ताकत और हिन्दुस्तान की अच्छाई, हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जितनी पहचानी थी, उतनी यदि हमने पहचानी होती, तो दुनिया के बाज़ारों में मुकाबला ही नहीं करते, हाथ मिलाकर यह देश खड़ा हो सकता था। लेकिन हमने नहीं किया। अब आपका बाज़ार पूरी तरह से ठप्प हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन हिन्दुस्तान के किसान ने एक वर्ष से नहीं, दो वर्ष से नहीं, पाँच वर्ष से आपको जहाँ खड़ा किया है, उसको देखिये।

डीज़ल के, फर्टिलाइज़र के, सब तरह के दाम बढ़ गए। श्रीकांत जेना जी बैठे हैं। ये जानते हैं कि खाद के दाम किस तरह से बढ़े और पहले तो हम खाद इस्तेमाल भी नहीं करते थे। खाद ने हमारे खेत बरबाद कर दिये और वह महंगी होती जा रही है। सारी चीज़ों की दिक्कत और तकलीफ़ के बाद भी हिन्दुस्तान के किसान ने पाँच वर्ष से आपको आपके देश की आबादी की ज़रूरत से ज्यादा अनाज पैदा करके दिया। हमारा सब चीज़ों पर ध्यान है। .यानी हम सब तरह से बाज़ार के लिए चिन्तित हैं, 24 घंटे चिन्तित हैं, लेकिन जो हमारे पास ताकत है, जिस पैर पर हम खड़े हैं, उस पैर को तो हम काटने का काम करते रहे, आज भी वह पैर कहीं न कहीं काम दे रहा है तो हम उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं हैं। दो-तीन वर्ष से अनाज के भंडार के भंडार लगे हैं, 20 करोड़ टन, 22 करोड़ टन अनाज जल रहा है, सड़ रहा है। उसे हम किसी आटा मिल को देते हैं तो सस्ता देते हैं और जो एफसीआई पर पड़ता है वह 12.50 रुपये या 20 रुपये पड़ता है।म उसे एक रुपया सस्ता देते हैं और सोचते हैं कि बाज़ार इससे कंट्रोल होगा। आप यह बात समझ लीजिए कि बाजार के लिए आपके पास ताकत है, बाकी तो आपका पूरा का पूरा सपना गड़बड़ा गया है। प्रणब बाबू कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, जीडीपी बढ़ेगी। जो आर्थिक स्थिति अभी है, वह नहीं गिरेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह कुछ कर लें, जो देश की आंतरिक ताकत है, उसके बिना देश खड़ा नहीं रह सकता है। हमारा पड़ोसी चीन हम से अनाज के उत्पादन में बहुत पीछे था। उसके पास जमीन भी कम थी। हिन्दुस्तान की गंगा और जमुना की जो धरती है, उसमें अर्थश्री था। अभी गंगा पर बहुत लोगों ने कहा। गंगा के ऊपर लोग श्लोक सुना रहे थे। इन श्लोकों से क्या होगा? यहां पानी की जरूरत है, पानी का सवाल है। लेकिन पानी सदन के हाथ में नहीं है। पानी कैसे बचे? नदी को कैसे बचाया जाए? ठहर जाइए! इस देश में यदि सबसे ज्यादा संग्राम किसी पर होगा, तो वह पानी पर होगा। सारी नदियों पर हर सूबे के आदमी जम गए हैं। वे सोचते हैं कि केवल उनका फायदा होना चाहिए। मैं सूबों का नाम लूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। हम अच्छे से सच्चाई की बहस भी सुनना नहीं चाहते हैं। एक बात याद रखना कि खरी-खरी सुनने से और विचार को अपमान की हद तक सुनने से ही मुल्क बनता है। जितने बड़े लोग हैं, उन्होंने जिंदगी में अपमान सहा, इसलिए उन विचारों को खड़ा करके हमने बुत खड़े किए हैं। वे बुत नहीं थे। हममें विचार मारने की कला है। हम बुत खड़ा कर सकते हैं, विचार को कभी खड़ा नहीं कर

सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई के जितने विचार हैं, क्या उनमें से एक को हमने दस्तकारी या खेती के बारे में माना है। महात्मा जी या उस समय के अन्य लोग कहते थे कि गांव रिपब्लिक है। हम आर्थिक रूप से बेशक पीछे होंगे, लेकिन हमारा हर गांव रिपब्लिक था। गांव में ही सब चीजों का इंतज़ाम था। लेकिन हमने उन रिपब्लिक्स को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या हम नया निर्माण करेंगे या नहीं? क्या हम नई सोच पैदा करेंगे या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सरकार को सचेत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश के 50-55 करोड़ किसानों की जरूरत है, देश की जरूरत है, वह जरूरत अनाज है। लेकिन लोगों के पेट खाली हैं। पेट में भूख की आग लगी हुई है। इस भूख की आग में जल कर इंसान मर रहा है। उसकी औसत उम्र सत्तर साल है, लेकिन वह पचास साल में ही मर रहा है। अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग सूखे के बारे में बहस कर रहे थे कि सूखा पड़ा हुआ है। सरकार दो चीज तो दे सकती है, फोडर दे सकती है, अनाज दे सकती है। आप क्यों नहीं भरपूर दे रहे हैं? आप बेशक पैसा बाद में देना, अन्य चीज बाद में देना, लेकिन आपके पास जो है, उसे क्यों नहीं देते हैं? मैं जब मंत्री था तब सात सूबों में मैंने अपनी सरकार से लड़कर कहा था कि जो अनाज विदेशों में भेजा जा रहा है या सड़ रहा है। इस अनाज को बड़े पैमाने पर बांटो। राजस्थान में आपकी सरकार थी। गहलोत साहब से पूछना कि मैंने उन्हें बुलाकर कहा था कि कोई कानून मत मानो। पांच-पांच, छः-छः बोरे अनाज के हर गांव में रख दो। यदि किसी की मौत भूख से हुई तो मैं आपको एक बोरा, एक क्विंटल अनाज नहीं दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो अतिरिक्त अनाज है, यह देश की पूंजी है। देश का पेट खाली है। गरीब दिक्कत में है। कोर्ट कहती है, पर उसकी बात नहीं मानते। हो सकता है आपके कानून न मानने लायक हों। लोक सभा के सदस्य कहते हैं कि यह सड़ा हुआ अनाज किसी तरह से बांटो। पर, आप नहीं करते। आप नीति बनाएं।

महोदय, अनाज का एक दाना भी छः महीने में बनता है। उसमें किसान की साल भर की मेहनत लगी होती है। अगर एक दाना अनाज भी खत्म होगा तो हम लोग जब चिंता करेंगे तो बोरे की चिंता करेंगे। एक बोरे की चिंता करेंगे तो क्विंटल की चिंता करेंगे और क्विंटल की चिंता करेंगे तो लाखों टन की चिंता करेंगे। आपका लाखों टन अनाज तबाही के कगार पर है। इसमें आपका ज्यादा खर्च नहीं होने वाला। अगर खर्च भी होग तो क्या इससे बड़ी कोई अन्य चीज है? आपने स्टोरेज के सारे रास्ते पूरी तरह से जला दिए। अब स्टोरेज के मामले में आपने जो योजना बनायी हुई है, किसी तरह से उसे आगे बढ़ाइए। वह दूरगामी है। वह कल की समस्या है जिसका लम्बे समय में समाधान होगा। उसे सब्सिडी देकर आगे बढ़ाइए। अभी तत्काल उसका डायवर्सिफिकेशन आप कैसे करेंगे?

जो अतिरिक्त अनाज है, जो आपका बफर स्टॉक है, वह तो मिनिमम 31.9 मिलियन टन है। वह तो मिनिमम है और यह अतिरिक्त 75 मिलियन टन अनाज है वह कहां जाएगा? उसका क्या होगा? आपके पास गोदाम नहीं है। उसे आप प्लिंथ में रखेंगे और उस पर आप तारपोलीन लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप और कितने मिनट बोलेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने से रोक नहीं रहा हूं। मैं केवल पूछ रहा हूं।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसे बस बहस के लिए चला रहा हूं। मुझे जो दर्द है, उससे ज्यादा आपको उसके बारे में मालूम है। उन दर्दों के दौर से आप ज्यादा गुजरे हैं। लेकिन हमने आज़ादी के बाद उन दर्दों के बारे में चिंता नहीं की। हम लोग संसद के साठ वर्ष का जलसा मनाते हैं। इसे मनाना चाहिए। लेकिन, इस देश के 80 फीसदी लोगों की जो हालत है, वह क्या है?...(व्यवधान) आपके पास जो अतिरिक्त अनाज हैं, वे लाखों टन हैं। पॉलिसी बनाने के लिए इन्हें राज मिला हुआ है। हमारी उनसे यही अपील है कि अनाज को बर्बाद न होने दें। हमारा उनसे यही निवेदन है।

महोदय, हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। आप तो साठ वर्ष की नीतियों पर बैठे हुए हैं। आज तत्काल कुछ करना आपके हाथ में नहीं है। अगर सरकार खड़ी हो जाएगी तो आपके हाथ में आ जाएगा। अभी जो सरप्लस अनाज है, उसके बारे में आप फैसला नहीं कर सकते। आप डायवर्सिफिकेशन का फैसला नहीं कर सकते। आप सब्सिडी देने का मामला तय नहीं कर सकते। वह वित्त मंत्री तय करेंगे। मुझे वित्त मंत्री और सरकार पर दया आती है। यह अनाज इतना है कि इसकी सब्सिडी इतनी बढ़ जाएगी कि इस सरकार का घाटा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब बाजार पूरी तरह हलचल में है। वह बाजार एक इमारत की तरह चरमरा कर गिर जाएगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है। मैं सरकार से भी यह कहना चाहता हूं।

महोदय, मैं जब आज बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे साथ बहुत लोग हैं जो बोलेंगे। पर, मैं दो दिनों से यहां इसलिए बैठा हूं कि अगर सदन का सत्र नहीं चलेगा तो फिर सरकार इसकी चिंता नहीं करेगी। सरकार को क्या-क्या चिंता करनी चाहिए, इस पर वित्त मंत्री जी ने कहा। कृषि मंत्री जी तो अभी बोल नहीं पाए हैं। खाद मंत्री जी बोलें। लेकिन, यह मामला अकेले अपने वित्त मंत्री जी, खाद मंत्री का नहीं है, कृषि मंत्रालय, और योजना आयोग इत्यादि का नहीं है। पूरी सरकार जब अपनी पूरी तबियत और पूरा मन बनाकर पुरूषार्थ करेगी तभी इस समस्या का रास्ता निकलेगा, नहीं तो इसका रास्ता निकलने वाला नहीं है। अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो देश में जो एक चीज़ सुकून की है, उसे हम क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस देश में पेट खाली है। लोग भूखे हैं। आप आदिवासी इलाकों में नरेगा की बात कहते हैं। नरेगा का आपको

पता नहीं है कि नरेगा में काम मिला या नहीं मिला। आप एक काम ही कर लीजिए कि ट्राइबल इलाके में जाकर सर्वे करा लीजिए कि नरेगा की क्या हालत है। इस देश में तो सबसे ज्यादा ट्राइबल्स हैं।...

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, अगली बार आप इस चर्चा को जारी रखिएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(Interruptions) ...[*]

---

[*] Not recorded.

15.30 hrs.

MOTION RE: TWENTY-SIXTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members Bill and Resolutions presented to the House on 9 May, 2012."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on 9 May, 2012. "

The motion was adopted.

15.32 hrs.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Special economic development package for the desert regions of the country ...Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House would now take up Private Members Bills and Resolutions. हम माननीय सदस्यों को सूचित करते हैं कि इस संकल्प पर 2 घंटे 57 मिनट का समय पहले लिया जा चुका है। इस प्रकार इस पर चर्चा के लिए आबंटित समय अब समाप्त हो गया है। चूंकि संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए अभी एक माननीय सदस्य और शेष हैं, इसलिए सदन को संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि यह सभा सहमत हो तो संकल्प पर चर्चा के लिए समय को इसके निपटान के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिये।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय सांसद श्री हरीश चौधरी जी द्वारा 26 अगस्त, 2011 को जो संकल्प पेश किया गया है, देश के मरु प्रदेशों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज की जो इन्होंने मांग की है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से हम वीर भूमि राजस्थान से जुड़े हुए हैं। होली हमारे यहां दोनों का एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। मेरा क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी, दलित एवं पिछड़े लोगों का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सारा हमारे यहां जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन आधारित जीवन-यापन करता है। अरावली गिरिमाला की शुरूआत हमारे क्षेत्र से ही होती है और इसके कारण ज्यादातर जमीन कंकरीली और पथरीली होने के कारण बिन उपजाऊ है। अगर सिंचाई की बात करें तो पूरे क्षेत्र में सिंचाई की पूरी सुविधा नहीं है, जिसके कारण कृषि का विकास जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। आज भी सिर्फ मानसून सीजन पर आधारित वहां की कृषि है, बाद में किसान वहां खेती नहीं कर सकते।

रेलवे का भी पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आज हमारे क्षेत्र में एक भी रैक पाइंट नहीं है। वहां किसान पीड़ित हैं, दुखी हैं, उससे कृषि भी प्रभावित होती है। हमारे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। रेलवे का विकास नहीं होने के कारण आज हमारे क्षेत्र में उद्योगों का भी विकास नहीं हुआ है। इसी के कारण हम आज भी पीछे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने क्षेत्र साबरकांठा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करता हूं, ताकि मेरे पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र साबरकांठा का सर्वांगीण विकास हो सके।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री हरीश चौधरी जी ने 26 अगस्त, 2011 को जो संकल्प पेश किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय सांसदों ने अपने-अपने राज्यों की, अपने-अपने क्षेत्र की बात रखी। आज हमारा देश बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। हमारे क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, गुजरात के अमरेली से, अमरेली जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। वह किसान, मजदूर आधारित क्षेत्र है। वहां और कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज हमारे देश में संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इनका सदुपयोग कैसे किया जाये, यह सही तरीके से आज तक नहीं हुआ है। सरकार को भी यह पता होना चाहिए कि इनका सदुपयोग कैसे किया जाये? इस देश का विकास जितना भी अच्छा होगा, उतना सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो पिछड़ा जिला है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें मूल स्वरूप में लाना है तो सरकार को उस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, हमारे देश का विकास, हमारे देश के योजना आयोग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि हमारे देश के योजना आयोग में जो लोग बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है? अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो आज देश में यह स्थिति नहीं होती।

महोदय, यदि मैं गुजरात की बात करूं तो जो गुजरात राज्य है, वह सरकार की कृपा से विकास के मामले गुजरात आज नम्बर एक पर है। यदि केंद्र सरकार गुजरात के विकास में कोई बाधा न डाले और निःस्वार्थ उसे मदद करे तो मैं यह वादा करता हूं कि आज गुजरात पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, वरन् पूरे विश्व में वह नम्बर एक का स्थान लेगा, आज गुजरात इतना विकास कर रहा है। एक दिन ऐसा आयेगा कि गुजरात अमेरिकन राज्यों को पीछे छोड़ देगा। पूरे गुजरात के लोग ऐसा दिन देखने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार-बार उसके विकास में रोड़ा डाल रही है। गुजरात में निम्नलिखित जो योजना का प्रश्न है, तीन-तीन साल से हम यहां आये हैं, लेकिन अभी तक एक प्रश्न का भी हल नहीं हुआ है। विकास तभी होता है जब क्षेत्र में पूरी सुविधा हो। अगर आज मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मुझे यहां दिल्ली आने के लिए अपने क्षेत्र से 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद आना पड़ता है क्योंकि मेरे क्षेत्र में रेलवे की सुविधा नहीं है। आज हम संसद के 60 साल मना रहे हैं। आज आजादी को 60 साल से ज्यादा हो गये

हैं, लेकिन रेलवे की वहां कोई सुविधा नहीं है। वहां मेरे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल भी नहीं है। वहां सेंट्रल स्कूल भी नहीं है तो वहां के गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे? यह भी एक सोचने की बात है। सबसे पहले किसी समाज का, किसी देश का, किसी राज्य का अगर विकास करना है तो सबसे पहले शिक्षा अनिवार्य हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कह रहा हूं कि मेरा जो प्रश्न है, मेरे क्षेत्र के जो काम बाकी हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस भावना से, जिस भाव से और जिस उद्देश्य से यह रिजोल्यूशन सदन में लाया गया है, उस पर चर्चा हुई है, मैं उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और उस भावना के साथ अपने आपको जोड़ता हूं। यह बिल्कुल सही बात है और निःसंदेह सारा सदन ही इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे विशाल मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आज तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो सके हैं। क्षेत्रीय विषमताएं हैं। क्षेत्रों, जिलों और राज्यों में डेवलपमेंट का बहुत फर्क है उनके खास कारण हैं। ये प्रस्ताव जो रेतीले क्षेत्रों के बारे में रखा गया है जहां पर विकास की गति उतनी जोर नहीं पकड़ पाई जितनी उसको पकड़नी चाहिए थी उसके बहुत कारण हैं जिसके बारे में सभी सम्माननीय सदस्यों को पता है। इस पर चर्चा भी की गई है। बहुत से सम्मानीय साथी जिन्होंने इस पर चर्चा की - हरीश चौधरी साहब, हुक्मदेव नारायण यादव जी, शैलेन्द्र कुमार जी, सतपाल महाराज जी, भतृहरि महताब जी, सेम्मलई जी, चौधरी लाल सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, अधिरंजन जी और अन्य सदस्यों ने बहुत योगदान इस चर्चा में दिया है। उन्होंने जो-जो कहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके पहले मैं कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं।

इस प्रस्ताव के माध्यम से विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड की गई है। उसका लक्ष्य बहुत उचित है और सराहनीय है। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा रेतीला क्षेत्र इस देश में है। इसमें हमारे सात राज्य, चालीस जिले और दो सौ पैतीस ब्लाक्स हैं। इनका कुल क्षेत्र मिला कर चार लाख सतावन हजार नौ सौ उनचास स्कवायर मीटर बनता है। बहुत बड़ा इलाका है जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इसके लिए साधनों की आवश्यकता है और साधन मुहैया भी कराए गए हैं।

मैं कुछ आंकड़े संक्षिप्त रूप मे पढ़ना चाहूंगा। वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक विभिन्न परियोजनाओं के तहत हमने 64438 करोड़ रूपये इन क्षेत्रों के विकास में लगाए हैं। मनरेगा के तहत 47879 करोड़ रूपये, इदिरा आवास योजना के तहत 8909.45 करोड़ रूपये, बीआरजीएफ के तहत 4393.50 लाख रूपये, बीएडीपी के तहत 1211.87 करोड़ रूपये, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1279 करोड़ रूपये और आईडब्ल्यूएमपी (इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम) के तहत करीब 1727 करोड़ रूपये हमने खर्च किए हैं जो कि कुल मिला कर 64438 करोड़ रूपये बनते हैं।

जब से स्कीम शुरू हुई थी, अगर वर्ष 1996-97 से लें तो हमने 75420.52 करोड़ रूपये इन इलाकों पर खर्च किए हैं। उसका फायदा भी हुआ है। इसका मूल उद्देश्य था कि रेतीले इलाकों की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो सॉइल इरोजन हो रहा है वह कम हो, पानी का जो मसला है वह ठीक हो, कनेक्टिविटी हो, कुछ उद्योग लगें, जैसा कि बताया गया कि पशुपालन, डेयरी डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर

की परियोजनाएं चलें। विभिन्न प्रान्तों की तरह इन सूबों का पूरा विकास हो सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य में कामायाब हुए हैं। मेरा यह दावा कभी नहीं है कि हम पूरी तरह कामयाब हुए हैं। सफर लंबा है। हमें बहुत कुछ आगे करना है और हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि इन क्षेत्रों की ओर पूरा ध्यान दिया जाए। जिस भावना के साथ ध्यान देना चाहिए उस भावना के साथ हम इन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं।

15.45 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

सभापति जी, मैं राजस्थान के मुतालिक कुछ कहना चाहता हूं। इन इलाकों में सब से बड़ा रेतीला इलाका राजस्थान है। एक लाख पचानवे हजार किलोमीटर से ज्यादा रेती का एरिया राजस्थान में है। इसमें हमने खास तौर पर मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड, बार्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम, डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम और इंडीग्रेटेड वाटरशैड मैनेजमैंट प्रोग्राम के तहत तवज्जह दी है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केवल राजस्थान में पिछले पांच सालों में इन विभिन्न परियोजनाओं के तहत हमने 22 हजार 61 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। चूंकि चुनौती इतनी बड़ी है, मसला इतना गंभीर और व्यापक है कि कुछ भी कर लें, ऐसा लगता है कि समुद्र में एक बूंद है। मगर लक्ष्य सामने है, इरादा नेक है, नीयत में कोई फर्क नहीं है और मिलकर इन क्षेत्रों को विकसित करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने हमेशा यह कहा है कि जहां तक विकास का मसला है, जहां तक डैवलपमैंट का सवाल है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, खास तौर से जहां तक इस तरह के पिछड़े इलाकों के विकास का सवाल है, हमें अपनी राजनीति को एक रचनात्मक पहलू में ढालना चाहिए।

मैं सदन के समक्ष एक बात और रखना चाहूंगा।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश भी बीच में ही है। मैंने कहा कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, कुछ ब्लॉक आंध्र, हरियाणा और गुजरात के, ये रेतिले एरियाज का सवाल है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं आता। मैं जिक्र कर रहा था कि जहां तक डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम का सवाल है, इसके तहत मैंने जो प्रोग्राम बताए, वे बताए ही, मगर हमने कुछ खास प्रोजैक्ट्स चलाए हैं। मसलन हमने राजस्थान में इन प्रोग्राम्स के तहत 6,581 प्रोजैक्ट लिए हैं। उनकी टोटल प्रोजैक्ट कॉस्ट 2187.20 करोड़ रुपये है जिसमें से 1515 करोड़ रुपये हमने रिलीज़ कर दिए हैं। इसका असर देखने को मिल रहा है। 37.79 लाख हैक्टेयर भूमि पर इसका असर पड़ा है। जहां तक मेरे आंकड़े हैं, मुझे जो रिपोर्ट दी गई है, उससे स्पष्ट हुआ है कि जो इसके मुख्य उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति में हमें कुछ सफलता जरूर मिली है। मसलन जो इकोलॉजिकल बैलैंस की बात थी, पानी, लाइव स्टॉक और ह्यूमन रिसोर्सेज़, इन्हें एक सांचे में ढालने और बांधने का जो उद्देश्य था, उसमें हम किसी हद तक कामयाब हो

सके हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि सफर लम्बा है, मिलकर दूरी पूरी करनी है। मैंने अभी जो आंकड़े गिए, वे 6 हजार कुछ के थे जो पिछले सालों में राजस्थान के लिए किए गए, लेकिन अगर भारतवर्ष का नक्शा लेकर चलें, हमने 15,746 प्रोजैक्ट्स के तहत 7.87 मिलियन हैक्टेयर के विकास के लिए धनराशि मुहैया कराई है और इसमें हमें कुछ न कुछ सफलता जरूर प्राप्त हुई है।

अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। हमारे मैम्बरान्स ने यहां जो स्पैसीफिक सुझाव रखे हैं, मैं उनका जिक्र संक्षेप में करना चाहूंगा। अर्जुन राम मेघवाल जी ने इनकम टैक्स ऐग्ज़ैम्शन की बात की, बार्डर एरिया डैवलपमैंट को और साक्षर, कारगर करने की बात की। आपने फैमिन कोड के बारे में जिक्र किया। ये सभी सुझाव सैद्धान्तिक तौर पर काफी अहम हैं। हम इन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि इन पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सतपाल महाराज साहब ने सोलर एनर्जी, इलैक्ट्रिफिकेशन और विंड टरबाइन्स की बात की। यह बहुत अहम सुझाव है। इसके लिए रिन्युएबल एनर्जी प्रोसैस के अंदर पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है। चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कारगर सुझाव है। मेरी खुद की यह इच्छा होगी और मैं जो कर पाऊंगा करूंगा, कि खास तौर पर सोलर एनर्जी, इलैक्ट्रिफिकेशन मिशन, विंड टरबाइन्स को इन एरियाज में डाला जाए जिससे एक व्यापक सुधार आए और विकास हो। भर्तृहरि महताब जी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि ऑयल एंड गैस की शिक्षा में स्टूडैंट्स को स्पैशल ग्रैजुएशन सैर्टिफिकेट्स मिलें क्योंकि राजस्थान में ऑयल एंड गैस मिला है। इन एरियाज में ऑयल एंड गैस होगा, लोग प्रोत्साहित होंगे कि टैक्नीकल एजुकेशन मिले ताकि उन्हें स्पैशल सैर्टिफिकेट मिलें। बहुत कारगर और रचनात्मक सुझाव आए। इन पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। हुक्मदेव साहब ने अपने भाषण में बहुत चर्चा की और कहा कि गरीब के लिए संवेदना नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। वे हमारे सम्माननीय और सीनियर नेता हैं। हमारे मैम्बर हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो दर्शन था, कांग्रेस पार्टी का भी वही दर्शन है। देश के लिए सारे सदस्यों का वही दर्शन है, सारे भारतवर्ष का वही दर्शन है। उस दर्शन से हम न पीछे चूके हैं, न आज चूक रहे हैं और न आगे चूकेंगे।

सभापति महोदय, आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जहां तक विकास का सवाल है, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर सारा सदन एकजुट होकर काम करे। इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। मैं कोई प्वाइंट स्कोर नहीं कर रहा हूं, अपने आपको थपथपा नहीं रहा हूं। किसी को दोष नहीं दे रहा हूं और यह भी नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ हमें करना चाहिए, वह हम पूरी तरह से कर पाये हैं। जैसा मैंने कहा कि सफर लंबा है, रचनात्मक राजनीति हो और एक शेर, विजय बहादुर जी उसे जानते हैं, वह बहुत अच्छा शेर है। उसे मैं आज पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा--

नेक हुक्मरान बहुत जल्द वह वक्त आयेगा,

जब हमें जीस्त के अदबार परखने होंगे,
अपनी जिल्लत की कसम, आपकी इज्जत की कसम,
हमें ताज़ीम के मयार बदलने होंगे।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ किया है, जो आंकड़े मैंने रखे हैं, उनको समकक्ष रखते हुए और अपनी भावनाओं को आपकी भावना के साथ जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना रेजोल्यूशन वापस ले लें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Harish Chaudhary to reply. He is not present.

Hon. Members, as Shri Harish Chaudhary, who is the mover of this Resolution, is not present in the House to exercise his right of reply, the Resolution moved by Shri Harish Chaudhary has to be put to the vote of the House.

The question is:

"This House expresses its deep concern over the backwardness prevailing in the desert regions of the Country and urges upon the Government to prepare and implement a special economic package for:--

(i) overall development of desert regions on the lines of the economic package provided to the north-eastern States to mitigate the problems being faced by the people living in desert regions; and

(ii) enabling the people of these regions to achieve a level of socio-economic development at par with the people living in other parts of the country."

The Resolution was negatived.

15.53 hrs.

(ii) Setting up of a Central University in Motihari district of Bihar

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं --

> "कि बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिले, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 'कर्मभूमि' भी रहा है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे।"

सभापति महोदय, आपने मुझे मोतिहारी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय आरंभ करने के संबंध में मेरे द्वारा दिये गये संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मेरा यह संकल्प उच्च शिक्षा से संबंधित है। केन्द्र सरकार बहुत समय से यह महसूस कह रही थी कि देश में अगर कुछ चुनिंदा संस्थाओं को छोड़ दिया जाये, तो शिक्षण के उत्कृष्ट संस्थाओं का अभाव है। हमारे देश में आईआईटी और आईआईएम जैसी कुछ ही संस्थाएं हैं, जिनकी गुणवत्ता विश्व स्तर की हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि इस प्रकार के संस्थानों की संख्या बढ़ायी जाये। वर्तमान में देश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 504 है, जबकि वर्ष 1950 में देश में कुल 27 विश्वविद्यालय थे। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 243 राज्य विश्वविद्यालय, 53 निजी विश्वविद्यालय, 130 डीम विश्वविद्यालय,33 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और 5 अन्य संस्थान हैं, जो देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 1950 में 578 थी, जो आज बढ़कर 30 हजार से भी ज्यादा हो गयी है। इस क्रम मेंष मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे की तरफ आना चाहूंगा। वर्तमान समय में देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की हालत राज्य विश्वविद्यालयों से बेहतर इसलिए मानी जाती है कि इन्हें वित्तीय संसाधन केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाते हैं। यहां के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें अन्य समकक्ष लोगों से बेहतर होती है। इसी कारण भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि उनके राज्यों में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें।

इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत कई नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आज शिक्षा बिहार के सबसे बड़े उद्योंगों में से बन गया है। राज्य में हर वर्ष उच्च शिक्षा संस्थाओं में लाखों की संख्या में छात्र प्रवेश पाने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन राज्य में उच्च शिक्षा के बेहतर संसाधनों की कमी के चलते उन्हें अन्य राज्यों की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन यदि हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, यह राज्य एक समय राष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा के संबंध में अग्रणी था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व की प्राचीनतम शिक्षण संस्थाओं में थे। इन संस्थाओं में पूरे विश्व से छात्र अध्ययन करने आते थे, लेकिन मध्य काल में बिहार शिक्षा के मानचित्र से लुप्त हो गया क्योंकि यहां जितने भी शिक्षण केन्द्र थे, वे आक्रमणकारियों द्वारा तहस-नहस एवं बर्बाद कर दिए गए। अंग्रेजों के समय में पटना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो उस समय देश की श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं में से एक था। लेकिन इतने बड़े राज्य में मात्र एक विश्वविद्यालय का होना बिल्कुल अपर्याप्त था। वर्तमान में बिहार में कुल 14 विश्वविद्यालय हैं और इनमें से कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है, लेकिन वह भी राजनीतिक कारणों से खटाई में पड़ी हुई है।

महोदय, इस संकल्प को लाने के पीछे मेरा मकसद इस अनिश्चितता की स्थिति को दूर करना है। जब से बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय हुआ, तब से इसके स्थान को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शीतयुद्ध का वातावरण बना हुआ है। राज्य सरकार नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार इसकी स्थापना गया में करना चाहती है। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यह कहना है कि बिहार सरकार ने मंत्रालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तीन वैकल्पिक स्थानों सुझाव दिया था, ये तीनों स्थान पूर्वी चम्पारण जिले के अंतर्गत मोतिहारी में स्थित हैं। लेकिन मंत्रालय को इनमें से कोई भी स्थान उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। मंत्रालय का तर्क यह है कि राज्य सरकार ने जो स्थान सुझाया है, वह रेल, सड़क एवं वायु मार्ग से अच्छी तरह नहीं जुड़ा है अर्थात वहां पर परिवहन अवसंरचना का अभाव है। ऐसे स्थान पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव नहीं है और यदि ऐसा नहीं हो सका, तो फिर यह संस्थान उत्कृष्टता का वह अवसर नहीं पा सकेगा, जिसकी परिकल्पना उस अधिनियम में की गयी है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि मोतिहारी में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वह हर संभव सहायता देने को तैयार हैं। बाद में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार की स्वीकृति या सहमति के बिना ही गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन की पहचान कर ली है,

लेकिन यहां हमें यह समझना होगा कि राज्य सरकार की राय में और केंद्र सरकार की राय में अंतर क्यों है। इसके साथ-साथ यहां और भी मुद्दे हैं जिनकी तरफ इस सदन का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि मोतिहारी उत्तरी बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह कोई नया नगर नहीं है। यहां नगरपालिका की स्थापना 1889 में की गयी थी यानि आज से लगभग 135 वर्ष पहले, जब आज के कई प्रमुख नगरों की नींव भी नहीं रखी गयी थी। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल जिनकी पुस्तकें - एनिमल फार्म और 1984, विश्व प्रसिद्ध रही हैं, का जन्म भी यहीं हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला हमारे राष्ट्रपित महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। यही वह स्थान है जहां बापू ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। इस हथियार ने आगे चलकर भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के इतिहास को भी बदल दिया। 20वीं सदी की शुरूआत में जब दुनिया के बाकी देश विश्वयुद्धों की ज्वाला में जल रहे थे, मानवता को एक ऐसी सीख, एक ऐसी सोच दी जो शाश्वत है और अपने आप में एक सम्पूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी ही नहीं, इस जमीन ने देश को अन्य अनेक विभूतियां भी दी हैं, जिनमें रामर्षि देव द्विवेदी, राजकुमार शुक्ला, कमलनाथ तिवारी, बटुक मियां, अजीजुल हक शामिल हैं। महात्मा गांधी के चम्पारण आंदोलन में राजकुमार शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका को कौन नहीं जानता है।

16.00 hrs.

अतः मोतीहारी हमेशा से उत्तरी बिहार का केन्द्र बिंदु रहा है। उस स्थान को पिछड़ा कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। यदि वह पिछड़ भी है तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से उसका पिछड़ापन दूर होगा। मेरा तो यह सुझाव होगा कि केन्द्र सरकार को अपने सारे उत्कृष्ट साधन और कार्यालय ज्यादा से ज्यादा पिछड़े इलाकों में खोलने चाहिए। इससे न सिर्फ उन इलाकों का विकास होगा, बल्कि वहां की निर्धन जनता को रोज़गार और आय के स्रोत मिलेंगे।

दुर्भाग्य से हमारी नीतियां ऐसी होती हैं कि जो स्थान पहले से ही विकसित हैं, उनके विकास के लिए ज्यादा योजनाएं बनाई जाती हैं और ज्यादा धन आबंटित किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विकसित क्षेत्र और ज्यादा विकसित हो जाते हैं और पिछड़े क्षेत्र पिछड़ते चले जाते हैं। किसी क्षेत्र का पिछड़ा होना अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए, तब हमारे देश का संतुलित विकास सम्भव हो सकेगा।

सभापति जी, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहस में ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ भाग लें इसलिए मैं बिंदु पर अपनी राय व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत का संविधान संघात्मक है यानि राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकार होती है, जो राज्यों की जनता की आकांक्षाओं और विचारों को स्वर देती है। राज्य सरकार जनता की आवाज़ होती है, विशेष तौर से बिहार सरकार ने बिहार के विकास के लिए बहुत प्रयास

किए हैं। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। वर्षों के बाद भारत के इस उपेक्षित राज्य को आज ऐसी सरकार मिली है, जो विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए बिहार की जनता मजबूती से उनके पीछे खड़ी है। मेरा निवेदन होगा कि केन्द्र सरकार को भी मजबूती से राज्य सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि राज्य सरकार यह चाहती है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतीहारी में हो तो केन्द्र सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतीहारी में की जाए और इस बारे में वर्तमान गतिरोध को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाए, क्योंकि ऐसा करना अतिआवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "Having regard to the growing need for higher education in the State of Bihar, this House urges upon the Government to set up a Central University in the Motihari District of the State of Bihar, which has also been the 'Karmabhoomi' of Mahatma Gandhi, the Father of our Nation."

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति जी, मेरे साथी ने जो यहां संकल्प पेश किया है, इस संकल्प के बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। बिहार ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के हर सूबों में आम लोगों के अंदर, अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का एक माहौल पैदा हुआ है। जब यह माहौल पैदा होता है, तब देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की तादाद बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाती है। हम सब मानते हैं कि उच्च शिक्षा लोकतंत्र के और मजबूतीकरण के लिए देश के विकास के लिए तथा नई शताब्दी का आगे बढ़कर मुकाबला करके कामयाबी की फसल उगाने में सबसे बड़ा योगदान होगी।

आज़ादी के बाद ही हमारे देश के नेतागणों ने हायर एजुकेशन के बारे में सोचा था इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत हिन्दुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का गठन हुआ है। इसी के मद्देनज़र मेरे साथी यह संकल्प लाए हैं कि बिहार में मोतीहारी जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो। बिहार हिन्दुस्तान की सभ्यता के लिए एक जाना-माना सूबा कहलाता है। बिहार कभी पिछड़ा सूबा था, लेकिन आज आंकड़ों के सामने रखकर यह दावा किया जाता है कि बिहार काफी आगे बढ़ रहा है। बिहार में आज अगर आईएएस, आईपीएस की संख्या देखी जाए तो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। इससे पता चलता है कि बिहार ने आज आगे बढ़ने का हौसला दिखाया है। आज मोतीहारी में सेट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, लेकिन सरकार की तरफ से पहले गया को उसकी कनैक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए चुना गया था। हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री बिहार के मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान यह फैसला करेगी कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में बने या मोतीहारी में बने। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्थान को लेकर कोई तनाव पैदा हो। इसलिए एक यूनिवर्सिटी गया में बना दीजिए और एक मोतीहारी में बना दीजिए, जिससे स्थान का झगड़ा ही न रहे और साथ ही साथ बिहार के लोगों की इच्छा का भी सम्मान हो। माननीया पुरन्देश्वरी जी यहां बैठी हुई है, काफी जागरुक महिला हैं। हमारे पास नॉलिज कमीशन की रिपोर्ट आई है, नॉलिज कमीशन चाहता है कि वर्ष 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज बन जाएं। लेकिन आज जिस रफ्तार से हम यूनिवर्सिटीज की स्थापना कर रहे हैं, मुझे शक है कि हम इस उद्देशय को पूरा भी कर सकेंगे।

आज उच्च शिक्षा में gross एनरोलमेंट ratio हमारे लिए खुशखबरी नहीं लाते हैं। इसमें एनरोलमेंट केवल 10 से 11 प्रतिशत ही हो रहा है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट बढ़ाना चाहिए। केवल 18-24 साल के ऊपर वाले 7 प्रतिशत बच्चे ही हायर एजुकेशन में जाते हैं जोकि बहुत कम संख्या है।

शिक्षा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्राइमरी और दूसरा उच्च शिक्षा। प्राइमरी हिस्सा वह है जहां हमारे बच्चे का बेस बनता है और हायर एजुकेशन में गुणवत्ता के जरिये हम बच्चे का स्थान सुनिश्चित करते हैं।

हिंदुस्तान में बहुत सारे आईलैंड ऑफ एक्सीलेंस हैं जैसे आईआईएम और आईआईटी। लेकिन जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है तो यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां हर तरीके के लोगों को शिक्षा दी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनें। यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या निजी क्षेत्र में लोग बनाते हैं तथा जिनकी देखरेख के लिए यूजीसी है, एआईसीटीई है, मैक है और ये सारी संस्थाए एचआरडी मिनिस्ट्री से तहत काम करती हैं।

हिंदुस्तान में जहां स्टेट यूनिवर्सिटीज 285 हैं वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या जम्मू-कश्मीर को मिलाकर 44 हैं। हम बार-बार सदन में आवाज उठाते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इतनी कम क्यों हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी का 1.5 परसेंट हायर एजुकेशन में लगे। एजुकेशन ऐसा क्षेत्र है जिससे हमारे आने वाली संतति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं हैं। क्वालिटी में कमियां रह जाती हैं और हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आज विश्व में 50 यूनिवर्सिटी हैं लेकिन हम अपना नाम लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यहां टैलेंट की कमी है। हमारे यहां टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा higher education में एक्सेस देना पड़ेगा।

महोदय, हम चाहते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में जहां जरूरत है वहां सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। दिल्ली भारत की राजधानी है, सारा पैसा दिल्ली में इन्वेस्ट किया जाता है। यहां सैंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या चार से पांच है। क्यों? ''कैरी कोल टू न्यू कैसल'' यानी जहां सब कुछ है वहीं धनराशि का निवेश होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यहां निजी क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आप दूर दराज इलाकों को देखिए, ईस्टर्न इंडिया को देखिए। बिहार, बंगाल, झारखंड, नार्थ ईस्ट स्टेट्स उड़ीसा को देखिए। यहां रीजनल डिसक्रिमिनेशन है, रीजनल इम्बैलेंस है। आप ईस्टर्न इंडिया को देखिए, यहां निजी क्षेत्र में प्रगति नहीं है। साउथ इंडिया में निजी क्षेत्र का विकास हुआ है। आप तमिलनाडु और कर्नाटक में देखिए। जहां से माननीय सदस्या आती हैं, आंध्र प्रदेश को देखिए। यहां निजी क्षेत्र में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कालेज में काफी प्रगति हुई है।

जहां तक ईस्टर्न इंडिया की बात है, बंगाल में एक ही सैंट्रल यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन। हम रविन्द्र नाथ टैगोर जी के जमाने से शांति निकेतन का नाम सुनते आ रहे हैं और आज भी वही एक सुन रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की आबादी आठ करोड़ से ऊपर हो गई है, 19 डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन एक ही सैंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां क्यों और यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाती हैं? पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पेश किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैम्पस मुर्शिदाबाद और एक केरल में होगा। लेकिन आज तक मुर्शिदाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि शिक्षा को लेकर रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल डिसक्रिमिनेशन है। हम कहते हैं दिल्ली में और यूनिवर्सिटीज़ खोलिए, हमें आपत्ति नहीं है लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में हर सूबे को मद्देनजर रखते हुए धनराशि आबंटित की जाए और ज्यादा से ज्यादा राशि निर्धारित करके एजुकेशन की सुविधाओं में इज़ाफा किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस संकल्प को लेकर हम सबके बीच कोई टकराव न हो, तनाव न हो। हम बिहार की प्रगति चाहते हैं। हिंदुस्तान में शिक्षा की प्रगति ही हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय सभापति महोदय, मैं ओम प्रकाश यादव जी और अधीर रंजन जी को धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी ने मोतिहारी में केंदीय विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्ताव रखा है और विस्तार से चर्चा की है। सबको इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मोतिहारी जिसे चंपारन कहते हैं, पूर्वी-पश्चिमी चंपारन है लेकिन पहले चंपारन था। हमारे यहां जिले की गिनती में कहते थे कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन और चंपारन। ये चार जिले गंगा के उस पार होते थे। जिसमें सारण में से तीन जिले हो गये, छपरा, सीवान, गोपालगंज। लेकिन जो चम्पारण था, उस चम्पारण ने अपने नाम को बरकरार रखा और उसके महत्व को देखते हुए ही जिले के विभाजन के समय ही उसका नाम मोतिहारी और बेतिया न रखकर पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण कर दिया गया, क्योंकि उस मिट्टी का संबंध महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को ही केवल वहां से दिशा नहीं दी, बल्कि महात्मा गांधी को उस मिट्टी से बहुत प्रेरणा मिली थी और उस मिट्टी के साथ महात्मा गांधी का आध्यात्मिक संबंध जुड़ गया था और आज भी उस मिट्टी का महात्मा गांधी के साथ आध्यात्मिक संबंध जुड़ा हुआ है। जो ओम प्रकाश जी ने कहा कि रामचंद्र शुक्ल जी जो एक साधारण किसान थे, आज कोई साधारण किसान रामचंद्र शुक्ल जी के जैसा आ जाए और एम.पी. को कोई आग्रह करे तो वह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन उस साधारण किसान ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप एक बार वहां चलिये और उनकी बात को मानकर महात्मा गांधी जी पहुंच गये और उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी के यहां गांधी जी पहुंचे और वहां से राजेन्द्र बाबू साथ चले और भारत के समाजवादी आंदोलन के प्रबल स्तम्भ आचार्य कृपलानी भी थे, वह उस समय मुजफ्फरपुर में कालेज में प्राध्यापक का काम करते थे, वहां से कृपलानी जी साथ हुए और जय प्रकाश नारायण जी के ससुर ब्रज किशोर बाबू दरभंगा के थे, वह आजादी आंदोलन के स्तम्भ थे। उन सबने मिलकर वहां निल्हों के खिलाफ आंदोलन किया। मैं समझता हूं कि चम्पारण की भूमि को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो चम्पारण की उस भूमि को गांधी जी के साथ नमस्कार करना चाहिए, जहां से एक प्रेरणा मिली थी, अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह का असली स्वरूप, व्यावहारिक स्वरूप अगर कहीं से प्रकट हुआ था तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चम्पारण की भूमि से प्रकट हुआ था। यह नेपाल की सीमा पर है, दो संस्कृतियों का संगम है। राजा जनक नेपाल के राजा थे - विदेहराज। महाराज जी जब आप कथा वांचते हैं तो वह राजा जनक की कथा ही प्रारम्भ होती है और रामकथा तो उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि जनकपुर से राम की यात्रा प्रारम्भ होती है और सेतुबान रामेश्वरम तक जाती है। अगर भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी कड़ियों को जोड़ें तो राम उत्तर से जनकपुर से चलते

हैं और दक्षिण में सेतुबान रामेश्वर तक जाते हैं। इसलिए राम उत्तर और दक्षिण के देव हैं और उस चम्पारण की भूमि का जो एरिया है, वही श्रीराम और सीता के क्षेत्र वाला एरिया है, जुड़ा हुआ है, उसका आध्यात्मिक संबंध है, सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, राष्ट्रीय महत्व है, बौद्धिक महत्व है।

राजा जनक के दरबार में जो नवरत्न थे, उनमें एक याज्ञवल्क्य ऋषि जिनका नाम कौन नहीं जानता। गार्गी और मैत्रेयी जैसी प्रतिभाशालिनी और वैसी नारी शायद भारत की मिट्टी से प्रकट हो जाए तो भारत का इतिहास बदल जायेगा। वह भूमि वहीं है, महर्षि याज्ञवल्क्य की भूमि, जिस भूमि का मैं प्रतिनिधि हूं, वही वरदायिनी है, जहां याज्ञवल्क्य को भगवती ने वर दिया था और उनकी आवाज और विद्या पुनः लौट आई थी। राजा जनक और रामायणकाल से जुड़े हुए न्यायशास्त्र के रचयिता, दृष्टा, मंत्रसृष्टा महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम वहीं है, जहां का मैं प्रतिनिधि हूं। उसी के बगल में माता अहिल्या का आश्रम है, जो पत्थर से जड़ से चेतन में प्रकट होने वाली अगर कहीं विश्व में और भारतीय संस्कृति में कोई कहानी है तो वहीं अहिल्या का आश्रम है, जिनका जड़ से चेतन में परिवर्तन हुआ था, रूपांतरण हुआ था। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह माना। उस समय माता अहिल्या ने कहा कि ऋषि ने जो श्राप दिया था, उन्होंने कितना अनुग्रह किया था कि आज दशरथ नंदन श्री राम के चरण स्पर्श का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि फुलवारी में जहां राम-सीता का मिलन हुआ था और दोनों गिरा अनयन-नयन बिनु पानी। तुलसी दास जी की रचना भी अद्भुत है। गिरा अनयन-नयन बिनु पानी। राम और सीता जब ओझल होकर उस फुलवारी में एक-दूसरे पर दृष्टि देते हैं और दोनों की आंख से आंख मिलती हैं तो दोनों एकटक देखते रह गये, दोनों की पलक नहीं गिरी, वह भूमि भी वहीं पर है। महर्षि विश्वामित्र दशरथ नंदन श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर गये थे और राजा जनक के यज्ञ में रुके थे। दोनो दशरथ नंदन, राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पैर दबाते थे और वहीं शिक्षा लेते हुए, धनुष यज्ञ तक गए। वह भी उसी भूमि से जुड़ी हुई जगह है। मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ कि हम चंपारण को केवल एक मिट्टी न समझें। बल्कि चंपारण एक धरती है। जहां से हमारी संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता का उद्गम स्त्रोत रहा है। कहीं न कहीं हमारे शश्वत, सनातन प्रवाह का उद्गम स्थल रहा है।

सभापति महोदय : अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर भी बोलिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं उस पर आ रहा हूँ। वहां विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जहां न्याय शास्त्र का जन्म हुआ, जहां विश्वामित्र जी पधारे, जहां गौतम ऋषि गए, जहां इतने विद्वानों की जगह थी, वहां अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, तो आप उनको बहुत सम्मानित करेंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म

और भारतीय इतिहास को आप सम्मानित करेंगे। महाबल मिश्र जी उसी मिट्टी के हैं और वे मेरे वोटर हैं। दिल्ली में एमपी हैं पर वे मेरे वोटर हैं। वे उसी मिट्टी के हैं इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय वहीं बनाना है, जैसे अधीर रंजन जी कह रहे थे । हमारे बीच में गंगा है। गंगा के दक्षिण की भूमि मगध भूमि है और गंगा के उत्तर की भूमि को हम मिथिलांचल की भूमि, राजा जनक की भूमि, मण्डन मिश्र, मण्डन भारती की भूमि कहते हैं। आज अगर हम उस भूमि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं, तो जो मण्डन भारती, जहां स्वयं शंकराचार्य जी को अपने अद्वेत दर्शन के लिए मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ करना पड़ा और जब तक मण्डन मिश्र उनके दर्शन को स्वीकार नहीं कर लिए तब तक भारत में उनके अद्वेत दर्शन को स्वीकृति नहीं मिली थी। वह मण्डन भारती की भूमि है। मैं शिक्षा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई यह समझते हैं कि वह भूमि कैसी है। हां, यह जरूर है कि कोसी, कमला, गंडक, तिलजुगा, बलान और अधवारा समूह, इन नदियों में बाढ़ आने के कारण हम निर्धन जरूर हो गए।

सभापति महोदय, हमारे घर में निर्धनता जरूर आ गई है, हमारे घर में रोशनी नहीं जली, हमारे बच्चे भूखे जरूर रहे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में हमने हमेशा उस मिथिलांचल की मिट्टी से सारे भारत को नहीं, सारे विश्व को एक नया दर्शन देने का काम किया है। अगर उस जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? कहते हैं कि वहां जाने का रास्ता नहीं है। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि बिहार में उन्होंने अपने समय, उस समय में सड़क विभाग के मंत्री राजनाथ जी थे, और मैं राज्य मत्री था उस समय बिहार का एक जो नक्शा खींचा गया, उसके कारण सभी जगह चार लेन, दो लेन, छह लेन की सड़कें बन रही हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से द्वारिका से ले कर कामरूप तक छह लेन का एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है। कौन कहता है कि बिहार में रास्ता नहीं है। अगर कहते हैं कि वह विकसित नहीं है तो मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी ने सपना देखा था, चलिए उस कोसी में, आज से पचास साल पहले मिथिलांचल और कोसी को जिन लोगों ने देखा होगा और आज अगर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से बने हुए द्वारका से ले कर कामरूप तक छह लेन की सड़क पर चलते हैं तो लगता कि मिथिलांचल की धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है, स्वर्गारोहण हो रहा है। इतनी सड़कें बन रही हैं। चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं। क्या हमारे शिक्षक, प्राध्यापक, प्रोफेसर सड़क मार्ग से नहीं जा सकते हैं? केवल हवाई मार्ग से जाएंगे। अगर हवाई मार्ग ही बनाना है तो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है, उसे थोड़ा विकसित कर दीजिए और वहां हवाई जहाज उतार सकते हैं। लेकिन करने का मन हो तब। मन में करना हो तब होगा। अगर आप गया में बनाना चाहते हैं तो गया भी बौद्ध की

भूमि है। वहां आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, दुनिया में बौद्ध मत मानने वाले जितने हैं, उनसे काफी सहयोग मिल सकता है। वे भी आपको सहयोग देंगे। आपने नालंदा में केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाया है और वह बन रहा है। उसी के साथ ही गया भी जुड़ा हुआ है। वहां बनाइए।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात संक्षिप्त करें। गया में तो हवाई अड्डा है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मोतिहारी जो गांधी जी के नाम से जुड़ा हुआ है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए। जिससे संपूर्ण भारत के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। गांधी दर्शन एक विषय रहना चाहिए। गांधी दर्शन की उसमें पढ़ाई हो और लोग उस आधार पर आगे बढ़ें।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त करें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर केवल एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उस क्षेत्र का हूं, उस मिट्टी का हूं और अगर उस मिट्टी के लिए अपना सम्मान न प्रकट करूं, तो फिर उस मिट्टी में जन्म लेना बेकार है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आपने लोहिया जी का नाम नहीं लिया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: लोहिया जी की तो वह मिट्टी ही है उत्तर भारत, जिस समाजवादी आंदोलन में से हम लोग निकले हैं।

सभापति महोदय : आप व्यवधान न डालें। आप बोलिये और अपनी बात संक्षिप्त कीजिये।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उसी मिट्टी ने कर्पूरी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह, धनिकलाल मंडल, हुक्मदेव नारायण यादव जैसे लोगों को पैदा किया।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त करें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, वहां सभी दल के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी विद्वान बुद्धिजीवी एक मत हैं, बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है तो वादी बारह और पंच अठारह खेत किसी का और उसकी रजिस्ट्री करे कोई। जब बिहार के लोग एक मत हैं, विधानमंडल एक मत है, सभी राजनीतिक दल एक मत हैं, वहां की जनता एक मत है और जब सर्वसम्मत है कि मोतीहारी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तब अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोइ अड़ंगा लगता है तो नीयत पर जरूर शंका होती है कि आपकी नीयत में जरूर खोट है। आप देना कम चाहते हैं, लड़ाना ज्यादा चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बिहार में जागृति-चेतना है, हम परस्पर लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, केवल एक ही मंत्र आज बिहार में है, ओम् सहनाववतु, सहनऊ भुनक्तु, सहवीर्यम् करवावहि, तेजस्विनाम धितमस्तु, मां विद्वि

सावहे। हम बिहार के लोग हैं, स्वाभिमान के साथ उठे हैं, संग-संग बढ़ेंगे, संग-संग चलेंगे, संग-संग मंजिल तक जाएंगे और संपूर्ण विश्व में हम अपने बिहार की बुद्धि, विवेक, ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म और धर्म की विजय पताका फहराकर दिखा देंगे। केंद्र सरकार उसमें अवरोध पैदा न करे, बल्कि हमारा सहयोगी बने।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, श्री ओम प्रकाश यादव जी जो गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य का संकल्प लेकर आए हैं, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसमें यह मांग की गयी है कि बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुयी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार के मोतीहारी जिले में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है। मोतीहारी को यह बताया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यह कर्मभूमि रही है। इसलिए अगर सरकार इस पर विचार करे और अगर विश्वविद्यालय खुले, अगर शब्द हटा दिया जाये, विश्वविद्यालय खुल जाये तो अच्छा है, महात्मा गांधी जी के नाम से अगर विश्वविद्यालय खुले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। इससे पूर्व ओम प्रकाश यादव जी, अधीर रंजन जी और हुक्मदेव नारायण यादव जी ने जो बात कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा।

महोदय, यह विश्वविद्यालय खोलने की बात आयी है, यह बात सत्य है कि हजारों वर्ष पुराने समय में यह देखा गया है कि आज भी अगर प्राचीन सभ्यताओं को देखें तो उससे हमें काफी सीख मिलती है। इसी सदन में नालन्दा विश्वविद्यालय को बनाने की बात उठी थी और बहुत सारे सम्मानित सदस्यों के सुझाव भी आये थे। आज चाहे वह नालन्दा विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे, जो हमारे ऐतिहासिक और पुराने समय के इतिहास के सूचक थे। विश्वविद्यालय की जो आज मौजूदा स्थिति है, अगर उसमें तुलना करें तो हमें बहुत मूल्यांकन करने की जरूरत है, सोचने पर हमें बाध्य करता है। आज मैं आपका ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ दिलाना चाहूंगा। किसी वक्त इस विश्वविद्यालय को मिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था।

महोदय, आपको याद होगा कि इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए और जब से यह विश्वविद्यालय शुरू हुआ, अंग्रेजों के समय, आजादी के समय से लेकर अब तक का इतिहास अगर देखें तो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला उस विश्वविद्यालय का इतिहास होगा। हमारे तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा इसी सदन में की थी और आज वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना। आज मैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया, और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की माँग बहुत पहले से थी। यह देखा गया कि जब से वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना, तब से लेकर अब तक की स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो गई। पहले से ज्यादा वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था और वातावरण बिगड़ा। समय-समय पर आपने देखा होगा कि चाहे हमारे छात्र या विश्वविद्यालय में कार्यरत तमाम कर्मचारी, लैक्चरर या प्रोफेसर हैं, अपनी माँगों को लेकर हमेशा संघर्ष में रहे। यही कारण है कि आज जब से वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना, वह पतन की

तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। जो सैमैस्टर हैं, वह भी पिछड़ रहे हैं, शिक्षा-सत्र भी पिछड़ रहा है। 2012 की परीक्षाएँ लेट हो रही हैं, 2011 की परीक्षाएँ लेट हो रही हैं। एक दो साल पीछे की स्थिति में चल रहा है। केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, जैसे महात्मा गांधी जी का नाम इस संकल्प में आया है, आप जानते हैं कि इलाहाबाद अपने आप में आज़ादी की लड़ाई का केन्द्रबिन्दु रहा है। आज़ादी की लड़ाई में हमारे जितने भी महापुरुष और राजनेता हुए, वे ज्यादातर स्वराज भवन और आनन्द भवन से जुड़े रहे। वहीं से एक रूपरेखा तैयार होती रही। आपने देखा होगा कि हमारे नौजवानों ने जिस समय इस देश की आज़ादी में कुर्बानी दी थी, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी या तमाम ऐसे नवयुवक जो बलिदान हुए और इलाहाबाद की माटी में पले-पोसे, उनकी कर्मभूमि रही आज़ादी से लेकर, और अब तक का इतिहास देखा जाए तो बहुत कुछ मिलता है। चूँकि महात्मा गांधी का नाम आया, तो मुझे याद आया कि स्वराज भवन में वे अक्सर आया जाया करते थे। आज़ादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि और आज़ादी हासिल करने के लिए वहीं से एक रूपरेखा और रणनीति तैयार होती थी। यह बात सही है और तमाम सम्मानित सदस्यों ने यह बात कही कि जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएँ। जैसे मोतिहारी की बात इस संकल्प में आई है, ऐसे बहुत से इलाके हैं। विजय बहादुर जी हमारे बगल में बैठे हैं। इनका बुंदेलखंड एरिया है। वह भी बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरे ख्याल से वहाँ एक ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। ऐसे तमाम पिछड़े इलाके हैं जो सूखे से ग्रस्त हैं, बाढ़ से ग्रस्त हैं, वहाँ पर प्राकृतिक संपदा भी बहुत है, लेकिन वहाँ ऐसे रोज़गार के साधन नहीं हैं जिस कारण ये इलाके पिछड़े हैं। वहाँ पर अगर ऐसे विश्वविद्यालय खोले जाएँ तो मेरे ख्याल से उस इलाके के जो लोग, जिन्होंने धर्म, इतिहास के अलावा ...(व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): नवोदय स्कूल खोले हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : नवोदय विद्यालय तो आपने खोले हैं। आपने याद दिलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे पिछड़े इलाकों में आपने खोले हैं। उस दिन जब एन्ट्रैन्स में प्रवेश में रिज़र्वेशन की बात आई थी तो मैंने कपिल सिब्बल साहब से कहा भी था कि नवोदय विद्यालय तो आपने खोले हैं लेकिन वहाँ पर आज तक कोई भी राजनेता या मंत्री नहीं गया, न उनकी कोई भागीदारी है।

आपने नवोदय विद्यालय की बात कही तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में एक नवोदय विद्यालय है। वहाँ आये दिन छात्रों का आक्रोश उग्र होता है। जिस विषय के विशेषज्ञ अध्यापक होने चाहिए, वे नहीं हैं। मैंने मंत्री जी से कहा था कि आपको कम से कम केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का दौरा करना चाहिए। यह प्राइमरी स्टेज के हमारे माध्यमिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको जिले में जाकर दौरा करना चाहिए। वहाँ आप जाएँगे तो बोर्डिंग में जो बच्चे रहते हैं, उनकी

आवासीय सुविधा क्या है, उनके खाने-पीने की क्या सुविधा है, उनकी पढ़ाई की क्या सुविधा है, तमाम बातें आपको मालूम हो जाएँगी और मेरे ख्याल से किसी भी नवोदय विद्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ है। मैंने उनको आमंत्रित भी किया। मैं तो चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं, ये हमारे यहां चलें। इनके वहां जाने से वहां की व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में नवोदय विद्यालय है। आप चल कर देख लीजिए। आज हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनकी प्राचीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वहां से पढ़-लिख कर राजनेता, वैज्ञानिक, बड़े आफिसर्स निकल हैं। आज उन विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है। घोषणा कई बार हुई है। आपने पिछड़े इलाकों में पांच हजार मॉडल स्कूल खोलने की बात कही है। लेकिन अभी तक आप चार-पाँच सौ ही खोल पाए हैं। हमारा जो लक्ष्य है, उससे आप बहुत पीछे हैं। मैंने कहीं यह पढ़ा था और डिस्कशन में भी यह बात आयी थी कि विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए विदेश से लोगों को आमंत्रित करना चाहिए कि वह यहां निवेश करें और उच्च स्तर की एजुकेशन को बढ़ावा दें। हमारे यहां इतने विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेजिस और स्कूल्स हैं, हम उन्हीं को नहीं कर पा रहे हैं और विदेश से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। यहां हमेशा से सामान्य शिक्षा की बात पर लड़ाई हुई है कि एक ही छत के नीचे मजदूर का बेटा, रिक्शे वाला का बेटा, आईएएस या राजनीतिज्ञ का बेटा एक ही छत के नीचे पढ़े, सभी के लिए एक जैसी पढ़ाई हो, एक ही ड्रेस और पाठ्यक्रम हो। इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। आज आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को कोनवेंट में पढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजी का विरोध करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनका बच्चा कोनवेंट में पढ़े। हम सभी को एक समान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन आपने यहां विदेश से उच्च स्तर पर शिक्षा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, उसी दिन आपकी व्यवस्था और चरमरा जाएगी। इसमें जिनके पास पैसे हैं, वे तो पढ़ा लेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा महंगी होगी। लेकिन गरीबों के बच्चे उनमें नहीं पढ़ पाएंगे। इससे लोगों के बीच खाई और गहरी होगी।

महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति आज बहुत खराब है। छात्र आंदोलित हैं। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार छात्र संघ के चुनाव वहां नहीं हो पा रहे हैं। आपने संविदा पर जिन लैक्चरर्स को रखा है, वे भी आंदोलित हैं। भर्तियों में आप जनरल कोटे से तो भर्ती कर लेते हैं, लेकिन रिज़र्व कैटगरी के लैक्चरर्स की भर्तियां रह जाती हैं। इसमें बहुत बैकलॉग है। ये मेहनत से पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा मित्र हैं, जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, जबकि सरकारी स्कूल का स्थायी टीचर उतनी मेहनत से नहीं पढ़ाता है। इसी प्रकार से संविदा के लैक्चरर्स मेहनत से पढ़ाते हैं। लेकिन इनके मानदेय और वेतन में विसंगतियां हैं। ये सारी व्यवस्था आपको देखनी होगी।

मैं ज्यादा कुछ न कहकर इस संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ओमप्रकाश जी जो संकल्प लाए हैं, उसको वह पूरा करें। हुक्मदेव जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने श्री राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम महापुरुषों के नाम लिए । यह बहुत अच्छा लगता है और इससे सीख मिलती है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री ओमप्रकाश जी के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं ज़रा हट कर बात करना चाहता हूं। आज पूरे विश्व में केवल ओद्योगीकीकरण की ही लड़ाई नहीं है। अपितु विश्व में वही लीड करेगा, जिसके पास नॉलेज है। इतिहास साक्षी है कि सबसे पहले भारतवर्ष ही ऐसा देश था, जहां संसार का पहला विश्वविद्यालय खुला। विवेकानंद जी ने अपने एड्रेस में भी कहा था कि नालंदा और तक्षशिला में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय हम वर्ल्ड में नंबर वन थे। चाहे व्याकरण, मैथमैटिक्स या ज्योतिष विद्या हो, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में लीड करता था। मैं इसकी बात इसलिए करना चाहता हूं कि अगर च्वायस है तो फैक्ट्री खोली जाए, सुगर फैक्ट्री खोली जाए, कार बनाने का कारखाना खोला जाए तो यह जो विकास है, यह बड़ा क्षणिक है। अगर हम विद्या के मंदिर और स्थल खोलें तो उसकी जो प्रगति होगी, वह बहुत स्थायी होगी। मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं। महोदय, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करता था। मैं बाद में राजनीति में आया। इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद ही वह शहर था जिसने छः-छः प्रधानमंत्री दिए। अगर आप देख लें तो पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, और चन्द्र शेखर जी भारत के प्रधानमंत्री हुए। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी को देखा जाए तो जिस होस्टल में मैं रहता था, उसमें दो लोग तो हमारे सीनियर ही थे। उनमें एक थे श्री सुरेन्द्र सिंह, और दूसरे श्री बी. के. चतुर्वेदी।

महोदय, जैसा कि अभी हमारे भाई शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि वर्ष 1965-1970 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान का ऑक्सफोर्ड माना जाता था। मुझे याद है जब मैं बी.ए. में पढ़ता था तो प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी इतिहास पढ़ाते थे, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाते थे तो विज्ञान विभाग के विद्यार्थी भी उनके लेक्चर को बाहर से सुनते थे। उनके अपने क्लास के लड़कों की संख्या मात्र 50 थी और 250 विद्यार्थी उनके लेक्चर को अलग से सुनते थे। उसी ज्ञान से हम बढ़े।

महोदय, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एक दिन कहा था कि हमें 1500 विश्वविद्यालयों की जरूरत है। जैसा अभी बताया गया कि जम्मू-कश्मीर को मिलाकर कुल 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और करीब 285, जिसकी संख्या घट-बढ़ सकती है, राज्य विश्वविद्यालय हैं। इसकी कुल संख्या 289 है। यह बहुत कम ही है।

हमारे माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश यादव जी जो संकल्प लाए हैं कि मोतीहारी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले, मैं इसकी पुरज़ोर सिफारिश करता हूं। साथ में, मैं यह भी कहता हूं कि जहां से मैं

सांसद हूं, वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। बुंदेलखण्ड में हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, ललितपुर जिले हैं। इसमें झांसी भी है। बगल में मध्य प्रदेश का हिस्सा - पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, खजुराहो है। अगर देखा जाए तो इसकी आबादी बहुत ज्यादा है और वहां 100-100 किलोमीटर तक कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जब हम अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहां खासकर छात्राएं हमसे कहती हैं कि हमने हाई स्कूल पढ़ लिया, अब हम कहां जाएं? अगर उन्हें पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजते हैं तो उन्हें कमरा लेना पड़ता है, उनके पैरेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है और वे लोग इतने गरीब होते हैं कि ये कर नहीं पाते। इसका नतीजा होता है कि उन छात्राओं की पढ़ाई हाई स्कूल पर आकर ही खत्म हो जाती है।

महोदय, मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊं। हमीरपुर जिले में एक राठ कस्बा है। वहां स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय है। शायद स्वामी ब्रह्मानंद सन् 1954-55 में यहां मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। उस कृषि महाविद्यालय को वहां के किसानों ने एक हजार एकड़ जमीन डोनेट करके दी। God has been so kind to Hamirpur, Mahoba area. वहां कम से कम सैंकड़ों पहाड़ हैं और वहां सात नदियां बहती हैं। वहां पहाड़ों के बीच में ऐसा शीतल वातावरण है कि वह नॉन एयरकंडीशन्ड कैपिटल हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक विश्वविद्यालय हमीरपुर या महोबा में खोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा।

महोदय, आज बात हो रही थी कि गांवों में डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि अगर कोई लड़का ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में पढ़ेगा, चंडीगढ़ में पढ़ेगा, और सात-आठ साल शहर के वातावरण में रहता है तो वह गांवों में नहीं जाएगा। लेकिन अगर विश्वविद्यालय के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज भी होंगे तो अच्छा रहेगा। अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है। बनारस विश्वविद्यालय में भी मेडिकल कॉलेज है। अगर बुंदेलखण्ड में विश्वविद्यालय के साथ-साथ कृषि महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे और उस क्षेत्र के लड़के वहां पढ़ेंगे तो वे वहां पर जमेंगे। अगर उससे बुद्धि वाले लड़के, पढ़ने वाले लड़के आगे आएंगे तो यह विकास बहुत स्थाई होगा और यह जी.डी.पी. पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि, मैं जानता हूं कि एक परिवार से एक आदमी अगर पढ़-लिख जाता है तो हमेशा, परमानेंट उस परिवार की प्रगति होती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं।...(व्यवधान) हुक्मदेव नारायण यादव जी बहुत अनुभवी हैं, मैं इनसे पूरी तरह से इत्तेफाक और एग्री करता हूं तो उसमें फिर Domination of wisdom; domination of intelligence होगा। एक छोटा सा देश इजरायल है, लेकिन जब से उसे ड्रोन बना दिया तो पूरा संसार, सिर्फ नोलिज के कारण पूरा वर्ल्ड उससे घबरा रहा है, तो ऐसी अगर प्रतिभा है तो वहां विकास होगा।

अभी दो साल पहले मैं जापान गया था तो टोकियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मेरी बात हुई। कितनी स्टडी वे लोग करते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आपके जो आई.टी. हब बैंगलौर वगैरह हैं, ये धीरे-धीरे घटेंगे, क्योंकि, इतना ज्यादा वहां डैवलपमेंट हो गया है कि लोग-बाग इन्वोल्व नहीं होंगे तो आपको गांवों और ऐसे एरियाज़ में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां वह वातावरण हो। अब आपसे मैं बता दूं कि बुन्देलखण्ड में हमारी कांस्टीट्वेंसी भी 150 किलोमीटर में दौड़ी और 400 किलोमीटर के पश्चात सिर्फ झांसी में एक विश्वविद्यालय है, जो बहुत पुराना है। वरना कहीं भी कोई एजुकेशन है ही नहीं, डिग्री कालेज ही नहीं है। नतीजा यह हुआ कि वे वहां डेली वेजिज़ हो रहे हैं और हमारे यहां के वर्कर्स के बल पर दिल्ली और हरियाणा की तरक्की हो रही है।

मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए यह कह रहा हूं कि आजकल सबसे बड़ी दिक्कत जमीन उपलब्ध कराने की होती है, चाहे इंडस्ट्री हो, लेकिन अगर आप सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो जितनी जमीन चाहिए तो जब मैं आपसे बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर कालेज में हमीरपुर के एक कस्बे में एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन एवेलेबल है। अगर आप कहें तो एक हफ्ते के अन्दर 50 एकड़, 25 एकड़, 100 एकड़ जमीन वहां उपलब्ध हो सकती है। अगर यह जमीन उपलब्ध हो जाये तो मैं श्री ओमप्रकाश यादव जी की बात का जोरदार समर्थन करते हुए उनकी बात के साथ अटैचमेंट, सम्बद्ध करना चाहता हूं कि इसी तरह जोरदार मैं चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में भी इन जिलों में कहीं पर यूनिवर्सिटी खोली जाये, जहां पर इलैक्ट्रोनिक पढ़ाई जाये, वहां आई.टी. एजुकेशन दी जाये, मैडीकल कालेज खोला जाये, एग्रीकल्चर कालेज खोला जाये, उससे एक परमानेंट बुद्धि का विकास होगा और उससे वहां तरक्की होगी।

आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, श्री ओमप्रकाश यादव जी ने मोतिहारी में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं, जिसका अधीर रंजन चौधरी जी, हुक्मदेव नारायण यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी और शैलेन्द्र जी ने भी समर्थन किया है।

आज बिहार में सर्वाधिक चर्चा का विषय है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में बने, जब कि मानव संसाधन विकास मंत्री यह चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय गया में बने। मैं गया का विरोध नहीं करती हूं, वह स्थान है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रृद्धालु उस स्थान पर दर्शन के लिए और नमन करने के लिए आते हैं, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पटना के बाद गया एकमात्र स्थान है, जहां अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रदान की जाती है। पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, वह भी मगध क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार बिहार का मगध क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसके विपरीत बिहार का भोजपुर क्षेत्र है, यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। भोजपुर लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां की आबादी लगभग 25 लाख है। इस क्षेत्र में साक्षरता 60 प्रतिशत के आसपास है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा भोजपुरी है। अभी सदन में कल ही भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के डालने के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने इस भाषा का समर्थन किया था। मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूं। मैं सारे सदस्यों को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं और उम्मीद करती हूं कि भोजपुरी को यथाशीघ्र संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

शिक्षा की दृष्टि से भोजपुर क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में पटना और दिल्ली आते हैं। यही स्थिति राज्य के चंपारण क्षेत्र की भी है। यह क्षेत्र भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात तो दूर, इस क्षेत्र में 200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय भी नहीं है। यह इस क्षेत्र से 250 किलोमीटर दूर है।

आप सभी जानते हैं कि चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज यह भूमि अशिक्षा के अंधकार में डूबी हुई है। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिहार की जनभावना भी यही है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी और लोकप्रिय राज्य सरकार की भी यही भावना है।

सभापति महोदय, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जी और केंद्र सरकार से यह मांग करती हूं कि बिहार की जनभावना का सम्मान करते हुए इस वाद-विवाद को समाप्त करें और मोतिहारी

में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा जो संकल्प बिहार के मोतिहारी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आज हुक्मदेव बाबू को मैंने उद्गार व्यक्त करते हुए सुना और पार्टी लाइन से उठकर महात्मा गांधी के नाम पर आज उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की बात कही। मैं समझता हूं कि पार्टी लाइन से उठकर यह आपका दार्शनिक भाषण था, इसमें दो मत नहीं है। राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक और सबसे उच्च कोटि के विचार आपने व्यक्त किए। तमाम राजनेता, महापुरूषों के आपने नाम लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

जहां तक विश्वविद्यालय की बात है, 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बिहार की जहां तक बात करूं, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में जितने भी कॉलेजेज हैं, आज बिहार के छात्र में क्षमता है, बिहार के छात्र अपनी रोजी-रोटी के लिए नहीं, बल्कि खेत-खलिहान को बेचकर भी पढ़ाई में भाग लेने के लिए आते हैं, आप जितनी यूनिवर्सिटीज में देख लें, वहां टॉपर स्थान बिहार के छात्र-छात्राओं का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, केवल दिल्ली में ही नहीं, चाहे बंगलौर हो, चाहे कर्नाटक हो, जहां भी पढ़ाई के दृष्टिकोण से उनको जगह मिलती है, वे जाकर अपना नामांकन करते हैं। देश में आईएएस, आईपीएस और उच्च कोटि की नौकरियों में देखें या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रथम स्थान बिहार के छात्रों का आता है। बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से आज कॉलेजेज में आज पढ़ाई उस तरह की नहीं रही, जिसकी वजह से वहां से छात्र-छात्राओं ने पलायन किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस चंपारण भूमि पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, उस भूमि पर विश्वविद्यालय बनाने की बात पर मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार के मंत्री को अविलंब घोषणा करनी चाहिए। इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि हम अमूक डेट से उसे हम खोलने जा रहे हैं। जिस भूमि पर गुरू गोविन्द सिंह पटना में पैदा हुए। भगवान महावीर वैशाली में पैदा हुए, वहां गौतम बुद्ध हुए, यह महान पुरूषों और संतों की नगरी है। जहां तक गया कि बात है तो एक यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। बिहार के छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक जिले में अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे यूनिवर्सिटीज हों। वहां इनकी आवश्यकता है। क्योंकि वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने कारण वहां के छात्र-छात्राएं सिर्फ नौकरी पाने के लिए, डाक्टर, सीए, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए तैयारी करते हैं। आपने देखा भी है। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

दिल्ली में वर्ष 1920 में जामिया यूनिवर्सिटी बनी। वर्ष 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1960 के दशक में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी। उस समय दिल्ली की जनसंख्या बहुत कम थी। आज दिल्ली में हिन्दुस्तान के कोने-कोने से छात्र आते हैं। दिल्ली औद्योगिक

क्षेत्र होने के नाते, कॉमर्शियल स्टेट होने के नाते, लोग सर्विस करने के लिए यहां आए। दिल्ली में 1980 में टोटल 35 लाख मतदाता थे आज एक करोड़ चालीस लाख मतदाता हैं। यहां माइग्रैशन और छात्र-छात्राओं का माइग्रैशन दिल्ली पर बहुत बड़ा प्रेशर है। दिल्ली के छात्र-छात्राओं का एडमिशन नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि जिस छात्र को 90 परसेंट से कम नम्बर होता है उनका एडमिशन नहीं होता है क्योंकि कॉलेजेज की कमी है, सीट की कमी है। इस कमी की वजह से छात्र-छात्रओं का नामांकन नहीं हो पाता है। हमने पिछले साल देखा था कि जिस छात्र ने 90 प्रतिशत अंक लिए उस छात्र का एडमिशन हुआ। कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी की कमी होने की वजह से आज नामांकन नहीं होता है। दिल्ली में चाहे नार्थ ईस्ट स्टेट हो या अन्य राज्य हों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चेन्नई हो या विदेश हों वहां से छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि दिल्ली का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। इस मामले में जब राष्ट्रपति ओबामा आए थे तो उन्होंने भी यहां के एजुकेशन का लोहा माना था।

आज मैं आप से निवेदन करता हूं कि दिल्ली में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, आज दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने आईटी यूनिवर्सिटी, गुरूगोविन्द सिंह यूनिवर्सिटी खोली जिससे टेक्निकल की पढ़ाई कर स्टुडेंट्स बाहर आएं लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अभाव है। मैं आप से मांग करता हूं कि दिल्ली में, नजफगढ़ में, मेरा क्षेत्र जो द्वारका है उसमें दो हजार एकड़ ग्राम सभा की जमीन है। दिल्ली में जमीन की कमी नहीं है। आज यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता है। सेन्ट्रल एजुकेशन के लिए सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के छात्र-छात्राएं ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। जो अस्सी प्रतिशत अंक से पास करता है वह ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। इस देश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए यह विडंबना है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, लगभग ढ़ाई सौ राज्य विश्वविद्यालय हैं। इतने बड़े कंट्री में सिर्फ 44 सेन्ट्रल विश्वविद्यालय हैं। यह बड़ी ताज्जुब की बात है। हमारे राज्य मंत्री अभी बैठे हैं। केन्द्रीय मंत्री जी तो नहीं हैं। केन्द्रीय मंत्री जी बहुत सारी पॉलिसी लाते हैं लेकिन एजुकेशन के इतिहास में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किय हैं। दसवीं की परीक्षा में भी बैरियर खत्म कर दिया। इससे क्वालीटी ऑफ एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। मैं उनसे भी इस बारे में बात कर रहा हूं। क्वालिटी एजुकेशन की बात खत्म हो रही है।

मैं आप से मांग करता हूं कि आपने जो बैरियर खत्म कर दिया है उससे देहात के छात्र-छात्राओं ने पढ़ना बंद कर दिया है। दसवीं की परीक्षा एक बैरियर था जिसके कारण लोग पढ़ते थे। लेकिन वह बैरियर खत्म होने से पढ़ाई-लिखाई भी चौपट हो रही है ...(व्यवधान)

17.00 hrs.

अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, मैं निवेदन करता हूं कि देश के हरेक राज्य में दो-दो, तीन-तीन सैंट्रल विश्वविद्यालय खोलें। दिल्ली में हर राज्य से माइग्रेट होकर जनसंख्या आती है। एक साल में जनसंख्या कुछ है तो अगले साल कुछ बढ़ जाती है। उसके अनुसार तीन यून्वर्सिटी से काम नहीं चलेगा। इसलिए तीन विश्वविद्यालय, नजफगढ़ में हजारों एकड़ जमीन है, द्वारका सब सिटी अच्छा बसा है, आप वहां यूनिवर्सिटी खोलें जिससे दिल्ली और विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र-छात्राओं को तकलीफ न हो।

मैं श्री ओम प्रकाश यादव के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मैं निवेदन करता हूं कि आप केन्द्र सरकार को निर्देशित करें कि दिल्ली में जनसंख्या के आधार पर तीन और सैंट्रल विश्वविद्यालय खोले जाएं। साथ ही श्री ओम प्रकाश की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि गया में भी विश्वविद्यालय खोलें। हुक्मदेव जी, आपको दुबारा बहुत-बहुत बधाई।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have to inform the House that we had to allot the time for discussion on this on-going Private Members' Resolution before the discussion commenced on it. If the House agrees, we may allot two hours for discussion on the Resolution moved by Shri Om Prakash Yadav.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Dr. Bhola Singh.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, श्री ओम प्रकाश यादव ने मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए सदन में जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

17.02 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

बिहार भारत की एक सांस्कृतिक आत्मा है। बिहार भारत का भौतिक शरीर भी है। बिहार समस्याओं का नहीं संभावनाओं का राज्य है और मैं आज इस सदन में इस विचार को रखना चाहता हूं। बिहार का दुर्भाग्य है कि उसके एक सौ वर्ष के जीवन काल में न जाने उसके शरीर के कितने भाग काटे गए। उड़ीसा उससे अलग हुआ, बंगाल से वह अलग हुआ और अभी हाल में झारखंड जो बिहार का हिस्सा था, उसे काटकर एक झारखंड राज्य की स्थापना हुई। 46 प्रतिशत भूभाग झारखंड में चला गया। जंगल चले गए, खान चले गए, खदान चले गए और जो बिहार बचा, वह बिहार का अर्ध शरीर है, जहां 54 प्रतिशत भूभाग है, 10 करोड़ आबादी है। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, तो भारत सरकार ने कहा था कि खदान के जाने से, कारखाने के जाने से, उद्योग के जाने से, जंगल, बिजली के जाने से बिहार की जो क्षति हो रही है, बिहार जो प्रताड़ित होगा, केन्द्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। पर दुर्भाग्य है कि बिहार आज केन्द्र के व्यवहार से दुखी है, प्रताड़ित है और बिहार के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बनाने के नाम पर आज जो खेल खेला जा रहा है, वह कोई नया नहीं है।

मुझे याद है जब बिहार के मुख्य मंत्री डा. श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे तब पंडित जवाहर लाल नेहरू हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री थे। बिहार केसरी बिहार में तेल शोधक कारखाना खोलना चाहते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा। पंडित जी ने बिहार केसरी को पत्र लिखा जिसमें कहा कि बिहार केसरी, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना नहीं खोला जा सकता। हमारे इंजीनियर ने कहा है कि बरौनी की जमीन नीची है और उस जमीन पर गंगा की बाढ़ का हमेशा खतरा है, इसलिए रिफाइनरी नहीं हो सकती। बिहार केसरी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को पत्र लिखा और कहा कि पंडित जी, अब मुझे लगता है कि हमें पार्लियामैंट आना पड़ेगा। उसके दूसरे ही दिन पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बिहार केसरी को सूचना दी कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना खोलने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह जो नियम और प्रक्रियाएं हैं, जो सारी बातें की जा रही हैं, यह सब राजनीति का खेल है।

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा नदी है, पूर्व में कोसी नदी है और पश्चिम में सरयू नदी है। यह हिस्सा मिथिला का हिस्सा है। जब राम और सीता का स्वयंबर हुआ और उसके बाद जब सीता अयोध्या जाने लगी, तो राजा दशरथ ने अपने पहलवानों से कहा कि सीता की पालकी को उठाओ। जब पहलवान उठाने गये, तो पालकी नहीं उठी। उन्होंने फिर और

पहलवानों को भेजा, लेकिन पालकी नहीं उठी। राम ने सीता से कहा, जानकी क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? सीता ने कहा -- प्रभु, राजा जनक ने मुझे बेटी की तरह पाला-पोसा है। मैंने सोचा था कि मिथिला को कुछ देकर जाऊं, लेकिन मैं जा रही हूं, लौट कर नहीं आऊंगी, आज मुझे इसी बात का अफसोस है। अगर आप कहें, तो मैं कुछ कहूं। राम ने कहा -- कहो। सीता ने कहा -- मेरे प्रभु, मिथिला की जमीन को जो स्पर्श करे, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो।

सभापति महोदया, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आये तो गोखले जी से मिले और उनसे कहा कि हम भारत में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, तो गोखले जी ने गांधी जी से कहा कि क्या आपने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया है? गांधी जी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप पहले भारत का भ्रमण करें और उसके बाद यदि आपको लगता है कि ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, तो हम आपके साथ हैं। मोहन दास करमचंद गाधी जी भारत के हिस्सों में घूमते हुए चम्पारण, मोतिहारी पहुंचे।

महोदया, जो व्यक्ति पहले सामान्य था, बैरिस्टर था, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उस मिट्टी ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा के रूप में उप-स्थापित कर दिया। यह पारस मिट्टी है, जो लोहे को भी सोना बना देती है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मां विवादित हो जाये, क्या मां विवादित हो सकती है? शिक्षा मां है, चाहे वह कश्मीर की हो, इंग्लैंड की हो, जापान की हो या पाकिस्तान की हो, सभी मातायें, अपनी मां हैं। मां का दर्जा कोई विवादित दर्जा नहीं है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मोतिहारी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को विवादित बनाया जा रहा है। क्या यह बात सही नहीं है? मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि प्रारंभ में बिहार सरकार से बातचीत करके मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सहमति केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विभाग ने दी? क्या यह बात सही नहीं है कि पटना में मोतिहारी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर किराए के मकान में विश्वविद्यालय खोला गया? क्या यह बात सही नहीं है कि उसी के नाम पर विश्वविद्यालय खोला गया? महोदया, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोतिहारी ने नहीं कहा बिहार के मुख्यमंत्री को कि हमारे यहां विश्वविद्यालय चाहिए। चम्पारण ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, जो बिहार की स्थिति है, उस स्थिति को सामंजस्य करने के लिए, विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए, चूंकि ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा में है, मधेपुरा में मंडल विश्वविद्यालय है, भागलपुर में विश्वविद्यालय है, गया में विश्वविद्यालय है, आरा में विश्वविद्यालय है, छपरा में विश्वविद्यालय है, ये सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन मोतिहारी का उतना बड़ा हिस्सा विकास की तमाम योजनाओं से अलग है, अपनी पहल पर 250 एकड़ जमीन एक्वायर करके मुफ्त में दिया जिससे

विश्वविद्यालय खुले। किराए के मकान में विश्वविद्यालय चला, लेकिन जब उसे वहां ट्रांसफर करने का सवाल उठा, तब यह बात होने लगी। क्या यह विश्वविद्यालय खोलने की बात है? बिहार में सात-आठ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे ऋषि, हे महात्मा, हम कैसे देखते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन्, हम सूरज से देखते हैं। राजा जनक ने पूछा कि अगर सूरज न हो, तब कैसे देखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा, तब हम चांद की रोशनी से देखेंगे।

सभापति महोदया : आपको कितना समय और चाहिए?

डॉ. भोला सिंह : महोदया, मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदया, फिर राजा जनक ने पूछा कि अगर चांद भी न हो, अगर अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात हो, तब कैसे देखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन्, तब हम उस अंधेरी रात में पुकारेंगे - श्याम। श्याम जहां होगा, वह बोलेगा कि मैं यहां हूं। इस तरह से देखेंगे। फिर राजा जनक ने पूछा, हे महर्षि, अगर यह स्थिति भी नहीं हो, तब कैसे देखेंगे? फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन्, तब हम अपनी आत्मा के दीप को जलाएंगे। आत्मदीप जलाएंगे। आज मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न है, उसे विवादित बनाया जा रहा है। वह प्रश्न तो स्वीकृत हो चुका था, सहमति हो चुकी थी और आज गया का नाम लिया जा रहा है। विश्व की तमाम आत्माएं गया में निवास करती हैं। गया में विश्वविद्यालय है, गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, कहां विरोध है? बिहार ज्ञान की भूमि है। इसलिए, महोदया, मैं एक कहानी कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि आप हमेशा वीणा बजाया करती हैं, इसका क्या कारण है? सरस्वती जी ने कहा कि मैं विष्णु की पत्नी हूं, पर विष्णु को लोग सरस्वतीपति नहीं मानते, लक्ष्मीपति मानते हैं। विष्णु ने मुझे कंठ में जगह दी, उस दर्द को भी मैं सह गयी, लेकिन जब मैं देखती हूं अपने पुत्रों को धनी पुत्रों के पीछे भागते हुए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है और उसी को भूलने के लिए हमेशा वीणा पर मेरे हाथ होते हैं। मैं आज भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार है, वह पार्टी 127 वर्ष की है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने तक वह पार्टी पार्टी नहीं एक आंदोलन के रूप में रही और सम्पूर्ण ने उसके प्रति एक श्रद्धा ज्ञापित की। आज उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार, जिसने सारे देश को सांस्कृतिक आत्माएं दी हैं। बिहार, जिसने पूरे देश को, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, कृषि क्रांति दी। बिहार की जो आज आकृति है, वह बिहार नहीं है, केन्द्र ने वह आकृति दी है, पिछड़ेपने की आकृति, हास्यास्पद स्थिति। बिहार में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साहब गए थे। वहां उन्होंने विधान

मंडल को सम्बोधति करते हुए कहा था कि बिहार 2020 तक विकसित राज्य बनेगा। हमारे मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें उसी समय कहा था कि वह अवश्य बनेगा। बिहार उभर रहा है, उठ रहा है, गतिशील है, बिहार के कण-कण में एक आवाज़ कौंध रही है। इस विकसित बिहार के प्रयास को हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि शिक्षा मां है, संस्कृति मां है, बिहार सरकार कोई राजनैतिक आधारर पर नहीं, कोई क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं, कोई पक्षपात के आधार पर नहीं,महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं और शिक्षा हमारी मां है। क्या महात्मा गांधी विभाजित होंगे, क्या शिक्षा मां विभाजित होगी? इसलिए हम भारत सरकार के शिक्षा विभाग से आग्रह करना चाहते हैं कि वह हठवादिता छोड़े, हठधर्मिता छोड़े। बिहार, जिसका बहुत बड़ा ऋण केन्द्र पर है, राष्ट्र पर है, जो आत्मदीप है, प्रकाश स्तम्भ है, जो राष्ट्र की धरोहर है, जो राष्ट्र का हेरिटेज है, उस बिहार को, आप इस अवस्था में उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ न करें।

श्री कपिल सिब्बल, जो विद्वान हैं, वकील हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अपने स्वभाव के अंतर्गत एक छोटा दिल बड़ा काम नहीं कर सकता, टूटे दिल से कोई आदमी खरा नहीं हो सकता है, हम चाहते हैं कि केन्द्र इस पर विचार करे। जो उसका तत्कालीन निर्णय था, उसे कार्यान्वित करे। बिहार के साथ उसका व्यवहार समानीकरण का हो, समानता का हो, सदाश्यता का हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम प्रकाश जी ने जो यहां संकल्प पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदया, श्री ओम प्रकाश का जो संकल्प यहां चर्चा के लिए आया है कि बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं काफी समय से सदन में बैठा हुआ माननीय सदस्यों के विचारों को सुन रहा हूं। सबके द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि वह वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे।

महोदया, यह आग्रह तब हो रहा है जब भारत सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है कि इस देश में आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलेंगे और उनमें से एक बिहार में भी खुलेगा। मैं भारत सरकार को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री सिब्बल साहब को और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती पुरुंदेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूं। आपने कोई यह असाधाराण निर्णय नहीं लिया है, यह बरसों से बिहार की मांग थी। हमारी मांग थी कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और समाजवादी आंदोलन के सभी नेता, जिनमें से एक हुक्मदेव नारायण जी यहां बैठे हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था, सबकी यही मांग थी कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिहार में खुले. श्री लालू प्रसाद की बिहार में 15 साल तक सरकार रही। उनकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल लगातार भारत सरकार के सामने बात रखते आए थे कि वहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले। जब हुक्मदेव नारायण जी मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे। बिहार से राजनैतिक सभी दलों के लोग, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर के हम आये थे कि बिहार को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहिए। हालांकि हमेशा हम लोगों की चर्चा होती थी। पटना विश्वविद्यालय जो देश का अपने समय का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, इसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। कभी बिहार ने यह मांग नहीं की थी कि आप इस स्थान पर बनाओ। आज जो मैं देख रहा हूं कि वर्षों की हमारी पुरानी मांग, जब केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्णय हो चुका है और भारत सरकार आगे बढ़ना चाहती है, तब हम स्वयं इस विषय को उलझा रहे हैं।

महोदया, जब 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस देश में हैं तो बिहार की हिस्सेदारी अपने भूगोल और जनसंख्या के आधार पर 4 विश्वविद्यालयों की बनती है। यदि हम इन विश्वविद्यालयों की संख्या को आधार मानें तो हमें और विश्वविद्यालय चाहिएं। आज प्रश्न क्या है कि बिहार को विश्वविद्यालय चाहिए या मोतीहारी और गया के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। मैं सदन में इस बात को कहना चाहता हूं कि जब माननीय ओमप्रकाश जी का यह गैर-सरकारी संकल्प था, उसी के साथ एक मेरा गैर-सरकारी संकल्प था कि जो रीजनल इम्बैलेंस है इस देश में, उसे दूर किया जाए।

महोदय, रीजनल इम्बैलेंस हमारे इस ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में है और हमारे बिहार में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं और वहां के विश्वविद्यालयों की स्थिति सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि यह कोई एलीमेंट्री एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं है। एलीमेंट्री एजुकेशन हमेशा एट ए डोर के कंसेप्ट पर चलती है और हमारे विश्वविद्यालय का मतलब दुनिया के लोग आकर पढ़ सकें, हम ऐसी संस्थाओं में दुनिया में कहीं भी जा सकें और दुनिया की सारी विधा जहां पढ़ाई जा रही हो, उसे विश्वविद्यालय कहते हैं। मोतिहारी और गया के विवाद में अगर यह विश्वविद्यालय रुकता है तो मुझे अफसोस है महोदय कि बिहार ने बहुत कुछ खोया है इन विवादों में। मुझे याद है कि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को एम्स का दर्जा देना था किसी एक अस्पताल को। हम सभी ने कहा था कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में मौजूद है, आप लोग इसे एम्स का दर्जा दे दीजिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कहा कि नहीं, हम एक दूसरा अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। अगर हम उस विवाद में पड़े होते, तो वह अस्पताल रुक गया होता। हम लोगों ने तुरंत निर्णय किया कि नहीं, हमें अस्पताल चाहिए, चाहे सरकार की कोई भी सोच हो। इंदिरा गांधी जी के नाम से कोई भी विरोध हो, लेकिन बिहार के लोगों को एक अच्छा अस्पताल चाहिए, उन्हें दिल्ली न जाना पड़े, उनका इलाज स्थानीय रूप में हो सके।

मैं कहना चाहता हूं कि क्या गांधी की कर्म-भूमि और बुद्ध की ज्ञान-भूमि की हम तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है? महोदया, बिहार के किसी भी स्थान की चर्चा करके हम उसकी बिहारी होने के नाते तारीफ करें तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन बिहार के अन्य स्थानों को छोटा दिखाने के लिए किसी स्थान को बड़ा बताया जाए, मुझे लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि जिससे दुनिया प्रभावित हुई और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्तव्यों से आज देश आजाद है, हम क्यों तुलना करते हैं। मैं माननीय हुक्मदेव नारायण जी को सुन रहा था कि कैसे मिथिला की संस्कृति को कोई नकार नहीं सकता है। मगध और मगध के उस समय के इतिहास को नकारने की क्या कोई आवश्यकता है? आप जिस अशोक चिन्ह और धर्म-चक्र की बात करते हैं वह तो मगध से निकला था। क्या हम गंगा के इस पार या उस पार की चर्चा करके क्या हम बिहार के किसी एक हिस्से को छोटा बना सकते हैं।

महोदया, अयोध्या में श्रीराम राजकुमार थे। विश्वामित्र की तपोभूमि गंगा के किनारे बक्सर में, जहां से मैं यहां पर प्रतिनिधि बनकर आया हूं। अगर विश्वामित्र नहीं होते तो राम राजकुमार रहते, कभी भगवान राम नहीं बनते। मत भूलिए कि बिहार का हर कोना, हर अंश ज्ञान की ज्योति से जलता रहा है। मगध हो, मिथिला हो, शाहाबाद या भोजपुर हो, बिहार के हर हिस्से का इतिहास बिहार का इतिहास है। हमें बिहार के इतिहास को अलग-अलग नहीं बांटना चाहिए। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तब हमने बिहार की विधान

सभा में कहा था कि बिहार को बांटने के लिए झारखंड को ऊंचा और बिहार को छोटा मत करो। झारखंड की सारी लड़ाइयां, चाहे संथालों की हो या बिहार के वीर कुंवर सिंह की हो, सब भारत को आजाद कराने के लिए थी। यह लड़ाई क्षेत्रीयता की नहीं थी। आज हम क्यों इस बात को कह रहे हैं?

महोदया, आज मगध भी आंदोलित है। मैं आपके माध्यम से हुक्मदेव जी से कहना चाहता हूं कि इस विवाद में दो या चार साल विलंब होता है तो नुकसान किसे होगा? मोतिहारी में विश्वविद्यालय खुले और बिहार के बच्चे पढ़ें, देश के बच्चे पढ़ें। गया में विश्वविद्यालय खुले, गया, मगध, बिहार और देश के बच्चे पढ़ें। आज आवश्यकता इस बात की है कि यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। बिहार ने केंदीय विश्वविद्यालय के लिए बरसों तक तपस्या की है। स्थानों की जंजलता में अगर रोक लगती है तो मैं समझता हूं कि यह बिहार के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिहार ने अनेक बार इसी तरह के विवादों में अपना हक खोया है। मैं आज सदन में मांग करता हूं, माननीय मंत्री जी का विचार गया में खोलने का है तो जरूर खोलें। लेकिन मोतिहारी कोई छोटी जगह नहीं है।

महोदया, अगर हम गया और मोतिहारी, महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध की तुलना करने लगेंगे तो बहुत अजीब दृश्य पैदा होगा। हम तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि बिहार के आज भी चार क्षेत्र हैं, मगध, भोजपुर, मिथिला, भागलपुर और अंगिका का इलाका। बिहार को चार विश्वविद्यालय चाहिए लेकिन अभी कोई एक खुलेगा। उसके बाद कल दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की आएगी, फिर चौथे की बारी आएगी। आप मोतिहारी के रूप में बिहार को विश्वविद्यालय दीजिए। यदि यह संभव नहीं है तो गया के रूप में बिहार को विश्वविद्यालय दीजिए। मैं नहीं जानता हूं कि विश्वविद्यालय खोलने के पैमाने क्या हैं? हम मापदंड पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक बात पुरजोर ताकत के साथ कहना चाहते हैं कि अब हमारी बरसों की मांग को पूरा करने का अवसर आया है और हम स्थानों के विवाद में इसे उलझाना नहीं चाहते हैं। भोला बाबू मगध के हैं। मैं नहीं समझता कि मगध में विश्वविद्यालय खोलने का वे विरोध कैसे कर सकते हैं?

महोदया, मैं जानता हूं कि हम बिहारी हैं, हम मगध से प्रेम करते हैं। चंपारन भी हमारा ही अंग है। मिथिला हमारा ही अंश है। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा है कि वर्ष 2020 तक भारत में उच्च शिक्षा का एनरोलमेंट 30 फीसदी पर ले जाएंगे जो कि आज दुनिया का औसत है। ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां 60-65 प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत में आज उच्च शिक्षा का एनरोलमेंट 12 प्रतिशत के आसपास है और बिहार का छः से सात प्रतिशत है। बिहार के लोगों को रीजनल इम्बैलेंस दूर करने के लिए, ज्ञान भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय चाहिए, एक नहीं अनेक चाहिए।

महोदया, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि भारत में जब टाटा साहब को उद्योग लगाना था तब जमशेदपुर में देखा गया कि यहां पानी है, खदान है, यहां लोहा बनाया जा सकता है और यहां भारत का सबसे बड़ा कारखाना बनाया गया। बिहार की दौलत और संपत्ति से भारत समृद्ध बना। बिहार से धन और दौलत पैदा की गई थी लेकिन जब ज्ञान की सबसे बड़ी संस्था खोलने की बात आई तो साइंस इंस्टीट्यूट बंगलौर में बनाया गया। बिहार में उद्योग लगा और ज्ञान का उद्योग बंगलौर में लगा। आज हिंदुस्तान में बंगलौर ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। बिहार के साथ हमेशा ज्यादती हुई है। बंगलौर भी हमारा है, कर्नाटक भी हमारा है, बिहार भी हमारा है। क्योंकि बिहार में पिछड़ापन है, रीजनल इम्बैलेंस है। हमें परेशानी तब होती है जब कोई नहीं बताता है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लिट्रेसी रेट पर कितने दिनों में इस देश के औसत स्तर पर लाएंगे? यह कोई नहीं बताता कि धन और दौलत के आधार पर बिहार की गरीबी को दूर करके हम कब तक अन्य के बराबर लायेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ज्ञान के क्षेत्र में रीजनल इम्बैलेन्सिज हैं, बिहार में केन्द्रीय संस्थान और विश्वविद्यालय कम हैं। आप जहां भी इन्हें खोलें, तत्काल खोलें। चाहे गया हो, मोतिहारी हो, हमारे जैसे लोग किसी का विरोध करके बिहार का विरोध नहीं कर सकते। आज हमारी चिर-परिचित मांग के पूरा होने का एक अवसर आया है। हम यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बिहार में भी एक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय हुआ है। लेकिन बिहार की सीमा में हम बिहारी लोग इस स्थान और उस स्थान की चर्चा करके इसे उलझा रहे हैं। क्या भोजपुर के इलाके में विश्वविद्यालय नहीं खुलना चाहिए। यहां मीना जी बैठी हैं, शाहबाद, जहां आजादी की जंग की सबसे बड़ी शुरूआत हुई थी, जिसके कारण आज यह देश आजाद हुआ। क्या हम उस वीर कुंवर सिंह की धरती पर नई यूनिवर्सिटी की मांग नहीं कर सकते। लेकिन चौथी यूनिवर्सिटी हो या तीसरी हो, वह पहले गया में हो जाए, मोतिहारी में हो जाए, यदि तीसरी या चौथी युनिवर्सिटी खुलेगी तो हम उसके लिए प्रतीक्षा करेंगे, हम कल के लिए प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन आज यदि किसी कार्य में कोई कठिनाई कोई दल, कोई सरकार या कोई भी सदस्य पैदा करना चाहता है और केन्द्रीय विश्वविद्यालय को खोलने में यदि विवाद का कोई विषय बनाकर विलम्ब करता है तो मैं यह कह सकता हूं कि उसे बिहारी कहलाने का कोई हक नहीं बनता है। बिहार की एक मांग है और मैं पुरजोर ढंग से सदन में मांग करता हूं कि आप यहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलिये, लेकिन माननीय राज्य मंत्री जी और कपिल सिबल साहब इसके लिए विलम्ब मत कीजिए। आपको जहां भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना हो, खोलिये, लेकिन हमें उलझन से बचाइये। बिहारियों को विश्वविद्यालय के लिए स्थान के विवाद में हम अपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय को नहीं खो सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, मैं श्री ओम प्रकाश यादव का जो प्रस्ताव है कि बिहार के मोतिहारी जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मेरा सरकार से यह आग्रह है कि भारत को ज्ञान का देश बनाया जाए। भारत एक ऐसा देश रहा है, जहां पर गीता लिखी गई और कुरुक्षेत्र में जब गीता लिखी गई, उसका संवाद हुआ - धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, मामकाह पांडवश्चैव किमाकुर्वता संजय:। वह गीता जो सारे संसार को उपदेश देती है, सारे संसार का मार्गदर्शन करती है। वह गीता जो युद्ध के समय में अध्यात्म की चर्चा करती है। हमारा देश ज्ञान में सर्वोपरि रहा है और पराविद्या और अपराविद्या का ज्ञान भारत के अंदर रहा है। भारत के अंदर वेद प्रकट हुए, जो संसार की प्राचीनतम पुस्तकों में माने जाते हैं। अर्थात हमारा देश विश्व का गुरू रहा है, हमारा देश ज्ञान का गुरू रहा है। हमारा देश ज्ञानमय हुआ और उस ज्ञान के विस्तार के लिए हमें जगह-जगह केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने चाहिए। We should make our country, a country of knowledge. क्योंकि मैं यह मानता हूं कि हर बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की संभावना है। Every seed has the potential to become a tree. अगर उस बीज को आप बोयेंगे, उसे पानी देंगे, मिट्टी देंगे, खाद देंगे और यदि उसे धूप मिलेगी तो वह एक बड़े वृक्ष के रूप में खड़ा हो जायेगा। इसी प्रकार से अगर हम अपने बच्चों को, अपने देशवासियों को एक मौका दें और उन्हें विश्वविद्यालय प्रदान करें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में हमारा देश ज्ञानमय देश हो जायेगा और सारे संसार के अंदर भारत की दुंदुभि बजेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मैं गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा पर एक प्राइवेट मैम्बर बिल सदन में लाया था और मुझे इस सदन के अंदर आप सभी सदस्यों का समर्थन मिला और सबने अपनी-अपनी भाषा की बात की। किसी ने भोजपुरी भाषा की बात की, किसी ने हरियाणवी भाषा की बात की और किसी ने राजस्थानी भाषा की बात की। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं कि सभी ने अपनी-अपनी भाषा की बात करते हुए गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को राजभाषा बनाने की बात की। मंत्री जी ने भी यह कहा कि इसे परीक्षा से डीलिंग करने के बाद हमारा प्रयास होगा कि इसे 8वीं सूची में सम्मिलित करें। मेरा यही कहना है कि इसी प्रकार से सबका सहयोग लेते हुए मोतिहारी में विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से हो।

सभापति महोदय, मैं उत्तराखण्ड से आता हूँ। उत्तराखण्ड के अंदर दो भाग हैं। एक गढ़वाल का और एक कुमाऊं का भाग है। गढ़वाल को भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला है। सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है कि कुमाऊं को भी एक विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। कुमाऊं का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कुमाऊंनी भाषा का

साहित्य बड़ा प्राचीनतम साहित्य है। चाहे रामनगर हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, वहां पर भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखण्ड भी आगे बढ़ेगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी तब उन्होंने हमें विदेश भेजा था। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा, वह हमें इंफार्मेशन टेक्नॉलाजी का एक सिस्टम दिखाने ले गए। वहां पर हमें यह बताया कि यह ऐसा सिस्टम है कि जिस पर हम बटन दबा कर प्राइम मिनिस्टर की कार को सारी हरी बत्तियों से गुजारते हैं। हमने देखा कि कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल बटन दबाने से आप सारी बत्तियों को ग्रीन कर दें और प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे। उनके साथ कोई सिक्योरिटी भी नहीं जाएगी। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद दूसरा सिस्टम हमें दिखाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बस चल रही है और कहा कि अगर हम सारे ट्रैफिक को एक साथ छोड़ेंगे तो बसें रूक जाती हैं, इनके आगे छोटी कारें आ जाती हैं। इससे बचने के लिए हम सरकारी बसें को बीस मिनट पहले छोड़ते हैं, ग्रीन लाइट पहले हो जाती है, वे बसें आगे चलती हैं और पीछे से टैफिक चलता है। सारी बसें टाइम पर पहुंचती हैं। ऐसा सिस्टम देख कर के हम बड़े प्रभावित हुए। हमने कहा कि यह सिस्टम हमारे उत्तराखण्ड में भी आएगा तो हमें भी ज्यादा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और ग्रीन लाइट के अंदर हमारे वीआईपी गुजर सकेंगे। हमने उनसे पूछा कि यह सिस्टम कैसे मिलेगा? यह सुन कर वहां का अफसर हंसने लगा। उसने कहा कि यह सिस्टम आपके बैंगलोर में ही बना है, आपके हिंदुस्तान में ही बना है और हम हिंदुस्तान से लाए हैं। तब हमें पता चला कि हमारे देश में कितनी क्षमता है, हमारे देश के अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं। इन प्रतिभाओं को विकसित होने का मौका मिले तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारा देश विश्व का गुरू बन कर दिखाएगा और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज हमारी यह भावना होनी चाहिए - एक आदमी एक ईंट के भट्टे के पास गया। उसने देखा कि एक आदमी ईंट बना रहा था। उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा कि देखता नहीं मैं रोज़ी-रोटी कमा रहा हूँ। वह आगे गया, एक दूसरा आदमी ईंट बना रहा था। उसने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? वह बोला कि भाई रोज़ी-रोटी कमा रहा हूँ, ईंट बना रहा हूँ, लोगों के मकान बनेंगे। फिर वह और आगे गया। वहां तीसरा आदमी भी ईंट बना रहा था। उसने भी पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई ईंट बना रहा हूँ, मैं अपने देश का निर्माण कर रहा हूँ और इस ईंट से मेरा देश बनेगा। जनता के मकान बनेंगे और आवास बनेंगे। आज हमारी भी यह भावना होनी चाहिए कि अगर हम किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं तो हम देश का निर्माण करते हैं। हम उस विद्वत वर्ग का सम्मान करते हैं जो देश को आगे बढ़ाएगा। मैं कहूंगा कि हमारे देश के अंदर ऋषियों का यही कथन रहा -

" सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यंतु, माकश्चित् दुःखभाग्भवेत"

आज उसी भावना के साथ मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कुमाऊं मण्डल में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें। चाहे राम नगर में करें, अल्मोड़ा में करें, पिथौरागढ़ में करें। यह बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और उत्तराखण्ड की जनता को आगे पढ़ने और बढ़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से देश का निर्माण होगा। मैं निश्चित रूप से मोतिहारी के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना की मांग करता हूँ। मैं इसके साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा के मंदिर स्थापित होंगे, तब भारत की जयगाथा गाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आज श्री ओम प्रकाश यादव जी, जो बिहार राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती हुयी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिल लाए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ी होकर बोलना चाहती हूं।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो क्षेत्र है, जहां से हम लोग आते हैं, पूर्वी चंपारण से, जो उनकी कर्मभूमि रही, भितिहरवा से उन्होंने जो संघर्ष किया, पूर्वी चंपारण के लोगों ने उनको सहयोग किया, उस मिट्टी के तपे हुए, उस मिट्टी के मजबूत लोगों के लिए मैं मांग करने के लिए खड़ी हूं। मैं सबसे पहले यह धन्यवाद देना चाहती हूं कि बिहार के सभी सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर मोतीहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा की जा रही हठधर्मिता के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने के कदम की प्रशंसा करती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि बिहार सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह भूमि मोतीहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला लेने के बावजूद केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी द्वारा गया में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कहकर बिहार के लोगों में खाई पैदा करने की कार्रवाई की है। मैंने दिनांक 9.4.2011 को मानव संसाधन विकास मंत्री जी को पत्र लिखकर परामर्शदात्री समिति की बैठक में चंपारण की जनआकांक्षा से उनको अवगत कराया था कि मोतीहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करने पर संसद से सड़क तक आंदोलन किया जाएगा। आज समय आ गया है, केंद्र की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ संपूर्ण बिहार की जनता एवं राजनीतिक दल दलगत भावना से ऊपर उठकर, हम लोग जिस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस चीज की मांग करने के लिए हम लोगों ने, सभी सांसदों ने जंतर मंतर पर धरना भी दिए और इन तक यह आवाज पहुंचाने की कोशिश भी की कि कम से कम वहां केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए।

सबसे पहले तो मोतीहारी में विश्वविद्यालय की स्थापना में उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, बगहा, गोपालगंज, छपरा एवं सिवान आदि दर्जनों जिलों में उच्च शिक्षा जो संक्रमण के दौर से गुजर रही है, उसे गति प्रदान हो सकेगी और शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतुलन कायम है, वह विकास की दौड़ में आगे निकल जाएगा।

महोदया, मैं यह कहना चाहती हूं कि मोतीहारी में अगर यह विश्वविद्यालय बनेगा, तो एक तरह से शिक्षा की धुरी के रूप में मोतीहारी विकसित होगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में प्रति एक सौ व्यक्ति में से 74 और बिहार में

64 व्यक्ति साक्षर हैं, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के प्रति सौ व्यक्ति में से 58 व्यक्ति ही साक्षर हैं। मैं चाहती हूं कि भारत के प्रति एक सौ में से बारह और बिहार में आठ व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन चंपारण में सौ व्यक्तियों में से पांच व्यक्तियों को ही उच्च शिक्षा नसीब हो पाती है।

मैं मंत्री महोदय से यह मांग करती हूं कि मोतीहारी गांधी जी की कर्मभूमि है, सत्याग्रह की प्रयोगभूमि है और बापू ने यहां विद्यालय की बुनियाद रखी थी। संयुक्त चंपारण की आबादी तकरीबन एक करोड़ है और यहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। मैं उनसे मांग कर रही हूं कि कम से कम हम लोगों की बात का महत्व रखते हुए वहां विश्वविद्यालय की स्थापना करने में कोताही नहीं बरतें। मोतीहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना भी है। यहां आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि नार्थ इस्टर्न हिल केंद्रीय विश्वविद्यालय मेछू डमसिंग शिलांग का निकटतम हवाई अड्डा गुवाहटी से काफी दूरी पर स्थित है। नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की निकटतम गुवाहटी हवाई अड्डे की दूरी 307 किलोमीटर है। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकटतम हवाई अड्डे चेन्नई की दूरी 150 किलोमीटर है, अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय की हवाई अड्डे कानपुर की दूरी 142 किलोमीटर है। विश्वभारती शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल से निकटतम हवाई अड्डे कलकत्ता की दूरी 142 किलोमीटर है। जबकि मोतीहारी से निकटतम हवाई अड्डे पटना की दूरी वाया मुजफ्फरपुर (फोर लेन जो सड़क बन चुकी है) 170 किलोमीटर है। बौद्ध सर्किट की सड़क वाया केसरिया द्वारा तकरीबन दूरी 150 किलोमीटर है।

मोतिहारी से 50 किलोमीटर की दूरी पर रक्सौल हवाई अड्डा स्थित है जहाँ से पहले विभिन्न स्थानों के लिए हवाई जहाज़ उड़ान भरते थे। मोतिहारी में छोटे जहाज़ों के उतरने के लिए हवाई अड्डा अभी भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अपनी ज़िद को छोड़े। यह संपूर्ण बिहार की जनता और सभी राजनीतिक दलों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। बिहार में चंपारण की धरती, जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ से मैं सांसद बनी, बिहार में मंत्री भी बनी और आज आपके बीच में खड़ी हूँ। वहाँ के बच्चे हमें माँ कहते हैं और चंपारण का एक-एक बच्चा चाहता है कि हमें आगे पढ़ाने के लिए रमादेवी गई हैं तो ज़रूर कुछ मांगकर लाएँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को एकदम स्थापित करने के लिए, आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं मंत्री महोदय से हठधर्मिता छोड़ने की बात कर रही हूँ। हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में कम से कम स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में तीन हैं, दिल्ली में चार हैं, उत्तर प्रदेश में चार हैं, पश्चिम बंगाल में एक है, महाराष्ट्र में एक है, अत्यंत छोटे राज्य असम में दो हैं, मणिपुर में दो हैं, मिज़ोरम में एक है, मेघालय में एक है, त्रिपुरा में एक है, नागालैण्ड में एक है, पांडिचेरी में एक है तथा अरुणाचल प्रदेश में एक है, सिक्किम में एक है। यानी कुल 25 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में वहाँ उच्च शिक्षा नीति के उपरोक्त अनुपात

को बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है जिनकी संख्या 15 है जो इस प्रकार हैं - बिहार में मोतिहारी, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, गुजरात में गांधीनगर, हरियाणा में महेन्द्रगढ़, हिमाचल प्रदेश में कंकरा, झारखंड में बामरे, जम्मू-कश्मीर में जम्मू एवं काश्मीर, कर्नाटक में गुलबर्गा, केरल में कासरगोड, मध्य प्रदेश में सागर, ओडीशा में कोरापुट, पंजाब में भटिंडा, राजस्थान में अजमेर-जयपुर पथ में, तथा उत्तराखंड में गढ़वाल, जिसमें 14 स्थानों पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर राज्य सरकार की सहमति से कार्य प्रारंभ करा दिये गये थे। इनमें से अनेक, प्रदेश की राजधानियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है जहाँ संसाधनों की काफी कमी है। सिर्फ एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना चंपारण मोतिहारी में होनी है, अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सका है और आप अनावश्यक बयान देकर पूरे राज्य की जनता को गुमराह कर जनता में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना भारत सरकार का संकल्प था जो उपरोक्त देश के पैमाने पर वितरित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुसार बिहार को भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कहीं से दया-दुआ की भीख नहीं है। यह देश के पैमाने पर अधिकार प्राप्त है। और आप अब कह रहे हैं कि मोतिहारी में कैम्पस और गया में यूनिवर्सिटी बनेगी चूँकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का माहौल नहीं है। संभवतः लगता है कि आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर भारत में आए हैं।

शायद आपको बिहार के चंपारण की मिट्टी की जानकारी प्राप्त नहीं है। पूरे देश के पैमाने पर केबीसी के विजेता मोतिहारी के सुशील कुमार एवं डॉ. प्रकाश कुमार खेतान ने गिनीज़ बुक में विश्व रिकार्ड स्थापित कर यह साबित कर दिया है कि उच्च शिक्षा की उर्वरक भूमि चम्पारण की धरती है और चम्पारण के लोग यह चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना करें। ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार के संकल्प के अनुसार 2012 में 12 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त करना निर्धारित लक्ष्य है जो देश में 10 प्रतिशत है और गरीब राज्य में अभी मात्र 8 प्रतिशत उच्च शिक्षा अवस्थित है। इसे 12 प्रतिशत पहुँचाना है जिसकी पूर्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा हो सकती है। इसका ग्राफ 50-60 प्रतिशत है परंतु भारत इसमें सर्वाधिक पीछे है जिसकी पूर्ति हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। परंतु इस गरीब राज्य के मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से लगातार वंचित रहे हैं। आखिर इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? इसकी भी ज़िम्मेदारी निर्धारित करने का संकल्प जनता ने ले लिया है जो काफी चिन्तनीय विषय है। मैं आग्रह करती हूँ कि अगर यहाँ विश्वविद्यालय बन जाएगा तो पूरे भारत में चंपारण का नाम और बापू की कर्मभूमि का नाम अजर-अमर रहेगा, हम लोगों का भी मान-सम्मान बढ़ेगा, लोगों की जो मंशा है, वह भी पूरी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री महोदय इस काम को करने के लिए पहल करें। वहाँ के मुख्य मंत्री जी ने भी ऐलान कर दिया है, उनकी भी प्रतिष्ठा की बात आ गई है।

उन्होंने लाखों जनता के बीच में यह बोला था। अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत तकलीफ पहुंचेगा। हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती थीं, उनको उन्होंने साइकिल और ड्रेस देकर घर से निकालने का काम किया है। अगर विश्वविद्यालय बन जाएगा, चूंकि यह बाढ़-सुखाड़ का इलाका है और यहां के बच्चे बहुत पिछड़ गए हैं और गरीबी भी ज्यादा है तो वहां हर ढंग से उनको सफलता मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। हमें भी गर्व होगा कि हम इन चीजों को उनके लिए लाए हैं। इसलिए मैं इसका पुरज़ोर समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि वहां विश्वविद्यालय बने।

सभापति महोदया : इस संकल्प के लिए आवंटित समय समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अभी चार-पांच सदस्य बोलने वाले हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो हम एक घंटे का समय इस संकल्प पर चर्चा के लिए बढ़ा देते हैं।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, महोदया। लेकिन ज़ीरो ऑवर कब लेंगे।

सभापति महोदया : यह संकल्प छः बजे तक चलेगा, उसके पश्चात हम शून्य काल लेंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदया, आपने मुझे ओम प्रकाश जी द्वारा बिहार के मोतीहारी जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, मैं पूरे दिल-दिमाग से ओम प्रकाश जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। I do strongly support the Resolution moved by Shri Om Prakash Yadav regarding the urgent need of setting up of a Central University in Motihari District of Bihar. So far as my observation is concerned, this particular demand raised by Shri Om Prakash Yadav is very much genuine. It is a long-felt need and it deserves special consideration from the Government of India.

Madam, in recent times, I would like to urge upon the Government of India, through you, to take appropriate steps to help upgrade the existing Bodoland State University to a full-fledged Central University. In 2009, the Government of Assam had taken a decision in the State Legislative Assembly to set up a State University in the name and style of Bodoland University. But so far as the financial condition of the State Government of Assam is concerned, the Government of Assam will not be in a position to run all the State Universities in a smooth way. So, in view of this kind of a situation, the immediate upgradation of the present day Bodoland State University to a full-fledged Central University is the one and the only solution. It is a very much genuine demand, a long-felt need and it deserves special consideration from the Government of India. क्योंकि हमारे स्वशासित बोडोलैंड अंचल की आबादी 30 लाख है। 30 लाख की आबादी के लिए वर्ष 2009 के पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इसलिए मेरी मांग है कि हमारे बोडोलैंड विश्वविद्यालय को भारत सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर अपग्रेड करे।

इसी के साथ-साथ मैं यहां कुछ जैनुइन डिमान्ड्स को यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा बोडोलैंड अंचल बहुत पिछड़ा हुआ है। हमें स्वायत्ता मिले 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वहां के हालात अभी भी बहुत मुश्किल हैं। इसलिए मेरी मांग है कि हमारे बोडोलैंड अंचल के लिए एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारे बोडोलैंड में दस आई.टी.आई, दस पॉलिटेक्नीक संस्थान, एक एन.आई.टी., एम्स मॉडल का एक इंस्टीच्यूट, कम से कम दो जवाहर नवोदय विद्यालय, और दो

केन्द्रीय विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। उसके साथ-साथ हमें एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी एण्ड रिसर्च चाहिए। अगर दिल्ली में और दिल्ली के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों में भारी संख्या में विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान हो सकते हैं तो हमारे बोडोलैण्ड में क्यों नहीं हो सकता है? This is a vital question.

मैडम, मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे असम में जितने बोडो लड़के-लड़कियां हैं, वे बोडो भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आज असम सरकार को बोडो माध्यम के जितने भी प्राइमरी, मिडिल, और हाई स्कूल्स हैं, उसे चलाने और संभालने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार को हमारे असम सरकार को, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल गवर्नमेंट को एक हजार करोड़ रुपए देना बहुत जरूरी है। जितने वेंचर स्कूल हैं, वे आम जनता के द्वारा प्रसारित हों और उन स्कूलों का प्रोविंसिएलाइज्ड होना बहुत जरूरी है।

मैडम, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आखिर में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि मैंने जितने मांग यहां रखे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए अतिशीघ्र कदम उठाने की जरूरत है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, मैं श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा लाए गए संकल्प कि मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो बेसिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है, मैं उस पर आपके माध्यम से अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आया। उस एक्ट के माध्यम से देश में 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए गए। बजट में इसकी घोषणा हुई। उसमें आपने बजट के माध्यम से राज्य आवंटित किए, और उसकी लोकेशन क्या होगी, यह नहीं बतायी। आपने यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया। राज्य सरकार को आपने कहा कि आप भूमि उपलब्ध कराएंगे। भवन और अन्य सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आपने योजना बनायी कि हम 1500 करोड़ रुपए देंगे। यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का पैकेज था। इस पैकेज में हमारे राजस्थान को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिला, बिहार को भी मिला। कई राज्यों, जैसे जम्मू एवं कश्मीर को दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी मिले।

महोदया, मेरा इस संबंध में यह कहना है कि रीजनल इम्बैलेंस दूर करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कार्य होने वाला था, वह रिसर्च का था।

बिहार में मोतीहारी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलता है तो एक तो रीजनल इम्बैलेंस दूर होता है और दूसरा गांधी, श्री राम, गौतम ऋषि, वाल्मीकि ऋषि पर रिसर्च करने का अवसर प्राप्त होता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलने के लिए इससे बढ़िया स्थान और क्या हो सकता है? अगर 1500 करोड़ रुपए उस मोतीहारी में लगेंगे तो उसका रीजनल इम्बैलेंस भी दूर होगा। लेकिन, भारत सरकार को क्या आपत्ति है? भारत सरकार लोकेशन तय करने के लिए एक कमेटी बनाती है। उस कमेटी में कुछ प्रोफेसर होते हैं। वे प्रोफेसर जाकर देखते हैं कि कनेक्टिविटी है या नहीं। जैसे मेरे बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय आना चाहिए था, वहां एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने कहा कि बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री से वहां एक्सपर्ट गए कमेटी के माध्यम से।

18.00 hrs.

उन्होंने कहा कि बीकानेर में हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए बीकानेर में आपको सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते और ऐसा ही केस मोतिहारी में भी हुआ। मोतिहारी में भी आपने यह कहा कि Motihari is not connected with air facility. और किसने कहा, वह जो प्रोफेसर हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे आने जाने में इससे तकलीफ होगी। आप सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी किसके लिए बना रहे हो...(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : This kind of condition should not be there because our Bodoland area also does not have an airport.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : You are also not getting the Central University because of that.

आप प्रोफेसर्स के लिए बना रहे हो या बच्चों के लिए बना रहे हो या रिसर्च के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? You should decide the policy कि आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए।

सभापति महोदया : अर्जुन राम मेघवाल जी, अब 6 बज गये हैं। आप अगली बार इसको कंटीन्यू करेंगे। अभी इसे समाप्त करते हैं।

अभी शून्य काल शुरू करते हैं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदया, मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदया: ठीक है।

श्री सतपाल महाराज : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया: एक मिनट। कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री सतपाल महाराज : उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां के जो गरीब किसान हैं, वे बन्दरों और सुअरों से बहुत पीड़ित हैं। दिन में बन्दर फसल को नष्ट कर देते हैं और रात को सुअर फसल को रौंद डालते हैं। इससे वहां का किसान रो रहा है। आज जो अल्मोड़ा जिला है, वहां के गरीब किसान, सोमेश्वर घाटी के गरीब किसान, गरुड़ के और बागेश्वर के गरीब किसान, इसी प्रकार से रिखड़ीखाल के और पूरे उत्तराखंड के जो किसान हैं, वे बड़े दुख से रो रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तराखंड के नागरिकों को इन जंगली सुअरों से मुक्ति दिलाने के लिए और बन्दरों से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): महोदया, मुझे यहां से बोलने के लिए कृपया अनुमति दे दें।

सभापति महोदया: ठीक है। आप अपनी बात करें।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam Chairman, all is not well with the North East people, especially with North East students who come to Delhi or other places of the country for study. They become the target of various people. North East girls are molested and people indulge in misbehaviour with them.

18.03 hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

Sir, on 15th April, a student of Architecture, who was studying in the College of Architecture, Bengaluru had been brutally murdered in the hostel room by the senior students of the college. His name is Robert Lailum and he was from Manipur. Although an FIR had been lodged, police has not taken any step to arrest the culprits so far. These murderers are roaming freely in the college. Irked by such attacks made on North East students many times, the people of the region are so perturbed that they spontaneously resort to *hartal, bandh* and *dharna*.

This kind of attacks on the North East students creates an atmosphere of distrust. If timely action is not taken in the case of the Manipur student who has

been killed in Bengaluru, it will start a process of alienation in the sensitive North East Region.

So, I request the Home Ministry, through you, that they should take such incidents very seriously and take urgent action to book the culprits. The situation is already in a burning state. Unless the culprits are booked early, the situation may become difficult to manage. Hence, I urge upon the Government to take immediate action in the matter.

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहें। श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं इसको पढ़ देता हूं, यह संक्षिप्त हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी यह मामला राज्य सभा में भी उठा है कि हमारे यहां के भारतवर्ष के करीब 1200 मजदूर, कामगार जो दक्षिण अफ्रीका के अंगोला में गये। भारतीयों की कहानी बेहद कारुणिक है। युगांडा से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सीमेंट फैक्टरी में वे कामगार काम करते थे। ओवर टाइम का उन्होंने जो काम किया था, उसका वे भुगतान मांग रहे थे। भुगतान मांगने को लेकर मामला तूल पकड़ा और झगड़ा हुआ। पुलिस ने वहां पर फायरिंग भी की। उसमें काफी भारतीय मजदूर घायल भी हुए और सैंकड़ों को हिरासत में लिया गया। यही नहीं अनेक आदमी पुलिस से बचने के लिए जंगल में भाग गये। अब वे वहां भटक रहे हैं, जिसमें बिहार के लोग थे, आंध्र प्रदेश के लोग थे और गुजरात के लोग थे। मैं कहना चाहूंगा कि केवल भावुकता के चश्मे से न देखें, बल्कि रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर गये मजदूरों की भारत वापसी, स्वदेश लौटाने की कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तंत्र ने उन्हें वहां भेजा है, उन्हें बेनकाब करिए। कौन सी ऐसी ऐजेंसी के लोग थे, कौन से ऐसे दलाल थे, जिन्होंने इस प्रकार से लोगों को भेजने का काम किया और विदेशों में भटकने के लिए उन्हें वहां पर छोड़ा। वर्क परमिट के बजाय उन्हें विजिटर परमिट के जरिये वहां पहुंचाया गया। आज उनके पास यह भी सुबूत नहीं है कि वे भारतीय होने का सुबूत पेश कर सकें। यही कारण है कि एजेंसी द्वारा रोजगार के सब्जबाग दिखाये जाने पर कर्ज लेकर विदेश जाते हैं और वहां पहुंचते ही वे हिरासत में ले लिये जाते हैं। अनेक प्रकार के उदाहरण इसके पहले भी इस सदन में आ चुके हैं। उनको काम कुछ बताते हैं और वहां उनसे कुछ और काम कराया जाता है। ऐसी एजेंसी के लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लाइसेंस जब्त किये जायें और जो भी मजदूर वहां पर गये हैं, एक-एक मजदूर को, जो 1200 मजदूर गये हैं, उनको वापस लाने के लिए केंद्र सरकार व्यवस्था करें। मैं मांग करना चाहूंगा

कि माननीय विदेश मंत्री को यहां आकर जवाब देना चाहिए। 1200 कामगार मजदूर कोई मामूली संख्या नहीं है, यह बड़ी संख्या है। विदेश मंत्री यहां आकर जवाब दें। उनके बच्चे और उनके घर वाले काफी चिंतित हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। शून्य काल के माध्यम से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच में मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर होते हुए एक रेल लाइन को जोड़ने की मैं मांग रखता हूं। कई बार मैंने इस विषय को सदन में रखा है। एक रेल लाइन वहां बनी हुयी है, जहां पर पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है। भुवनेश्वर से दिल्ली आने में हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वहां कोई भी एक नयी ट्रेन उस लाइन में दे दी जाए, जिससे उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और पश्चिमी सिंहभूमि जैसे पिछड़े जिलों को जोड़ते हुए दिल्ली में लोग पहुंच पाएं।

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I may be permitted to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Yes, please, but be brief.

SHRI RAMEN DEKA : Sir, I want to raise a very important issue of Assam. Assam remained in dark from 2nd May to 22nd May. There was no electricity; somewhere there was partial electricity and somewhere the electricity was cut off for about 20 hours to 22 hours. This is the fate of our State. Some people have doubts that some unscrupulous elements lobbied for it that there should be no electricity so that people think of having big dams.

Sir, I come from a village, Sualkhuchi. Mahatma Gandhi termed this village as Manchester of East. That village got the first rural electrification in India. We marched rural electrification from Sualkhuchi. We have a potential to generate hydel power. We have a requirement of 1130 MW, but we produce now only 250 MW of power. Successive Congress Governments and two AGP Governments did nothing in the area of power sector. So, it remains always underdeveloped.

Sir, if there is a vision then we can have bio-mass energy and we can produce more power. The total bio-mass energy that we can generate in the country is 50,000 MW. We have the potential but the Government has not given any eyes in this sector.

Yesterday, there was a discussion on the River Ganga. The hon. Members said many things about Ganga that Ganga is the holiest river and all that. We too have a mighty river called Brahmaputra River. It has many tributaries. From these tributaries if we get the hydel power, then we can generate more power, which can fetch our State and which can fetch the rest of the country. The Brahmaputra water can produce 29,000 MW of power. But we are not giving any attention to use the Brahmaputra river water. We are neither using it in irrigation and agriculture sectors nor for drinking purposes.

Sir, I would like to conclude with a couplet, 'Water, water, everywhere water but there is not a single drop of water to drink.' We have water but we cannot use this water.

So, I would urge the Government to use the Brahmaputra water properly so that we can grow more agricultural products and generate more power for the development of this State.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय सभापति जी अपने मुझे शून्य काल के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के एक युद्ध सैनिक के बारे में अपनी बात कहने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के चांदरणी गांव के निवासी श्री कल्याणसिंह राठौर, जो सेना में असम रेजीमेंट में कैप्टन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिनका आई.सी. नं. 23198 था।

महोदय, वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 दिसम्बर, 1971 के दिन जम्मू क्षेत्र में स्थित छाम्ब सैक्टर पर बलसारा पाइंट पर ड्यूटी पर वे तैनात थे। शाम के लगभग पांच बजे के आसपास दुश्मनों के साथ घमासान लड़ाई हो रही थी। आमने-सामने गोलीबारी हो रही थी। हमारी सैन्य टुकड़ी के पास गोला-बारूद कम हो रहा था। तभी कैप्टन कल्याण सिंह ने अपने साथियों का जीवन बचाने हेतु उन्हें

पीछे जाने का आदेश दिया और खुद उसी स्थान पर डटकर अकेले दुश्मनों के साथ लड़ते रहें। रात के अंधेरे में दुश्मनों ने उन्हें चारो ओर से घेर लिया था।

महोदय, दूसरे दिन जब हमारी सैन्य टुकड़ी वहां पहुंची तो कल्याण सिंह नहीं मिले। शायद दुश्मनों ने उन्हें मारकर खाई में फेंक दिया हो या युद्धबंदी बना कर साथ ले गए हों, किसी को पता नहीं था।

महोदय, युद्ध के बाद युद्ध कैदियों की वापसी के दौरान भी कल्याण सिंह नहीं मिले। उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया गया। हमारी सरकार ने भी खोजने की बहुत कोशिश की। कल्याण सिंह के परिवार के सदस्य भी पाकिस्तान जा कर जेलों का ब्यौरा किया लेकिन कहीं से भी कल्याण सिंह का पता नहीं लगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी मांग रखिए।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : सभापति महोदय, लगता है कि कल्याण सिंह अब जीवित अवस्था में नहीं हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह देश के लिए शहिद हो चुके हैं। लेकिन हमारा रक्षा मंत्रालय उन्हें गुमशुदा या भगोड़ा मान रहा है जो सच नहीं लगता है।

सभापति महोदय, कल्याण सिंह चाहते तो वह भी पीछे हट सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन देश की सुरक्षा हेतु वह अपनी जान की बाजी लगा कर वहां पर वह डटे रहें और अपने साथियों को बचाया। ऐसे में उन्हें भगोड़ा कहना ठीक नहीं है। एक शहीद का अपमान है।

कल्याण सिंह देश के लिए शहिद हुए हैं। आज पचास साल बीत जाने के बाद भी कल्याण सिंह को न्याय नहीं मिला है। हमारे क्षेत्र को न्याय नहीं मिला है। हमारी गुजरात सरकार ने उनके गांव चांदरणी की स्कूल को कैप्टन कल्याण सिंह स्कूल घोषित कर के सम्मान दिया है।

मेरा आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के सपूत कल्याण सिंह राठौर को शहीद घोषित कर के, शौर्यचक्र से सम्मानित किया जाए एवं उनके परिवार को यथायोग्य आर्थिक मदद की जाए।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे शून्य काल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं इस विषय पर बोलने जा रहा हूं कि सरकार अभी तक आधार कार्ड को विभिन्न आवश्यक सेवाओं के साथ जोड़ने की कोई ठोस योजना नहीं बना पायी है, जैसे - आधार कार्ड को मनरेगा की मजदूरी के भुगतान तथा पासपोर्ट बनाये जाने के साथ लिंक करना इत्यादि। इसके अलावा आधार कार्ड बनवाये जाने के लिए आवश्यक कागजात की जांच भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। जिसके फलस्वरूप कोई भी अन्य देश का व्यक्ति आसानी से आधार कार्ड पा कर भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है। इसके लिए भी सरकार को आवश्यक धनराशि आवंटित कर आधार कार्ड को बनवाये जाते समय उनकी कागज की जांच हेतु विशेष ध्यान देना होगा।

सरकार पैन कार्ड की भांति आधार कार्ड की प्रायोगिकता को आवश्यक एवं प्रासंगिक बनाना होगा अन्यथा आधार कार्ड अन्य गैरजरूरी कार्डों की भांति बन रह जाएगा। सरकार को चाहिए कि पैन कार्ड की भांति खाता खुलवाने, प्रत्येक वित्तीय लेन-देन के समय, शेयर व म्युचल फंड, मकान, आभूषण एवं कार इत्यादि के खरीद-फरोख्त के समय आधार कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य करना चाहिए जिससे आधार कार्ड के प्रयोग का दायरा बढ़ सके और उसकी उपयोगिता का आम जनमानस को पता चल सके। जैसा कि हमें ज्ञात है, आधार कार्ड बनवाने वालों का दायरा आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ेगा, वैसे ही आधार कार्ड की भविष्य में उपयोगिता साबित करने हेतु सरकार को वर्तमान में ही सुदृढ़ योजना बनाने की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, पिछले रेल बजट में उदयपुर से ग्वालियर चलने वाली ट्रेन को खजुराहों तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी ताकि उदयपुर आने वाले पर्यटक खजुराहो जा सकें और खजुराहो आने वाले विदेशी पर्यटक उदयपुर तक की सीधी यात्रा कर सकें। कुछ दिनों पूर्व यह ट्रेन चलनी प्रारंभ भी हो गई है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ट्रेन मार्ग पर झांसी से खजुराहो के बीच हरपालपुर एवं निवाड़ी दो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। एक छतरपुर जिले में आता है और दूसरा टीकमगढ़ जिले में आता है, जहां से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के पचासों गांवों के लोग ट्रेन पकड़ते हैं। किन्तु इन स्टेशनों पर इस ट्रेन के स्टापेज नहीं बनाए गए हैं जबकि खजुराहो आने वाले पर्यटक यहां से मऊ सहानिया जाते हैं। मऊ सहानिया नौगांव के पास महाराजा छत्रसाल का छावनी केन्द्र था जहां पर ध्वेला म्युजियम के नाम से उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं का संग्रह करके रखा गया है। वहां से मऊ सहानिया होकर

पर्यटक हरपालपुर आते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। मैंने इस संबंध में रेल परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी इस बात को उठाया। माननीय रेल मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया था।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हरपालपुर एवं निवाड़ी, इन दोनों स्टेशनों पर उदयपुर से खजुराहो तक चलने वाली ट्रेन का स्टापेज किया जाए ताकि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके और पर्यटकों को भी सीधी ट्रेन की सुविधा का लाभ मिल सके।

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI)**:** Sir, production and import of petroleum products and cooking gas are under the control of the Union Government. The State Governments have to look up to the Centre to meet their requirement of kerosene for public distribution. Petrol, diesel and cooking gas are made available by spending our precious foreign exchange even when the prices are sky high in the international market. But strangely, kerosene, which is common man's every day need, is not given that kind of attention. The requirement of kerosene has been increasing and the State Government has to provide extra kerosene to the people living in the hilly Nilgiris district. However, during the past one year, kerosene quota for Tamil Nadu has been reduced to a half by the Centre. In April 2012, 39,490 kilolitres were sanctioned for public distribution as against 52,806 kilolitres sanctioned in April 2011. The actual need for public distribution in Tamil Nadu is 65,140 kilolitres. For the period from April to June, the Centre reduced the quarterly allocation to 39,429 kilolitres from 44**,**572 kilolitres. Tamil Nadu gets only 60.53 per cent of the supply required by it.

I would appeal to the Government of India to consider the demand of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalitha ji's demand to the hon. Prime Minister to increase the quota of kerosene to Tamil Nadu by a minimum of 41 per cent. Then alone, the requirement of the poor people in the State who are depending on kerosene for their daily needs can be

met. As the Centre is the sole supplier of kerosene, I would earnestly appeal to supply the required quantity of kerosene to Tamil Nadu.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने वर्ष 2009 और 2010 में मांग की थी कि अंडमान में पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली की तर्ज पर राशन मनी दिया जाए। आज उसका आर्डर गया है।

अंडमान-निकोबार के हैडीक्राफ्ट आइटम्स जैसे शैल, सिपी, ट्रोकस की फैक्ट्रीज थी। अचानक वर्ष जुलाई, 2001 में भारत सरकार के वन मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के नाम पर 52 आइटम्स जैसे ट्रोकस, ट्रोचस, निलोटिकस आदि को बैन कर दिया गया। वह अंडमान-निकोबार के लिए बैन है। अंडमान के लिए 52 शैल स्पिशिज पर बैन नहीं हटा, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में 26 शैल स्पिशिज पर बैन हट गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे समुद्र में कोस्टल एरिया करीब 9 हजार स्केयर किलोमीटर है। इंगलिश में एक शैल का नाम ट्रोकस-निलोटिकस है या टार्चर्स शैल है, जो साल में 20 हजार अंडे देते हैं। एक साल में एक ट्रोकस या सीपी ढाई से तीन टन, पांच टन शैल,ट्रोकस आदि पैदा करता है और उसके बाद खुद मर जाता है। इस संबंध में अंडमान प्रशासन, उपराज्यपाल ने चर्चा की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फिशिज डिपार्टमैंट द्वारा एक सर्वे कराया गया और कहा गया कि हमारी सम्पदा पूरी पड़ी है। हमारी इंडस्ट्रीज जो आज भूखी पड़ी है, इसलिए तीन साल के लिए इस फिशिज को बैन आइटम से मुक्त किया जाये तथा शैल इंडस्ट्रीज को आवंटन किया जाये। हमारे लिए मना है, लेकिन बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, बंगलादेश आदि पूरे द्वीप समूह में आते हैं और ट्रोकस उठाकर ले जाते हैं। यह हमारे लिए मना है लेकिन उनके लिए मना नहीं है।

भारत सरकार के पास प्रशासन की तरफ से डिपार्टमैंट ऑफ फारेस्ट की तरफ से मंत्रालय को मई, 2011 को एक पत्र गया तथा सांसद मे 10 मार्च, 2012 को पुनः वन मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की कि ट्रोकस-निलोटिकस/ टार्चर्स शैल को बैन आइटम से मुक्त किया जाये। हमारी शैल इंडस्ट्रीज को आवंटन करें ताकि वह आगे बढ़ सके।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक जनहित के मामले को उठाना चाहता हूं और सरकार से व्यवस्था ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूं।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो हम लोगों की लाइफ लाइन है, वह मेरे क्षेत्र को ही नहीं, लेकिन हमारे आठ राज्यों-- असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और साथ ही पड़ोस देश भूटान और नेपाल को जोड़ती है। यह रास्ता बहुत खराब है। इसे फोर लेन बनाने की

बात हुई थी। असम और बिहार साइड में कुछ काम हो गया, लेकिन बीच में काम रुका हुआ है। इस काम का डायवर्शन कर दिया गया है। जो रूट था, उसे दूसरी तरफ कर दिया गया है। उसमें निर्णय लिया गया है कि 31 सी और 31 डी, इसमें 31 डी की अवस्था बहुत खराब है। उसकी न राज्य सरकार मरम्मत करती है न मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट करती है। ...(व्यवधान) बरसात में हालत बहुत खराब होती है। वहां ट्रेन की सहुलियत बहुत कम है, इसलिए सड़क पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वहां हालत बहुत खराब है, इसलिए इस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाये। वहां लोगों को जाने में काफी तकलीफ होती है।

दूसरा, 55 नम्बर जो राष्ट्रीय राजमार्ग दार्जिलिंग को जोड़ता है, वह बिल्कुल टूट गया है। दो-तीन साल से उसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है, कोई देख-रेख नहीं हो रही है। वहां टूरिस्ट्स नहीं जा सकते। वहां की जनता अपेक्षा करती है कि हमें छोड़ा जा रहा है। आज वहां गोरखालैंड और दूसरे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 55 नम्बर के साथ-साथ 31 सी और 31डी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी जल्दी से जल्दी मरम्मत करके चलने लायक बनाया जाये।

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): I am thankful to you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Ernakulam is the Commercial Capital of Kerala and Ernakulam Junction Railway Station is the biggest railway station in Kerala. A huge number passengers are using this railway station. There is an Area Manager's Office in Ernakulam. Through this Area Manager's Office only, the emergency quota of tickets were being released. But now, for many trains, the emergency quotas of tickets are not available; they are not issuing the emergency quota.

Sir, when I enquired, I came to know that for many trains, the emergency quota of tickets is being released from Thiruvananthapuram. This is causing a lot of difficulties to the passengers of Ernakulam and nearby area. The biggest sufferers are the patients, whose operation dates are fixed. When they go to Ernakulam Junction to book their ticket under Emergency quota for their operations to be held in the Government hospitals in Thiruvananthapuram or Chennai, they are asked to make their request through Divisional Railway

Managers' office, Thiruvanantpuram. This is causing a lot of inconveniences to the patients, particularly.

MR. CHAIRMAN : Just put your demand.

SHRI CHARLES DIAS : Yes, Sir.

But ironically, we have come to know that this Area Manager's Office is now going to be shifted. We do not know what is the reason for this shifting of Area Manager's Office. Staff has been issued transfer orders whereas nobody had asked for their transfers. We do not know what is happening there.

Therefore, my request is that the Area Manager's Office may kindly be retain in Ernakulam itself and the transfer orders of all the staff, which have been issued, may be cancelled. The patients and passengers have to be saved.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): धन्यवाद सभापति जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए मुझे अनुमति दी है।

महोदय, बिहार राज्य में कथित रूप से 30 लाख टन धान की खरीद की गयी है। मुख्यतः धान की खरीद एसएफसी के द्वारा सीधे या प्राथमिक कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से की गयी। खरीद में की गयी धांधली की कोई सीमा नहीं है। जहां किसानों को धान कीमत 1080 रुपये प्रति क्विंटल मिलनी चाहिए थी, वहां उन्हें 800 रुपये के आस-पास ही देकर बिचौलियों ने खरीद लिया है। बिचौलियों द्वारा खरीदे गए धान को एसएफसी द्वारा खरीदा गया दिखा दिया गया है। एक तरफ व्यापारियों से खरीद किसानों की सूची के आधार पर की गयी है और उसे पुनः उन्हें ही सीएमआर के लिए दे दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए नियम के तहत धान तभी मिलर्स को, सीएमआर को दिया जाता है, जब मिलर्स अग्रिम रूप से चावल देते हैं। चावल की मात्रा प्राप्त होने पर उसी अनुपात में धान दिया जाता है। इस प्रचलित आधार पर एसएफसी कार्य करती है जिसे इस बार राज्य के अनर्थकारी निर्णय के द्वारा राज्य के किसानों एवं उपभोक्ताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अग्रिम चावल लेने की नीति को तिलांजलि देकर एकमुश्त धान सीएमआर के लिए देने की कागजी कार्रवाई की गयी। मिलर्स व्यापारी एसएफसी की कार्रवाई से उत्साहित होकर बिना धान की अधिप्राप्ति के, केवल किसानों की सूची प्रेषित कर तथा खेती के रकबे में जाल-फरेब कर एसएफसी की खरीद तथा पुनः सीएमआर के लिए धान प्राप्त करना शुरू कर दिया है जिसका नतीजा है कि आज तक एक-चौथाई चावल भी एफसीआई के गोदामों में नहीं पहुंचा है। तीन-चौथाई कथित धान मिलर्स के यहां है, जबकि वास्तविकता यह है कि न तो उनके पास चावल है, न धान है

तथा करोड़ रुपये का नगद भुगतान प्राप्तकर गबन कर लिया गया है। इसी गबनित राशि से पुनः गेहूं की खरीद का खेल शुरू हो गया है। मिलर्स गेहूं की खरीद कर अपने गोदामों में भर रहे हैं तथा एसएफसी खरीद को बंद कर रखा है जिससे किसान 1000 रुपया प्रति क्विंटल के आस-पास अपना गेहूं बेचने के लिए बाध्य हैं। भारत सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना है, मगर इस वर्ष बिहार के किसान ने घाटा उठाकर अपने अनाज को बेचा है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपये की लूट की और अब पुनः तैयारी है कि भारतीय खाद्य निगम से सस्ते दाम पर उपभोक्ताओं के नाम पर चावल-गेहूं निकालकर पुनः इसे ही एफसीआई को मिलर्स देंगे।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल बिहार सरकार, एसएफसी की खरीद की जांच करे तथा किसानों को हो चुकी क्षति के साथ उपभोक्ताओं के नाम पर होने वाली राष्ट्रीय क्षति से भी बचाए तथा गबनकर्ताओं को दंडित करने की व्यवस्था करे।

श्री प्रेमदास (इटावा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। प्रकृति ने हर जीव-जन्तु और पक्षियों को पर्यावरण में सहयोग करने का दायित्व दिया है। आज हमारे देश में गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं। सम्पूर्ण गिद्ध जाति समाप्त हो गई और तमाम ऐसी प्रजातियां हैं, जो समाप्त होती जा रही हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में हमारे देश के पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होगा।

महोदय, हमारे जिले इटावा में सरसईनावर के नाम से एक झील जानी जाती है, जो कि चार जिलों - इटावा, मैनपुरी, कनौज और औरैया को जोड़ती है। इस झील में सारस प्रजाति का पक्षी पाया जाता है, जिनकी संख्या पूरे देश में यहां सबसे ज्यादा है। मेरी मांग है कि सरसईनावर झील को एक सैंक्चूरी घोषित किया जाए और इसे विशेष पैकेज दिया जाए ताकि पर्यावरण की समस्या का निदान हो सके। इसके ऊपर पर्यावरण विभाग और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं यहां से बोल लूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, आप और पूरा देश जानता है कि बिहार का गया, नवादा, नालंदा और झारखंड का कोडरमा इलाका मुई का इलाका है, सूखाग्रस्त है। वहां के लोगों का मूल काम खेती है। आज से 35 साल पहले जब बिहार और झारखंड एक थे, बिहार में एक बड़ी सिंचाई परियोजना तिलैया-घाघर की स्वीकृत हुई थी। उस पर काम शुरू हुआ और अभी तक 1100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं,

लेकिन एक इंच जमीन का पटबन का काम नहीं हुआ है। जब झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर नया राज्य बना तो ये दो नदियां इन जिलों से होकर गुजरती हैं, इन दोनों पर जल प्रबंधन एक बढ़िया नमूना था और इस परियोजना से न केवल उस इलाके की सिंचाई होती, बल्कि वहां पन बिजली का उत्पादन करने का भी लक्ष्य था। हम बार-बार केन्द्र सरकार से कह रहे हैं, लेकिन वह राशि नहीं दे रही है। दोनों राज्यों के बंटवारे के बाद बिहार की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वह उदासीन हो गई और उस परियोजना पर काम ठप हो गया। किसानों की हजारों एकड़ जमीन नहरें बनाने के लिए ले ली गईं। जगह-जगह नहरें खोद भी दी गईं, एकाध जगह बैराज भी बनाया गया, लेकिन एक बीघा में या हमारे वहां की भाषा में एक धूर कहते हैं, तो एक इंच पटबन का काम नहीं हुआ।

वहां के किसान और लोग इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ कई संगठन भी जुड़ गए हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप हम सांसदों के दर्द को समझते हैं, आपसे अधिक समझने वाला कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वहां के सांसदों की इस समय क्या स्थिति होगी। चार-पांच सांसदों का तो हाल ही में घेराव भी हुआ है। एक कहावत है कि जब बच्चा रोता नहीं है, तो मां दूध नहीं पिलाती। यही बात यहां हो गई है, लेकिन यहां रोने की स्थिति से ऊपर बात चली गई है, आंदोलन ने अपनी राह पकड़ ली है। इस आंदोलन की अगुवाई एक अधिवक्ता महेन्द्र सिंह जी कर रहे हैं। यह वहां की जनता का सवाल है, पटबन का सवाल है। अब यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उस अहिंसक आंदोलन को हिंसक होने से बचाए। इसलिए हमारी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि उस इलाके के पटबन के लिए राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाए। इसके अलावा जो आंदोलन में शरीक हैं महेन्द्र सिंह जी, उन्हें भी बुलाए और उस परियोजना के लिए पर्याप्त राशि देकर कार्य को पूरा कराए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में ग्रामीण रोजगार सृजन करने हेतु जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं लागू हैं, उन्हें सरकारी बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक आप इंडिया द्वारा ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस ऋण को प्राप्त करने के लिए किसानों और गरीब लोगों को बैंकों के प्रबंधकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। बैंकों के प्रबंधकों ने अपने दलाल इन लोगों के पीछ लगा रखे हैं। ये दलाल लाभार्थी से सम्पर्क करते हैं और ऋण दिलाने का वादा करते हैं। बाद में आबंटित राशि का काफी हिस्सा स्वयं रख लेते हैं। इसमें बैंक प्रबंधकों की भी बड़ी हिस्सेदारी होती है। इस कारण लोगों को दलालों के बिना ऋण मिलना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जब तक दलालों का इशारा बैंकों के प्रबंधकों को नहीं

होता, उन्हें ऋण नहीं दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एवम् दलित सम्बन्धी कल्याणकारी योजनाएं इत्यादि में धड़ल्ले से कमीशन ली जा रही है। मैंने पत्र लिखकर वित्त मंत्री जी को इस सम्बन्द में सूचना देते हुए कहा था कि इस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार से केन्द्र सरकार की योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर इन योजनाओं में गम्भीर रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों तथा दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक शत प्रतिशत पहुंच सके।

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी जाति है जिसे अदर-नागा-ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। जब 1911 में अंग्रजों की हुकूमत थी, उस समय पांच जातियां नौकते, तामसा, वांगचु, तुत्वा और युबिन्स को नागा के रूप में मान्यता दी गयी। जैसे नागालैंड में है, मणिपुर में है जैसे आओज है, सैमाज है, टांगकुल्स है, अंगामीज है, कोनयाक्स है, लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में उन्हें अदर नागा ट्राइब्ज का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारे यहां जो यूपीएससी की परीक्षा होती हैं या केन्द्र सरकार में नौकरियां निकलती हैं उनमें उन्हें मौका नहीं मिलता है क्योंकि उनके अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें अंडर द शैड्यूल्ड नहीं लाया गया है। हमने दो दिन पहले कर्नाटक के मेदारा का संशोधन लाया गया, तो मैं माननीय मंत्री जी को अनुरोध करुंगा कि इसमें हमारी जो पांच जातियां हैं नौकते, तामसा, वांगचु, तुत्वा और युबिन्स, उनके लिए भी विधेयक लाकर संशोधन किया जाए।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, I would like to bring to the kind notice of the Government an important issue pertaining to my constituency. In the year 2005, the Railway had banned the use of the 100 year old rail overhead bridge at Chinthalpadi situated at a distance of 11.4 kms. between Harur and Mookkanur ODR Highway falling in my Parliamentary constituency because of its dilapidated condition. Because of this ban, for the last seven years, the people are using the adjacent mud road for all purposes, including heavy vehicular movement. More than a lakh of people surrounding this area have been affected very badly because of abandonment of this bridge. They are not able to

move their agricultural produce and other goods. During rainy season their life becomes more miserable. The District Collector of Dharmapuri has made a written request to me to revive this bridge and indicated the estimated cost for the revival of this bridge at nearly one crore rupees.

Therefore, I urge upon the hon. Minister of Railways to direct the Southern Railway to reconstruct the above said rail overhead bridge at Chinthalpadi situated at a distance of 11.4 kms. between Harur and Mookkanur ODR Highway falling in my Dharmapuri Parliamentary constituency forthwith.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1977 में जब मैं लोक सभा का सदस्य बना था, तब से इस बात को उठाता रहा हूं, योजना में शामिल भी हो गये, कुछ पैसे भी दिये गये, जमीन के रेखांकन का काम शुरु हुआ लेकिन वह अनंतकाल तक या कब तक चलेगा, कहा नहीं जा सकता है।

मुजफ्फरपुर से दरभंगा रेल लाइन का सब कुछ बना पड़ा हुआ है, कुछ पैसे भी दिये गये, वह शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे जो हमें बहुत लम्बा घूमना पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा और दूरी कम हो जाएगी।

सीतामढ़ी से जयनगर और जयनगर से निर्मली नेपाल के किनारे-किनारे रेल लाइन है। यह रेल लाइन अगर बन जाती है तो दिल्ली से गुहावटी का सबसे सीमा के किनारे शोर्ट-रुट बनेगा और सबसे कम समय में लोग वहां जाएंगे। रक्षा के दृष्टिकोण और सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बढ़िया होगा। इसीलिए उस पर तुरंत कार्रवाई करके ज्यादा पैसा दिया जाए, उसका सर्वेक्षण कराकर निर्माण में हाथ लगा दिया जाए। इस रेल लाइन को तुरंत पूरा कर दिया जाए, जिससे दिल्ली-गोरखपुर वाया सीतामढ़ी से वहां की लाइन सीधा जुड़ जाए।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण बिंदु पर बोलने का मौका दिया। जमुई लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा और सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यह माओवाद और नक्सलवाद का केंद्र बिंदु भी है। आज से 35 साल पहले बरनाल नदी पर डैम बनाने की प्रक्रिया शुरु हुई, कार्य भी शुरु हुआ और 10 से 15 करोड़ रुपए का व्यय भी हुआ। केनाल भी जगह-जगह बनी हुई है, कहीं बैराज भी बना हुआ है। यहां 15,000 एकड़ जमीन को सिंचित होना था। इस कारण किसानों के मन में बड़ी खुशी थी लेकिन दो वर्ष बाद यानी 1978 में शुरु हुआ और वर्ष 1980 में बंद हो गया। तकनीकों कारणों का उल्लेख किया गया।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक सर्वे टीम बनाएं और इसका सर्वे कराएं। मात्र 700 मीटर बांध बनना है जिससे 15,000 एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। यहां किसान आंदोलनरत हैं। यहां हाल ही में आदरणीय मंत्री श्री जयराम रमेश गए थे। उनके सामने भी यह मांग रखी गई है। यहां किसान आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बांध के बन जाने से बिजली का निर्माण होगा। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि संसद में किसानों की चर्चा हो रही है इसलिए निश्चित तौर पर इसका सर्वे कराकर बरनाल नदी पर बांध बनाने की प्रक्रिया शुरु की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, सहकारी संस्थाओं को पहले भारतीय आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त थी। जैसे कोआपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, कोई भंडार या जीएसएस हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में शार्ट टर्म और लांग टर्म लोन देते हैं। इनको इनकम टैक्स की छूट प्राप्त थी तो ग्रामीण जनता को लोन कम ब्याज दर पर मिलता था। कुछ सालों से इनकम टैक्स विभाग ने छूट समाप्त कर दी गई जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट को धक्का लगा। कोआपरेटिव मूवमेंट लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। ठीक है, यह माना कि कोआपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं, आप इसे कमर्शियल आर्गेनाइजेशन मान सकते हैं। लेकिन वर्षों तक जब इनकम टैक्स में छूट थी तो अब यह क्यों लागू किया गया है? अगर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी तो सहकारिता संस्थाएं, जो कृषि क्षेत्र में किसानों को शार्ट और लांग टर्म लोन देती हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण के ब्याज के रूप में अधिक भार सहना पड़ेगा। मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग है कि सहकारी बैंकों और संस्थाओं से वापिस ली गई इनकम टैक्स छूट को बहाल किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on Monday, the 21st May, 2012 at 11.00 a.m.

18.42 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 21, 2012/Vaisakha 31, 1934 (Saka)